



Sethusamudram
CORPORATION LIMITED

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN: U75111TN2004GOI054824

20th ANNUAL REPORT
2024-25

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

CIN : U75111TN2004GOI054824

BOARD OF DIRECTORS

Shri. Sunil Paliwal, IAS,
Chairman cum Managing Director

Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS,
Kamarajar Port Ltd – Nominee Director

Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh, IRTS,
Paradip Port Authority – Nominee Director

Shri. Susanta Kumar Purohit, IRSEE
V.O. Chidambaranar Port Authority – Nominee Director

Shri. Durgesh Kumar Dubey, IRTS,
Visakhapatnam Port Authority – Nominee Director
&
Dredging Corporation of India Ltd – Nominee Director

Shri. Pradeep Kumar Roy
Govt. Nominee Director

Shri. Rituraj Misra
Govt. Nominee Director

Rear Admiral Jaswinder Singh
Shipping Corporation of India Ltd – Nominee Director

Shri. Malla Srinivasa Rao
General Manager (Finance)

AUDITORS

M/s. Ravi & Raghu
Chartered Accountant, Chennai.

PRINCIPAL BANKERS

Indian Bank. Harbour Branch, Chennai – 600 001.

REGISTERED OFFICE

Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

CORPORATE OFFICE

Fourth Floor (North wing), Old Admin Building, Chennai Port Authority, Rajaji Salai,
Chennai – 600 001.

INDEX

Sl. No	Subject	Page No.
1	Chairman Message	1
2	Notice for AGM	4
3	Director's Report	11
4	Report on Corporate Governance	40
5	Comments of C & AG	48
6	Report of the Statutory Auditor	50
7	Audited Accounts as at 31 st March 2025	75
8	Accounting Policies and Notes on Accounts	82
9	Cash Flow Statement	94

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED
CHAIRMAN'S MESSAGE



Dear Shareowners,

On behalf of the Board of Directors of SCL and on my own behalf, I am pleased to welcome you all to the 20th Annual General Meeting of your Company. The Audited Annual Accounts for the financial year 2024 - 25, Directors' Report and Auditors' Report have already been circulated.

You may be aware that India's coast line of more than 7500 kms is lined with 12 major ports and more than 200 non-major ports. The shipping trade between the east and west coasts of India has prevailed for a long time. As the coast of India does not have a continuous navigation channel connecting the east and west coasts, the ships have to circumnavigate the Sri Lankan coasts due to presence of shallow waters in the Palk Strait and in Adam's Bridge area. In order to reduce the steaming distances between the East and West Coast of India and other countries and to improve the navigation within territorial waters of India, a number of proposals were considered since 1860 to cut a ship canal called Sethusamudram Canal.

With a view to establish the channel, the Government of India formed Sethusamudram Corporation Limited (SCL) a Special Purpose Vehicle (SPV) on 2nd September 2004 and the same was incorporated as a Company on 6th December 2004.

CURRENT STATUS OF THE PROJECT

Due to various litigations, the Hon'ble Supreme Court passed an Interim Order on 14.09.2007 to suspend the dredging works at Adams Bridge / Ram Sethu. Due to prolonged court cases, all the dredging works were stopped during July 2009 at Palk Bay / Palk Strait also.

During March 2018, Government of India has filed an affidavit stating "that the Govt of India intends to explore an alternative to the earlier alignment to the Sethusamudram Ship Channel Project without affecting / damaging the Adam's Bridge / Ram Sethu in the interest of the nation and the Hon'ble Court may dispose of the petition accordingly. The company is awaiting further hearing and final judgment.

STATUS OF DREDGING WORK AT PALK BAY / PALK STRAIT

Out of the total estimated quantity of 34.50 M.cum, about 21.43 M.cum i.e., 62.12% was dredged.

STATUS OF DREDGING WORK AT ADAM'S BRIDGE:

Out of the total estimated quantity of 48.05 M.cum, about 9.52 M.cum i.e. 19.81% was dredged.

PROGRESS OF OTHER WORKS ASSOCIATED WITH THE PROJECT

Navigational Buoys, Mooring Launches & Pilot Launches

SCL purchased 65 nos of navigational buoys, 08 Nos of Mooring launches and 06 Nos of Pilot launches. Since there was delay in commencement of operation, SCL sold all the above items to various ports on outright sale basis.

FINANCIAL PERFORMANCE

Your Company has a cash balance of Rs.3.15 crores and made short term deposits in various banks. The Company is still under construction stage and yet to commence its operation. However, during the year under review, Company registered a net Loss after tax of Rs.248.20 lakhs (i.e. The Loss in Sale of Navigational Aids worth Rs.226.69 Lakhs removed from Sundry Adjustment A/c and charged in the Profit and Loss account as Loss on Sale of Navigational Aids

during the FY 2024-2025) as against the net loss of Rs.17.55 lakhs reported during the previous year.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year, No. of employees – Nil.

ACKNOWLEDGEMENT

I gratefully acknowledge the guidance and support received from the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India. I would also like to thank colleagues on Board who spared considerable time and participated actively in the deliberations of the Board and their in-depth knowledge and guidance on various issues greatly contributed in taking appropriate decisions. My sincere thanks to the Bankers and Legal Counsels for their co-operation.

CONCLUSION

Before concluding I wish to place on record our deep sense of gratitude for the sincere efforts put in at all levels which enabled the Company to record the progress during the year.

Sd/-

Chairman cum Managing Director
Sethusamudram Corporation Limited

Place: Chennai

Date:10.09.2025

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN: U75111TN2004GOI054824

Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

Phone: 044 – 25270651.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the shareholders of Sethusamudram Corporation Limited will be held in the Board Room of Chennai Port Authority on 24.09.2025 at 04:00 PM (IST) and also through Video conference (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance sheet as at 31st March 2025, the statement of Profit & Loss Account of the Company for the year ended 31st March, 2025 and the reports of the Board of Directors, the Auditors' Report and Comments of Comptroller and Audit General of India under section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
2. To appoint a Director in place of Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh, IRTS, (DIN No.07295378), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

3. **Appointment of Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN no.10104264) director (Liner & Passenger Services) Shipping Corporation of India Ltd as Nominee Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN no.10104264) director (Liner & Passenger Services) Shipping Corporation of India Ltd who was appointed as Additional Director of the Company by the Board w.e.f. 04.02.2025 in terms of Shipping Corporation of India letter No. A-10/BD/SEC/Sethusamudram, dt. 29.11.2024 be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation”.

4. **Appointment of Shri. Rituraj Misra, (DIN no.02636799) Director, Ministry of Ports, Shipping & Waterways as Nominee Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT Shri. Rituraj Misra, (DIN no.02636799) Director, Ministry of Ports, Shipping & Waterways who was appointed as Government Director of the Company by the Board w.e.f. 04.02.2025 in terms of Ministry of Ports, Shipping & Waterways (Ports Wing) letter No.PD-26014/7/2004-Sethu (Part file),

dt. 30.10.2024 be and is hereby appointed as Government Nominee Director of the Company, not liable to retire by rotation”.

By Order of the Board

Sd/-

(Shri. Sunil Paliwal, IAS)

Chairman cum Managing Director

Place: Chennai

Date: 14.08.2025

NOTES

- a) Pursuant to General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Companies are allowed to hold Annual General Meeting ("AGM") through VC /OAVM without the physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2025. In compliance with the Circulars, the 20th AGM of the Company is being held through VC /OAVM. The Notice for the 20th AGM along with Annual Report 2024-25 is being sent through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the company.
- b) The circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") permits the holding of Annual General Meeting of the Company ("AGM") through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), till 30.09.2025.
- c) Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, as this AGM is being held through VC/OAVM, and physical attendance of Members has been dispensed with, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy form, Route map and Attendance slip is not annexed to this Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members participating through VC or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or only by sending emails only through their email addresses registered with the Company in case of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company.
- d) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.
- e) The members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.
- f) Members are requested to notify immediately any change of address to their respective Depository participant.
- g) Brief Resume of the Director seeking appointment at this Annual General Meeting is attached hereto and forms part of the Notice.

Instructions for attending the AGM through VC

1. Web link and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video conference either through Mobile/Laptop/Desktop

Explanatory Statements pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013.

Item No. 3

The Ministry of Shipping, vide their letter No. PD/26014/1/2004-Sethu, dated 17.9.2004 conveyed their approval for formation of Sethusamudram Corporation Limited indicated interalia that SCL in the beginning will be headed by Chairman of Tuticorin Port Authority as its Chairman cum Managing director with the Chairman from participating Major Ports and CMDs of participating Public Sector Undertakings as Directors of the Company on ex-officio basis.

According to Article 122 (C) of the Articles of Association of the Company, if the promoter Port / Company nominee retires, resigns, removed or otherwise vacates the office at any time, then subject to Article 121, the concerned Promoter Port / Company shall be entitled to nominate one replacement, Director upon such retirement, resignation, removal or otherwise of its nominee Director.

Accordingly, Shipping Corporation of India Ltd has communicated vide their letter no. A-10/BD/SEC/Sethusamudram, dt. 29.11.2024, informing that Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN No.10104264) Director (Liner & Passenger Services) Shipping Corporation of India Ltd (SCI) has been nominated as Director in the Board of SCL and the same was taken on record at the 82nd Meeting of Board of Directors held on 04.02.2025.

His brief resume is as under:

Particulars	Details
Date of Birth	15-09-1968
Educational & Professional Qualification	Post Graduate in Business Administration & MSc
Experience	Rear Admiral Jaswinder Singh has been at the helm of Liner and Passenger Services business of the Shipping Corporation of India (SCI) since 2023. He has also been appointed as a Director on the board of SCI Bharat IFSC Ltd, a Wholly Owned Subsidiary of SCI. Chief of Staff of the Southern Naval Command, Assistant Chief of Naval Staff Foreign Cooperation, Principal Director at Naval Headquarters

	responsible for formulating the specifications for ships and inducting their equipment, Command of Destroyer, Corvette and Training Establishment are some of the prestigious appointments held by the Admiral in top leadership role in the Indian Navy. Rear Admiral Jaswinder Singh is a Post Graduate in Business Administration, and also an alumnus of Naval Post Graduate School at California USA and Defence Services Staff College at Wellington. He has been awarded the prestigious Nau Sena Medal for his distinguished service in Indian Navy.	
Securities held in Sethusamudram Corporation Ltd	Nil	
Relationship with other Directors of Sethusamudram Corporation Ltd	Nil	
Directorship/Membership in other Companies	Name of the company	Nature of interest/Concern
	Shipping Corporation of India Limited	Director
	SCI Bharat IFSC Limited	Director
	SCI Bharat IFSC Limited	Nominee Shareholder of SCI (1 Share)
Remuneration last drawn	Not Applicable	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Details provided in the Corporate Governance Report.	

In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN No.10104264) Nominee Director of SCL representing Shipping Corporation of India Ltd holds office up to the date of this Annual General Meeting.

Considering his background, experience and valuable contribution, appointment of Rear Admiral Jaswinder Singh is in the interest of the Company and Board of Directors recommends the resolution for members approval as an Ordinary Resolution.

Except Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN No.10104264) Nominee Director, none of the directors is concerned or interested in the resolution.

Item No. 4

The Ministry of Shipping, vide their letter No. PD/26014/1/2004-Sethu, dated 17.9.2004 conveyed their approval for formation of Sethusamudram Corporation Limited indicated interalia that SCL in the beginning will be headed by Chairman of Tuticorin Port Authority as its Chairman cum Managing director with the Chairman from participating Major Ports and CMDs of participating Public Sector Undertakings as Directors of the Company on ex-officio basis.

According to Article 122 (C) of the Articles of Association of the Company, if the promoter Port / Company nominee retires, resigns, removed or otherwise vacates the office at any time, then subject to Article 121, the concerned Promoter Port / Company shall be entitled to nominate one replacement, Director upon such retirement, resignation, removal or otherwise of its nominee Director.

Accordingly, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (Ports Wing) vide their letter No.PD-26014/7/2004-Sethu (Part file), dt.30.10.2024 has communicated Shri. Rituraj Misra, (DIN no.02636799) Director, Ministry of Ports, Shipping & Waterways has been nominated as Government Nominee Director in the Board of SCL in place of Shri. Gopinath Nayak, Dy. Secretary (DIN no.10078138) who is retired on superannuation and the same was taken on record at the 82nd Meeting of Board of Directors held on 04.02.2025.

His brief resume is as under:

Particulars	Details
Date of Birth	27-12-1982
Educational & Professional Qualification	B. Tech (Mechanical Engg.) & M. Tech (Thermal, Energy and Environment Engg.), Indian Institute of Technology, Khargpur, India. Masters of Public Administration, Lee kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Experience	Over 15 years of experience in policy formulation, port development, public private partnerships, HR Management and digital transformation in Indian Railways and the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.	
Securities held in Sethusamudram Corporation Ltd	Nil	
Relationship with other Directors of Sethusamudram Corporation Ltd	Not Applicable	
Directorship/Membership in other Companies	Name of the company	Nature of interest/Concern
Remuneration last drawn	Not Applicable	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Details provided in the Corporate Governance Report.	

In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, Shri. Rituraj Misra, (DIN no. 02636799) Director, MoPS&W, Nominee Director of SCL representing Ministry of Ports, Shipping & Waterways holds office up to the date of this Annual General Meeting.

Considering his background, experience and valuable contribution, appointment of Shri. Rituraj Misra is in the interest of the Company and Board of Directors recommends the resolution for members approval as an Ordinary Resolution.

Except Shri. Rituraj Misra, (DIN No.02636799), Nominee Director, none of the directors is concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board
Sd/-
(Shri Sunil Paliwal, IAS)
Chairman cum Managing Director

Place: Chennai
Date: 14.08.2025

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
CIN: U75111TN2004GOI054824

Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

DIRECTORS' REPORT

To the Shareholders,

Your Directors have great pleasure in presenting the 20th Annual Report for the financial year 2024-2025 together with Audited statement of Accounts of the Company for the financial year ended 31st March 2025.

1. FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Rs. In Lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Other Income	23.22	22.30
Expenses	(271.42)	(39.85)
Prior Period adjustments	-----	-----
Profit/Loss before tax and Exceptional Items	(248.20)	(17.55)
Exceptional Item	-----	-----
Tax expenses	0.00	0.00
Profit / Loss after tax	(248.20)	(17.55)

2. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company has not commenced its commercial operation. In the meantime, as per the directions of Ministry of Shipping, the Company has passed Board Resolution No.59/03 dt.28th June 2019 for sending proposal for winding up of the company to the MoS after obtaining legal opinion. Further, in the meeting chaired by Hon'ble Minister of State for Ports, Shipping & Waterways held on 29.04.2021 to discuss the closure of the company and the process of settlement of dues to Dredging Corporation of India was discussed. However, it is informed that the final closure of the Sethusamudram Corporation Ltd is not communicated by the Ministry as on date. The Legal procedure for winding up has not been initiated.

During the year under review, Company registered a Loss of Rs 248.20 Lakhs as against the loss of Rs.17.54 Lakhs reported during the previous year as tabulated above. The loss was incurred due to charging the amount of Rs.226.69 lakhs for monitoring,

synchronization and buoy position by GPS to Profit & Loss account for the Financial Year 2024-25.

3. DIVIDEND

As commercial operations have not started, your Directors do not recommend any Dividend for the period under report.

4. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR AND DATE OF REPORT.

In respect of the dredging works already carried out by the Company at SSCP, there was a long pending dispute on the rate at which to be settled was amicably arrived by the ASFA committee formed by MoS. It has been decided by the Committee that Rs.136.72 crs is due and payable to DCI. Accordingly, up to financial year 2021-22 SCL had settled Rs.71.00 crs from the fund available with SCL, and your company has sought financial assistance from Government of India for balance dues payable to DCI. Due to non-availability of funds, in the financial year 2024-25 your company has not paid any amount to DCI.

5. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES,

The Company has not given any Loans and Guarantees under section 186 of Companies Act, 2013

6. INVESTMENTS

During the year, no specific investment has been made by your Company.

7. FIXED DEPOSITS

Your Company has not accepted any deposits including the year under review.

8. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The company has established its internal financial controls through set of policies framed and procedures followed by the Company for approval and recording of those minimal financial transactions and thereby for financial reporting. Every transaction is approved by the GM (F). Every first time transaction is approved by CMD. The approval of the Board will be sought and obtained based on the requirement of internal financial control policies.

9. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

(Section 134(3) of the Companies Act, 2013)

The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) under the historical cost convention on accrual basis. GAAP comprises mandatory accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 ('the Act'), read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the provisions of the act. There are no material departures from prescribed accounting standards in the adoption of the standards.

The Directors confirm that:

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that year;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) The Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

10. AUDITORS

In terms of Section 139 of the Companies Act, 2013, Comptroller and Auditor General of India has appointed M/s. Ravi & Raghu, Chartered Accountants, Chennai as Statutory Auditors of the company for the Financial Year 2024-25.

10.1 Statutory Auditor's report

The statutory Auditor of the Company, M/s. Ravi & Raghu, Chartered Accountants, has given an adverse opinion on the accounts of the Company for the financial year 2024-25.

10.2 Reply to the comments of Statutory Auditor

DIRECTOR'S EXPLANATION U/S 134(3) (f) OF COMPANIES ACT, 2013 ON THE ADVERSE OPINION OR DISCLAIMER MADE BY THE STATUTORY AUDITOR IN THE AUDIT REPORT:

Sl. No	Opinion in Auditor's report	Management's reply
1.	<p>Opinion</p> <p>We have audited the accompanying Standalone Ind AS financial statements of M/s.SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flows for the year then ended and notes to the standalone Ind AS financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information for the year then ended.</p> <p>In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, due to the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion section of our report, the aforesaid standalone Ind AS financial statements do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), of the state of affairs of the Company as at 31 March, 2025, its Loss including other comprehensive income, changes in equity</p>	<p>The company has disclosed the fact in Note 32 that as per directions of MoS vide letter dated 18.06.2019, SCL in its 59th Board meeting dated 28.06.2019 accorded approval for sending the proposal of closure of the company to MoS after obtaining legal opinion. Accordingly, the proposal for winding up of SCL was sent to Ministry on 28.08.2019. The ASG opinion relating to steps to be followed for closure of SCL was also sent on 13.12.2019. The company will initiate the procedure for winding up the company only after receiving approval from MoS.</p>

Sl. No	Opinion in Auditor's report	Management's reply
	and its cash flows for the year ended on that date.	
2.	<p>The evidences obtained and circumstances indicate the existence of material uncertainty that cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern and hence the Financial Statements shall not be prepared on a going concern basis.</p> <p>"An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so."</p> <p>Basis</p> <p>The Company has not begun commercial operations till date since inception from 2004. Capital dredging work was suspended on the direction of H'ble Supreme court in 2007 due to various litigations. Company has also sold various operational assets like tugs, navigational aids, launches, buoys due to cessation of operational activities from the year 2009 and onwards. As per directions of MoS vide letter dated 18.06.2019, SCL in its 59th Board meeting dated 28.06.2019 accorded approval for sending the proposal of closure of the company to MoS after obtaining legal opinion. The Additional Solicitor General has opined on 13.12.2019 that the corporation can be wound up under Section 272 of the Companies Act, 2013 subject to other conditions. In the meeting chaired by Hon'ble Minister of State for Ports, Shipping & Waterways to discuss the closure of the company on 29.04.2021, the</p>	<p>As per Para No.3 of the basis of Adverse opinion of the independent auditor report "An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so."</p> <p>However, the management is not intending to liquidate the entity or close the company as of now and awaiting for Ministry's approval in this regard. Hence, the financial statement is prepared on a going concern basis.</p>

Sl. No	Opinion in Auditor's report	Management's reply
	<p>process of settlement of dues to Dredging Corporation of India was discussed.</p> <p>The Ministry of Ports, Shipping & Waterways as per the communication dated 24.06.2021 has requested decision to be taken regarding the balance of amount due to Dredging Corporation of India and to draw a timeline for completion of activities for closure of the company within 6 months. There has been no further development on this till the date of this report.</p>	
3.	<p>Confirmation of balance in respect of Note no.6, 7 and 16 of notes to standalone Ind AS financial statements regarding Sundry Adjustments, Capital advances, Trade receivables, Deposits and Provision for Capital Dredging to be obtained and reconciled.</p>	<p>The company is in the process of obtaining confirmation of balances for trade receivables, deposits, sundry adjustments, sundry receivables and capital advances from the parties concerned. The company does not foresee any material difference in the balances outstanding and differences if any will be reconciled and rectified in next accounting year</p>
4.	<p>According to the information and explanation given to us, the Company has not established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, sufficient appropriate audit evidence were not available to provide a basis for our opinion whether the Company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2025. We have considered the disclaimer</p>	<p>The company has not commenced its business operation and involved in very minimal transactions mainly of making investments and earnings of interest on Investments. The company has established its internal financial controls through set of policies framed and procedures followed by the Company for approval and recording of those minimal financial transactions and thereby for financial reporting. Every transaction is approved by the GM (F). Every first time transaction is approved by CMD. The approval of the Board</p>

Sl. No	Opinion in Auditor's report	Management's reply
	reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Company and the disclaimer does not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company.	will be sought and obtained based on the requirement of internal financial control policies

11. SECRETARIAL AUDIT

M/s. John O & Associates, Practicing Company Secretaries were appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the financial year 2024-25. They have reported that, the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors and Nominee Directors except the appointment of Independent Directors, and Company Secretary. The Secretarial Audit report is enclosed as **Annexure -1**.

11.1 Reply to the comments of Secretarial Auditor.

DIRECTOR'S EXPLANATION U/S 204 OF COMPANIES ACT, 2013 ON THE QUALIFICATION OR DISCLAIMER MADE BY THE SECRETARIAL AUDITOR IN THEIR AUDIT REPORT:

S.No	Qualification in Secretarial auditor's report	Management's reply
1)	The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors and Nominee Directors except the appointment of Independent Directors, and Company Secretary.	<p>During the year under review, your Company did not have required number of Independent Directors. As your Company is a public-sector undertaking, Independent Director has to be appointed by Ministry of Port, Shipping & Waterways. Your Company has taken up the matter with the Ministry of Port, Shipping & Waterways, GOI.</p> <p>The Company has made effort to appoint a company secretary</p>

		and requested the Institute of Company Secretaries of India, Chennai for suitable candidates. In spite of the efforts taken the company is unable to appoint a company secretary
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Management Discussion & Analysis (MDA) is not applicable, since SCL has not yet started its commercial operation.

13. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report (BRR) is not applicable, since SCL has not yet started its commercial operation.

14. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

15. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Enclosed as **Annexure – 2**.

16. CONTRACTS OR ARRANGEMENT WITH RELATED PARTY U/S 188(1)

There are no CONTRACTS OR ARRANGEMENT

17. COMPANY POLICY ON DIRECTOR'S APPOINTMENT AND REMUNERATION:

Please refer Paragraph 2 of Corporate Governance and Notes to the financials.

18. STATE OF COMPANY AFFAIRS

Being a Government organization, the Company is managed by well regulated systems and procedures.

19. TRANSFER TO RESERVE

The Company does not propose to transfer any amount to reserve

20. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY

The Board of Director's in their meeting takes stock of the risks associated with project and finance and take appropriate decisions.

21. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2013

During the year under review, there was no employee of the company. As the Company has not begun commercial operations till date since inception from 2004. Capital dredging work was suspended on the direction of Hon'ble Supreme court in 2007 due to various litigations. Hence all applicable provisions pertaining to employees dose not arise.

22. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Accounts) Rules, 2014, your Directors state that the Company is yet to commence its operations. There was no earning or outgo in foreign exchange during the year.

23. BORROWINGS:

The Company has not availed of any term Loans during the FY 2024 - 25.

24. NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR:

Your Company does not have any subsidiary, joint venture or Associate Company

25. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has implemented the Right to Information Act, 2005 to provide information to the citizens of India and also to maintain accountability and transparency in the working of the Company. During the year under report no applications were received under RTI Act.

26. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A report on corporate Governance for the year ended 31st March, 2025 is enclosed as **Annexure – 3**.

27. COST RECORDS:

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

28. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT
WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013
AND WOMEN EMPOWERMENT

No. of employees – Nil.

29.WHISTLE BLOWER POLICY:

No. of employees – Nil.

30. MATERNITY BENEFIT ACT 1961

No. of Employees – Nil.

For and on behalf of the Board of Directors of
Sethusamudram Corporation Limited

Place: Chennai
Date: 30.07.2025

Sd/-
Chairman cum Managing Director
(DIN No.01310101)

JOHN O. & ASSOCIATES

Annexure - 1

Company Secretarial Auditors

Dr. J. John Ohilvi, M.Com., L.L.B., FCS., Ph.D., IP, RV
Company Secretary, Insolvency Professional,
Registered Valuer, Forensic Auditor & Social Auditor

3/95A, East of Medical College,
Asaripallam - 629201,
Nagercoil, Tamil Nadu.
Cell: 098421-34891, 095788-08888
Ph: 04652-234289
E-mail: johnohilvi@yahoo.co.in
Website: www.johnohilvi.com

Date:

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

*[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]*

To,

THE MEMBERS,
SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED
NATIONAL INSTITUTE OF PORTMANAGEMENT
EAST COAST ROAD UTHANDI,
CHENNAI - 600119

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED (CIN: U75111TN2004GOI054824)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion there on.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025 complied with the statutory provisions listed here under and also that the Company has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made herein.



I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013(the Act)and the rules made there under;

The Company has completed with the procedure laid under the Companies Act 1956/2013, forms, returns in this connection have been filed.

However, the company is yet to appoint Independent Directors, into the Board.

- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the RegulationsandBye-lawsframed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under.
- (v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable as the company is unlisted Public Government Company. :-
- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,1992;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.



(vi) As informed to me the following other laws specifically applicable to the Company as under.

1. Payment of Wages Act, 1936
2. The Minimum Wages Act, 1948
3. The Equal Remuneration Act, 1976
4. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
5. The Child Labour Prohibition and Regulation Act, 1986
6. The Environment Protection Act 1986.
7. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The company being unlisted Public Company the Listing Agreements as described by the Stock Exchanges is not applicable.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above subject to the following observation.

The company is yet to commence its commercial operations, and the company is the stage of taking up projects which requires sanction of various government departments.

I further report that:-

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors and Nominee Directors except the appointment of Independent Directors, and Company Secretary. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for active participation at the meeting.



Decision is carried through while the dissenting members views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that there are systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period there were no specific events/ actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulation, guidelines, etc, having a major bearing on the companies affairs.

Place: Nagercoil

Date: 28/07/2025



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. John Ohilvi".

J. JOHN OHILVI

FCS: 4513 / CP: 4010

UDIN: F004513G000878155

ANNEXURE - I

To

THE MEMBERS

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED,
NATIONAL INSTITUTE OF PORTMANAGEMENT
EAST COAST ROAD UTHANDI,
CHENNAI - 600119

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Place: Nagercoil

Date: 28/07/2025



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. John Ohilvi".

J. JOHN OHILVI
FCS: 4513 / CP: 4010

UDIN: F004513G000878155

FORM NO. MGT-7

[Pursuant to sub-Section(1) of section 92 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of rule 11of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]



Annual Return

(other than OPCs and Small Companies)

Form language ☒ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

(i) * Corporate Identification Number (CIN) of the company

U75111TN2004GOI054824

Pre-fill

Global Location Number (GLN) of the company

* Permanent Account Number (PAN) of the company

AAICS8428D

(ii) (a) Name of the company

SETHUSAMUDRAM CORPORAT

(b) Registered office address

NATIONAL INSTITUTE OF PORTMANAGEMENT
EAST COAST ROAD UTHANDI
CHENNAI
Chennai
Tamil Nadu
600110

(c) *e-mail ID of the company

SC*****IL.COM

(d) *Telephone number with STD code

04*****51

(e) Website

(iii) Date of Incorporation

06/12/2004

(iv)	Type of the Company	Category of the Company	Sub-category of the Company
	Public Company	Company limited by shares	Union Government Company

(v) Whether company is having share capital

☒ Yes

☐ No

(vi) *Whether shares listed on recognized Stock Exchange(s)

☐ Yes

☒ No

(b) CIN of the Registrar and Transfer Agent

Pre-fill

Name of the Registrar and Transfer Agent

Registered office address of the Registrar and Transfer Agents

(vii) *Financial year From date (DD/MM/YYYY) To date (DD/MM/YYYY)

(viii) *Whether Annual general meeting (AGM) held ☒ Yes ☐ No

(a) If yes, date of AGM

(b) Due date of AGM

(c) Whether any extension for AGM granted ☒ Yes ☐ No

(d) If yes, provide the Service Request Number (SRN) of the application form filed for extension

Pre-fill

(e) Extended due date of AGM after grant of extension

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

*Number of business activities

S.No	Main Activity group code	Description of Main Activity group	Business Activity Code	Description of Business Activity	% of turnover of the company
1	H	Transport and storage	H3	Water transport	0

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

*No. of Companies for which information is to be given

Pre-fill All

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/Associate/ Joint Venture	% of shares held
1				

IV. SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

(i) *SHARE CAPITAL

(a) Equity share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Total number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Total amount of equity shares (in Rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

Number of classes

1

Class of Shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Nominal value per share (in rupees)	10	10	10	10
Total amount of equity shares (in rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

(b) Preference share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid-up capital
Total number of preference shares	0	0	0	0
Total amount of preference shares (in rupees)	0	0	0	0

Number of classes

0

Class of shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of preference shares				
Nominal value per share (in rupees)				
Total amount of preference shares (in rupees)				

(c) Unclassified share capital

Particulars	Authorised Capital
Total amount of unclassified shares	0

(d) Break-up of paid-up share capital

Class of shares	Number of shares			Total nominal amount	Total Paid-up amount	Total premium
Equity shares	Physical	DEMAT	Total			
At the beginning of the year	745,000,000	0	745000000	7,450,000,000	7,450,000,000	

Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Pubic Issues	0	0	0	0	0	0
ii. Rights issue	0	0	0	0	0	0
iii. Bonus issue	0	0	0	0	0	0
iv. Private Placement/ Preferential allotment	0	0	0	0	0	0
v. ESOPs	0	0	0	0	0	0
vi. Sweat equity shares allotted	0	0	0	0	0	0
vii. Conversion of Preference share	0	0	0	0	0	0
viii. Conversion of Debentures	0	0	0	0	0	0
ix. GDRs/ADRs	0	0	0	0	0	0
x. Others, specify <input type="text"/>						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Buy-back of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify <input type="text"/>						
At the end of the year	745,000,000	0	745000000	7,450,000,0	7,450,000,	
Preference shares						
At the beginning of the year	0	0	0	0	0	
Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Issues of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Re-issue of forfeited shares	0	0	0	0	0	0
iii. Others, specify <input type="text"/>						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Redemption of shares	0	0	0	0	0	0

ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify						
At the end of the year	0	0	0	0	0	

ISIN of the equity shares of the company

(ii) Details of stock split/consolidation during the year (for each class of shares)

0

Class of shares		(i)	(ii)	(iii)
Before split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			
After split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			

(iii) Details of shares/Debentures Transfers since closure date of last financial year (or in the case of the first return at any time since the incorporation of the company) *

☒ Nil

[Details being provided in a CD/Digital Media]

☐

Yes

☐

No

☐

Not Applicable

Separate sheet attached for details of transfers

☐

Yes

☐

No

Note: In case list of transfer exceeds 10, option for submission as a separate sheet attachment or submission in a CD/Digital Media may be shown.

Date of the previous annual general meeting		<input type="text"/>	
Date of registration of transfer (Date Month Year)		<input type="text"/>	
Type of transfer	<input type="text"/>	1 - Equity, 2- Preference Shares, 3 - Debentures, 4 - Stock	
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred	<input type="text"/>	Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)	<input type="text"/>

Ledger Folio of Transferor			
Transferor's Name			
	Surname	middle name	first name
Ledger Folio of Transferee			
Transferee's Name			
	Surname	middle name	first name

Date of registration of transfer (Date Month Year)			
Type of transfer		1 - Equity, 2- Preference Shares,3 - Debentures, 4 - Stock	
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred		Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)	
Ledger Folio of Transferor			
Transferor's Name			
	Surname	middle name	first name
Ledger Folio of Transferee			
Transferee's Name			
	Surname	middle name	first name

(iv) *Debentures (Outstanding as at the end of financial year)

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Non-convertible debentures	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0
Fully convertible debentures	0	0	0
	31		

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Total			0

Details of debentures

Class of debentures	Outstanding as at the beginning of the year	Increase during the year	Decrease during the year	Outstanding as at the end of the year
Non-convertible debentures	0	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0	0
Fully convertible debentures	0	0	0	0

(v) Securities (other than shares and debentures)

0

Type of Securities	Number of Securities	Nominal Value of each Unit	Total Nominal Value	Paid up Value of each Unit	Total Paid up Value
Total					

V. *Turnover and net worth of the company (as defined in the Companies Act, 2013)

(i) Turnover

0

(ii) Net worth of the Company

8,151,050,000

VI. (a) *SHARE HOLDING PATTERN - Promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	495,000,000	66.44	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	

3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	
8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	250,000,000	33.56	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	745,000,000	100	0	0

Total number of shareholders (promoters)

8

(b) *SHARE HOLDING PATTERN - Public/Other than promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	0	0	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	
3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	

8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	0	0	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	0	0	0	0

Total number of shareholders (other than promoters)

0

**Total number of shareholders (Promoters+Public/
Other than promoters)**

8

VII. *NUMBER OF PROMOTERS, MEMBERS, DEBENTURE HOLDERS
(Details, Promoters, Members (other than promoters), Debenture holders)

Details	At the beginning of the year	At the end of the year
Promoters	8	8
Members (other than promoters)	0	0
Debenture holders	0	0

VIII. DETAILS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

(A) *Composition of Board of Directors

Category	Number of directors at the beginning of the year		Number of directors at the end of the year		Percentage of shares held by directors as at the end of year	
	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive
A. Promoter	1	4	1	0	0	0
B. Non-Promoter	0	0	0	0	0	0
(i) Non-Independent	0	0	0	0	0	0
(ii) Independent	0	0	0	0	0	0
C. Nominee Directors representing	0	2	0	7	0	0
(i) Banks & FIs	0	0	0	0	0	0
(ii) Investing institutions	0	0	0	0	0	0
(iii) Government	0	2	0	7	0	0
(iv) Small share holders	0	0	0	0	0	0
			34			

(v) Others	0	0	0	0	0	0
Total	1	6	1	7	0	0

Number of Directors and Key managerial personnel (who is not director) as on the financial year end date 8

(B) (i) *Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year

Name	DIN/PAN	Designation	Number of equity share(s) held	Date of cessation (after closure of financial year : If any)
HARANADHLAKSHMI	07295378	Nominee director	0	
SUNIL PALIWAL	01310101	Managing Director	0	
PRADEEPKUMARRO	10395264	Nominee director	0	
JESUDASANPETERIR	08839241	Nominee director	0	
DURGESHKUMARDU	09207436	Nominee director	0	
S.DIVAKAR	09675405	Nominee director	0	24/06/2024
GOPINATH NAYAK	10078138	Nominee director	0	30/10/2024
BIMAL KUMAR JHA	07059268	Nominee director	0	24/06/2024

(ii) Particulars of change in director(s) and Key managerial personnel during the year

3

Name	DIN/PAN	Designation at the beginning / during the financial year	Date of appointment/ change in designation/ cessation	Nature of change (Appointment/ Change in designation/ Cessation)
THANALAPATHY KI	03104487	Director	30/08/2023	Cessation
RAMA MOHANA RA	07620951	Nominee director	30/08/2023	Cessation
PARMESHWAR BAI	09128834	Nominee director	19/12/2023	Cessation

IX. MEETINGS OF MEMBERS/CLASS OF MEMBERS/BOARD/COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

A. MEMBERS/CLASS /REQUISITIONED/NCLT/COURT CONVENED MEETINGS

Number of meetings held

1

Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members entitled to attend meeting	Attendance	
			Number of members attended	% of total shareholding
ANNUAL GENERAL MEETI	29/12/2023	35	6	86

B. BOARD MEETINGS

*Number of meetings held

4

S. No.	Date of meeting	Total Number of directors associated as on the date of meeting	Attendance	
			Number of directors attended	% of attendance
1	02/05/2023	5	2	40
2	30/08/2023	5	4	80
3	19/12/2023	5	4	80
4	28/03/2024	5	4	80

C. COMMITTEE MEETINGS

Number of meetings held

1

S. No.	Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members as on the date of the meeting	Attendance	
				Number of members attended	% of attendance
1	AUDIT COMM	30/08/2023	3	3	100

D. *ATTENDANCE OF DIRECTORS

S. No.	Name of the director	Board Meetings			Committee Meetings			Whether attended AGM held on
		Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	23/12/2024
								(Y/N/NA)
1	HARANADHL	4	3	75	1	1	100	Yes
2	SUNIL PALIW	4	4	100	1	1	100	Yes
3	PRADEEPKU	2	2	100	0	0	0	Yes
4	JESUDASANF	3	3	100	0	0	0	Yes
5	DURGESHKU	3	2	66.67	0	0	0	Yes
6	S.DIVAKAR	4	4	100	1	1	100	Yes
7	GOPINATH N.	4	4	100	0	0	0	No
8	BIMAL KUMA	3	1	33.33	0	0	0	No

X. *REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL☒ Nil

Number of Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of CEO, CFO and Company secretary whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of other directors whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

XI. MATTERS RELATED TO CERTIFICATION OF COMPLIANCES AND DISCLOSURES

* A. Whether the company has made compliances and disclosures in respect of applicable provisions of the Companies Act, 2013 during the year ☐ Yes ☒ No

B. If No, give reasons/observations

As per Secretarial Auditor Report

XII. PENALTY AND PUNISHMENT - DETAILS THEREOF(A) DETAILS OF PENALTIES / PUNISHMENT IMPOSED ON COMPANY/DIRECTORS /OFFICERS ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which penalised / punished	Details of penalty/ punishment	Details of appeal (if any) including present status

(B) DETAILS OF COMPOUNDING OF OFFENCES ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which offence committed	Particulars of offence	Amount of compounding (in Rupees)

XIII. Whether complete list of shareholders, debenture holders has been enclosed as an attachment

☒ Yes ☐ No

XIV. COMPLIANCE OF SUB-SECTION (2) OF SECTION 92, IN CASE OF LISTED COMPANIES

In case of a listed company or a company having paid up share capital of Ten Crore rupees or more or turnover of Fifty Crore rupees or more, details of company secretary in whole time practice certifying the annual return in Form MGT-8.

Name

J.JOHN OHILVI

Whether associate or fellow

☐ Associate ☒ Fellow

Certificate of practice number

4010

I/We certify that:

- (a) The return states the facts, as they stood on the date of the closure of the financial year aforesaid correctly and adequately.
(b) Unless otherwise expressly stated to the contrary elsewhere in this Return, the Company has complied with all the provisions of the Act during the financial year.

Declaration

I am Authorised by the Board of Directors of the company vide resolution no. ... dated

(DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

- Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Note: Attention is also drawn to the provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

To be digitally signed by

Director

Sunil Paliwal
Digitally signed by Sunil Paliwal
Date: 2025.01.28
17:12:29 +05'30'

DIN of the director

0*3*0*0*

To be digitally signed by

JOHN OHILVI
Digitally signed by JOHN OHILVI
Date: 2025.01.29
10:26:39 +05'30'

- ☐ Company Secretary
- ☒ Company secretary in practice

Membership number

4*1*

Certificate of practice number

4*1*

Attachments

1. List of share holders, debenture holders
2. Approval letter for extension of AGM;
3. Copy of MGT-8;
4. Optional Attachement(s), if any

Attach

Attach

Attach

Attach

List of attachments

Share Holders List_Sethusamudram Corpc

Approval letter for extention of AGM_Sethu

FORM MGT-8_SETHUSAMUDRAM_2024

Remove attachment

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**1. COMPANY'S PHILOSOPHY**

The Department of Public Enterprises (DPE) had issued Guidelines on Corporate Governance for listed and unlisted Central Public-Sector Enterprises (CPSEs). The Board of Directors of your Company strongly supports the principles of Corporate Governance which involves Board, employees, shareholders and other stakeholders. The management and employees of the Company are committed to uphold the core values of transparency, integrity, honesty and accountability.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition and category of the Board of Directors, as on 31.03.2025 is as below:

S.No	Name of the Director	Representing Port/Company
01	Shri. Sunil Paliwal, IAS (DIN no.01310101)	Chairman-cum-Managing Director
02	Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS (DIN no.08839241)	Nominee Director representing Kamarajar Port Limited
03	Shri. Susanta Kumar Purohit, IRSEE (DIN no.09725013)	Nominee Director representing V.O. Chidambaranar Port Authority
04	Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh, IRTS (DIN no.07295378)	Nominee Director representing Paradip Port Authority
05	Shri. Durgesh Kumar Dubey, IRTS (DIN no.09207436)	Nominee Director representing Visakhapatnam Port Authority & Dredging Corporation of India Ltd
06	Shri. Pradeep Kumar Roy (DIN no.09128834)	Nominee Director representing MoPS&W
07	Shri. Rituraj Misra (DIN no.02636799)	Nominee Director representing MoPS&W
08	Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN no.10104264)	Nominee Director representing Shipping Corporation of India Ltd

The Board of Directors of the company consists of Chairman / Dy. Chairman / Director(s) from the participating Major Ports and Chairman-cum-Managing Directors / Director (s) of participating CPSUs on ex-officio basis and nominees from the Ministry of Shipping, representing Government of India.

As per Article 122 (b) and 125A of our company, the Directors representing VoCPA and SCI shall be non-rotational Directors. The Directors appointed by the President of India shall not be liable to retire at General Meeting of the Company.

As per Article 162, of our company, the Chairman-cum-Managing Director or Managing Director shall not be liable to retirement by rotation so long as he holds office as Chairman-cum-Managing Director or Managing Director.

The Chairman-cum-Managing Director and Managing Director shall subject to such sanction by the Central Government as by law required, receive such remuneration (Whether by way of salary, commission or participation in profits or partly in one way and partly in another) as the Company in General Meeting may from time to time determine.

2.2 Composition and category of the Board of Directors during the financial year 2024-25 and up to date of this report:

S.No	Name of the Director	Category	Date of appointment	Date of cessation
01	Shri. Sunil Paliwal, IAS (DIN no.01310101)	Chairman-cum-Managing Director	23.10.2019	Continue
02	Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh, IRTS (DIN no.07295378)	Nominee Director	13.12.2021	Continue
03	Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS (DIN No.08839241)	Nominee Director	30.08.2023	Continue
04	Shri. Durgesh Kumar Dubey, * IRTS (DIN No.09207436)	Nominee Director	30.08.2023	Continue
05	Shri. Susanta Kumar Purohit, IRSEE (DIN no. 09725013)	Additional Director	24.06.2024	Continue
06	Shri. Pradeep Kumar Roy, (DIN No.10395264)	Nominee Director	19.12.2023	Continue

07	Shri. Rituraj Misra (DIN no. 02636799)	Nominee Director	04.02.2025	Continue
08	Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN No. 10104264)	Additional Director	04.02.2025	Continue
09	Shri. Bimal Kumar Jha (DIN No.07059268)	Nominee Director	30.08.2023	24.06.2024
10	Capt. S. Divakar (DIN no.09675405)	Nominee Director	28.10.2022	24.06.2024
11	Shri. Gopinath Nayak (DIN no.10078138)	Nominee Director	17.03.2023	30.10.2024

- Shri. Durgesh Kumar Dubey, IRTS (DIN No.09207436) – has been appointed as Additional Director representing DCI in addition to Vishakhapatnam Port Authority

Your Directors would like to place on record their appreciation for their valuable services and guidance received from Capt. S. Divakar, Erstwhile MD & CEO representing DCI, Shri. Bimal Kumar Jha, Erstwhile Dy. chairperson representing V.O. Chidambaranar Port Authority and Shri. Gopinath Nayak, Erstwhile Dy. Secretary to the Govt of India, MoPS&W during their tenure on the Board of your Company.

During the year under review, your Company did not have required number of Independent Directors. As your Company is a public-sector undertaking, Independent Director has to be appointed by Ministry of Port, Shipping & Waterways. Your Company has taken up the matter with the Ministry of Port, Shipping & Waterways, GOI.

2.3 Attendance of each Director at the Meetings held during the year 2024-25 (01.04.2024 to 31.03.2025) on 24.06.2024, 22.10.2024, 30.10.2024 and 04.02.2025 and the last AGM held on 23.12.2024.

Name of Director	Designation of the Director	No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2024-25		Attendance of Last AGM
		Held	Attended	
Shri. Sunil Paliwal (DIN no.01310101)	Chairman cum Managing Director	4	4	Yes
Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh (DIN no.07295378)	Director Non – Executive	4	2	No
Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS (DIN No.08839241)	Director Non – Executive	4	4	No
Shri. Durgesh Kumar Dubey, IRTS (DIN No.09207436)	Director Non – Executive	4	4	No
Shri. Susanta Kumar Purohit, IRSEE (DIN no. 09725013)	Director Non – Executive	4	1	Yes
Shri. Pradeep Kumar Roy, (DIN No.10395264)	Director Non – Executive	4	4	Yes
Shri. Rituraj Misra (DIN no.02636799)	Director Non – Executive	1	1	NA
Rear Admiral Jaswinder Singh (DIN no.10104264)	Director Non – Executive	1	1	NA
Shri. Gopinath Nayak (DIN No.10078138)	Director Non – Executive	1	1	No

3. COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE

3.1 The Audit committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2025.

Name of Directors	Position
Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh, IRTS (DIN No: 07295378)	Chairman
Shri. Sunil Paliwal, IAS (DIN no:01310101)	Member
Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS (DIN no.08839241)	Member

3.2 Meetings and Attendance during the year:

During the year 2024-25, one Audit Committee meeting was held on 30.10.2024 and the attendance of Members is as detailed below:

Name of Directors	Position	No. of Meetings during tenure	Attendance by Members	
			No. of Meetings	Percentage (%)
Shri. Polamraju Lakshmi Haranadh, IRTS (DIN No: 07295378)	Chairman	01	01	100
Shri. Sunil Paliwal, IAS (DIN no:01310101)	Member	01	01	100
Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS (DIN no.08839241)	Member	01	01	100

4. GENERAL BODY MEETING

The venue, date and time of the AGMs held during the preceding three years are as under:

Year	Venue	Date	Time	Special Resolution Passed
2023-24	Board Room of Chennai Port Trust, Chennai – 600 001.	23.12.2024	03:00 PM	NIL
2022-23	Board Room of Chennai Port Trust, Chennai – 600 001.	29.12.2023	03:00 PM	NIL
2021-22	Board Room of Chennai Port Trust, Chennai – 600 001.	30.12.2022*	04:00 PM	NIL

* The AGM was Adjourned on 30.12.2022 and the Adjourned AGM was held on 27.01.2023 at 03:30 PM in JKR Resort, Rameswaram.

5. DISCLOSURES

- (i) Related Party Transactions are set out in Note No.25 to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2025 in the Annual Report.
- (ii) The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- (iii) Your Company has a Whistle Blower Policy and no personnel of the Company has been denied access to the Audit Committee.
- (iv) The Presidential Directives and orders of the Central Government from time to time on reservation of posts/benefits in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. is not applicable for your company as there are no permanent employees in your company.
- (v) No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred for the Board of Directors and Top Management which was personal in nature.
- (vi) Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts.
- (vii) The Company has complied with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance, Certificate of Practicing Company Secretary on compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance is enclosed as Annexure – 4 which is self-explanatory.

6. INDUSTRIAL RELATIONS

During the year, No. of employees – Nil.

7. ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors acknowledge gratefully the support and guidance received from the officials of Ministry of Shipping, Government of India, participating Ports, Shipping Corporation of India, Dredging Corporation of India Ltd, Ministry of Environment and Forests, Indian Port Association etc., Your Directors also take this opportunity to thank the support and co-operation of the Bankers, and all employees of the company.

For and on behalf of the Board of Directors of
Sethusamudram Corporation Ltd

Sd/-

Chairman cum Managing Director
(DIN No.01310101)

Place: Chennai
Date: 30.07.2025

JOHN O. & ASSOCIATES

Annexure - 4

Company Secretarial Auditors

Dr. J. John Ohilvi, M.Com., L.L.B., FCS., Ph.D., IP, RV

Company Secretary, Insolvency Professional,
Registered Valuer, Forensic Auditor & Social Auditor

3/95A, East of Medical College,
Asaripallam - 629201,
Nagercoil, Tamil Nadu
Cell: 098421-34891, 095788-08888
Ph: 04652-234289
E-mail: johnohilvi@yahoo.co.in
Website: www.johnohilvi.com

Date:

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

THE SHAREHOLDERS
M/s. SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED
CIN: U75111TN2004GOI054824
National Institute Of Port Management,
East Coast Road, Uthandi,
Chennai, Tamil Nadu, India-600119.

We have examined the compliance of condition of Corporate Governance by M/s. Sethusamudram Corporation Limited, (CIN: U75111TN2004GOI054824) for the year ended March 31, 2025 as per the guidelines issued by Department of public enterprises (DPE) vide reference No.18(8)/2005-GM dated 14th May 2010.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.



In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of corporate Governance, as per the guidelines issued by department public enterprises (DPE) vide reference No.18 (8)/2005-GM dated 14th May 2010, except the conditions with regard to appointment of Independent Director as envisaged in condition 3.1.4 of the Guidelines.

We state that such compliance is neither an assurance as to the further viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

Place : Nagercoil

Date : 28/07/2025



J. JOHN OHILVI

FCS: 4513 / C.P.NO.:4010

(UDIN: F004513G000878155)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय, चेन्नै
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
इंडियन ऑयल भवन, स्तर 2,
139, महात्मा गांधी मार्ग,
चेन्नै - 600 034



Office of the Principal Director of
Commercial Audit, Chennai
Indian Audit and Accounts Department
Indian Oil Bhavan, Level - 2,
139, Mahatma Gandhi Road, Chennai-600 034
Dated: 12/08/2025

No. PDCA/CA-II/4-126/2025-26/342

To

The Chairman-cum-Managing Director,
Sethusamudram Corporation Limited,
Old Administration Building,
4th floor, Chennai Port Authority
Chennai - 600 001.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Sethusamudram Corporation Limited, for the year ended 31 March 2025.

I am to forward herewith comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Sethusamudram Corporation Limited, for the year ended 31 March 2025.

Two copies of Printed Annual Report of your company may be arranged to be forwarded to this office. The date of conducting Annual General Meeting of the company may be intimated.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged

Yours faithfully,

S. Velliangiri
(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Encl: Audit Certificate

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED,
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025.**

The preparation of financial statements of Sethusamudram Corporation Limited, for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 01.08.2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Sethusamudram Corporation Limited, for the year ended 31 March 2025 under section 143 (6) (a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India


(S. VELLIANGIRI)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai
Date: 12.08.2025



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF M/s. SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Standalone Indian Accounting Standards (Ind AS) Financial Statements

Adverse Opinion

We have audited the accompanying Standalone Ind AS financial statements of **M/s.SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED** ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch 2025, the Statement of Profit and Loss including OtherComprehensive income, Statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flowsfor the year then ended and notes to the standalone Ind AS financial statements, includinga summary of the significant accounting policies and other explanatory information forthe year then ended.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations givento us, due to the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinionsection of our report, the aforesaid standalone Ind AS financial statements do not give atrue and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read withCompanies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), of the state of affairs of the Company as at 31 March, 2025, its Loss including other comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Adverse Opinion

1. The Company has not begun commercial operations till date since inception from 2004.Capital dredging work was suspended on the direction of H'ble Supreme court in2007 due to various litigations. Company has also sold various operational assets like tugs, navigational aids, launches, buoys due to cessation of operational activities from the year 2009 and onwards. As per directions of MoS vide letter dated 18.06.2019, SCL in its 59th Board meeting dated 28.06.2019 accorded approval for sending the proposal

"Kadambari", 1st Floor, 35, Cathedral Road, Chennai - 600 086.

Phone : 2811 5010 / 11 / 12 / 13

E-mail : auditors@raviandraghu.com / mailmeoffice@gmail.com Website : raviandraghu.in



of closure of the company to MoS after obtaining legal opinion. The Additional Solicitor General has opined on 13.12.2019 that the corporation can be wound up under Section 272 of the Companies Act, 2013 subject to other conditions. In the meeting chaired by Hon'ble Minister of State for Ports, Shipping & Waterways to discuss the closure of the company on 29.04.2021; the process of settlement of dues to Dredging Corporation of India was discussed.

2. The Ministry of Ports, Shipping & Waterways as per the communication dated 24.06.2021 has requested decision to be taken regarding the balance of amount due to Dredging Corporation of India and to draw a timeline for completion of activities for closure of the company within 6 months. There has been no further development on this till the date of this report.
3. As per Ind AS 1 -Presentation of Financial Statements, when preparing financial Statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. The evidences obtained and circumstances indicate the existence of material uncertainty that cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern and hence the Financial Statements shall not be prepared on a going concern basis.
4. The impairment value of the assets and liabilities are to be recognized in the standalone Ind AS financial statements and we are unable to quantify the amount of impairment value in the absence of adequate information and non-availability of technical reports. The company may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. The financial statements do not adequately disclose this matter.
5. Further relevant paragraphs ongoing concern in Ind AS 10: Events after Reporting Period, as applicable, are also reproduced herein below:

"An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so."

"Deterioration in operating results and financial position after the reporting period may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this



standard requires a fundamental change in the basis of accounting, rather than an adjustment to the amounts recognized within the original basis of accounting."

Thus, Ind AS 10 prohibits preparation of financial statements on going concern basis, even if the going concern assumption ceases to exist after the reporting date. Therefore, it is also applicable for a company which has discontinued its operation and thus going concern assumption ceased to exist before the reporting date itself.

In the Significant Accounting Policies (Note 2) containing the 'Basis of Preparation' the company has stated that "The financial statements comply in all material aspects with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Companies (Ind AS) Rules, 2015 and other relevant provisions of the Act."

The financial statements produced to us for audit have been prepared with the basic assumption of going concern which is not valid due to the reasons mentioned above. Thus, the assertion of the company that the financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards is not tenable, since Ind AS 1 and Ind AS 10 do not permit the preparation of financial statements on going concern assumption in such situation.

In the Significant Accounting Policies (Note 2), the Company has stated that "The financial statements comply in all material aspects with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Ind AS) Rules, 2015 and other relevant provisions of the Act." This assertion is not tenable in the current context. The continued preparation of financial statements on a going concern basis, despite the above facts, is in violation of Ind AS requirements and results in material misstatement of the financial position and performance.

6. Confirmation of balance in respect of Note no.6,7 and 16 of notes to standalone Ind AS financial statements regarding Sundry Adjustments, Capital advances, Trade receivables, Deposits and Provision for Capital Dredging to be obtained and reconciled.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone Ind AS financial statements under the provisions of the



Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our adverse opinion.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management discussion and analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report and Corporate Governance Report but does not include the standalone Ind AS financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone Ind AS financial statements does not cover information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone Ind AS financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have concluded that such material misstatement of the other information exist in respect of matters described in the basis for adverse opinion section above.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone Ind AS financial statements of the Current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the matter described in the Basis for Adverse Opinion section we have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.



S.No.	Key Audit Matters	Auditors Response
1.	<p><u>Dues to Dredging Corporation of India(DCI):</u></p> <p>Many committees were formed to resolve the balance dues payable by the Company to Dredging Corporation of India. Finally, MOS constituted a committee with AS & FA/MOS, JS(P) & DA(P). The Company had made some payments with the available funds and the Company has requested a grant of Rs.115.72 Crores from Govt. of India in May 2019. During the FY 2021-22, an amount of Rs. 20 Crores has been paid to DCI. Amount payable to DCI now is Rs.65.72 Crores.</p>	<p>Based on the communication available with the Company and discussions with the management, we understand that the grant requested from Govt. of India is yet to be received.</p>
2.	<p><u>Provisions and Contingent Liabilities:</u></p> <p>The Company is subject to a number of legal and regulatory cases for which final outcome cannot be easily predicted and which could potentially result in insignificant liabilities.</p> <p>Management's disclosures with regards to contingent liabilities are presented in Note No. 24 to the Standalone Ind AS Financial Statements.</p> <p>The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions. This requires use of judgment to establish the level of provisioning, increases the risk that provisions and contingent liabilities may not be appropriately provided against or adequately disclosed.</p>	<p>In order to get a sufficient understanding of litigations and contingent liabilities, we have discussed the process of identification implemented by the Management for such provisions through various discussions with Company's personnel and management. We read, where applicable, external legal or regulatory advice sought by the Company. We discussed with the Company certain material cases noted in the report to determine the Company's assessment of the likelihood, magnitude and accounting of any liability that may arise.</p> <p>Status of the legal cases filed and pending for disposal as on 31 March</p>



	Accordingly, this matter is considered to be a key audit matter.	2025 was analysed. In light of the above, we reviewed the amount of provisions recorded and exercised our professional judgment to assess the adequacy of disclosures in the Standalone Ind AS financial statements.
--	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsibilities of Management and those charged with Governance for the Ind AS Financial Statements.

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including Other Comprehensive income, Changes in Equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued there under. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that are operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management and Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.



Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- i. Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- ii. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- iii. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone Ind AS financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our



conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. Please also refer 'Basis for Adverse Opinion' section above.

- v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone Ind AS financial statements, including the disclosures, and whether the standalone Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone Ind AS financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

1. As required by the provisions of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 we give in Annexure A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;



- ii. Except for the effects of the matters described in the Basis for Adverse Opinion paragraph above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
- iii. The balance sheet, the statement of profit and loss, statement of changes in equity and statement of cash flows dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- iv. Except for the effects of the matters described in the Basis for Adverse Opinion paragraph above, in our opinion, the aforesaid Ind AS standalone financial statements comply with the Indian accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
- v. As per notification no. GSR 463(E) dated 05.06.2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 is not applicable to Government Company;
- vi. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls refer to our separate report in Annexure B; and
- vii. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone Ind AS financial statements; Refer note No. 24 to the standalone Ind AS financial statements.

- a) The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
- b) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.



3. As required by Section 143(5) of the Companies Act, 2013, we give in Annexure C, statement on the matters specified in the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Company.
4. As per notification no.GSR 463(E) dated 05.06.2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Companies Act, 2013 is not applicable to Government Company.
5. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- (c) Based on such audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) as provided under (a) and (b) contain any material mis-statement.
6. The Company has not declared any dividend U/s.123 of the Companies Act,2013.



7. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not used accounting software having an audit trail (edit log) feature for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025, as required under the proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended. Accordingly, the Company has not preserved the audit trail as mandated, and the reporting under Rule 11(g) reflects such non-compliance.

Place: Chennai.
Date: 01.08.2025

For RAVI & RAGHU
Chartered Accountants
Firm Reg. No.005060S


(K RAVI)

Partner
M.No.026783
UDIN: 25026783BMIXQO9287



ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 1 under Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report of even date)

- a) (A) In our opinion, the Company is adequately maintaining proper recordsshowing full particulars, including quantitative details and location of Property, Plant & Equipment. However, the same needs further improvement.
- (B) Company has no Intangible Assets during the year. Accordingly, the reporting under Clause 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable to the Company.
- b) According to the information and explanations given to us, all the Property, Plant & Equipment have not been physically verified by the management at reasonable intervals. The last physical verification was conducted by the company as on 19" November 2020. No material discrepancies were noticed during the last verification.
- c) According to information and explanations given to us, the company has no immovable properties and verification of original Title deeds does not arise.
- d) Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment during the year. Hence not commented upon.
- e) Based on the information and explanations furnished to us, no proceedings have been initiated on or are pending against the Company for holding benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act,1988 (as amended in 2016) (formerly the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988)) and Rules made thereunder, and therefore the question of our commenting on whether the Company has appropriatelydisclosed the details in its financial statements does not arise.
- i. According to the information and explanations given to us, there were noinventories hence this clause (ii) is not applicable to the Company.



- ii. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to Companies, Firms, Limited Liability partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the provisions of clause (iii) (a) to (c) of the Order are not applicable to the Company.
- iii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, in respect of loans, investments, guarantees and security, the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.
- iv. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposit and within the meaning of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.
- v. Maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the companies Act, 2013.
- vi. (a) According to the information and explanations given to us, the Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Goods and Service Tax, Duty of Custom, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues, wherever applicable, with the appropriate authorities during the year and no undisputed amounts payable were outstanding as at March 31 2025 for a period of more than six months from the day on which they became payable.

(Rs. In Lakhs)

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount	Period to which the Amount relates (Financial Years)	Due date	Date of payment
Tax Deducted at Source Income Tax	Short Deduction, Interest, Late filing fee.	5.12	Earlier years	NA	NA



(b) According to the information and explanations given to us, there are no disputed dues in respect of Sales Tax, Goods and Service Tax, Duty of Custom, Duty of Excise,

Value Added Tax, Cess and any other statutory dues applicable, except income tax as given below:-

(Rs. In Lakhs)

Name of the Statute	Nature of Dues	Gross Amount	Period to which the Amount relates	Forum Where Dispute is pending
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- vii. There were no transactions unrecorded in the books of account that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- viii. According to the information and explanations given to us, the company has not obtained any loans (including debt instruments) during the year either from Financial Institutions or Banks or Government and hence this clause is not applicable to the Company.
- ix. According to the information and explanations given to us, the Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt instruments, preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures. Hence reporting under this clause (x) is not applicable to the Company.
- x. (a) According to the information and explanations given to us for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements by the management, we report that no fraud by the company or on the company by the officers and employees of the company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) Whistle-blower mechanism is not mandatory for the Company and hence not commented upon.



- xi. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, this clause of the Order is not applicable to the Company.
- xii. In our opinion and according to the information and explanation given to us, transactions entered into with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013, where applicable. The details of all transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- xiii. The company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business and the report of the Internal Auditor for the period under audit was considered.
- xiv. According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them.
- xv. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-LA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- xvi. Company has incurred cash losses of Rs.21.51 Lakhs during the financial year covered by our audit and cash losses of Rs.17.54 Lakhs incurred in the immediately preceding financial year.
- xvii. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- xviii. On the basis of ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, there has been material uncertainty as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the



Balance sheet date. We further state that our reporting is based on the facts up to the dates of the audit report.

- xix. Provisions of section 135 of Companies Act 2013 are not applicable to the Company. Hence, reporting under clause 3 (xx) of the Order is not applicable.
- xx. Reporting under clause 3(xxi) of the Order is not applicable in respect of audit of standalone financial statements. Hence, not commented upon.

Place: Chennai.
Date: 01.08.2025

For RAVI & RAGHU

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 005060S



(K RAVI)

Partner

M.No. 026783

UDIN: 25026783BMIXQO9287



ANNEXURE – B TO THE AUDITORS' REPORT

(Referred to our report of even date)

Annexure "B" to the Independent Auditor's Report of M/S. SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED as of and for the year ended March 31, 2025.

(Referred to in paragraph 2 under Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report of even date).

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act") We were engaged to audit the internal financial controls over financial reporting of M/s. Sethusamudram Corporation Limited ("the Company") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit conducted in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance



Note") and the Standards on Auditing, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness.

Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Because of the matter described in Disclaimer of Opinion paragraph below, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company.
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and



3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

According to the information and explanation given to us, the Company has not established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, sufficient appropriate audit evidence were not available to provide a basis for our opinion whether the Company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2025. We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Company and the disclaimer does not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company.

Place: Chennai.
Date: 01.08.2025

For RAVI & RAGHU
Chartered Accountants
Firm Reg. No.005060S


(K RAVI)

Partner
M.No.026783
UDIN: 25026783BMIXQO9287



Annexure- C

To,
The Members of M/s. Sethusamudram Corporation Limited

We report hereunder our comments in respect of the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013, for the financial year ended 31st March, 2025:

S.NO	Directions/Sub-Directions	Action Taken	Impact on Financial Statement (Rs.)
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the Accounts along with the financial implications, If any, may be stated.	According to the information and Explanations given to us, the Company maintains accounts in Tally Software. The company has not begun commercial operations. All the income and expenses are accounted in Tally. No processing of accounting transactions outside IT system has taken place during the year 2024-25.	Not Applicable
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or waiver/write-off of debts/loans /Interest etc., made by lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial Impact may be stated.	According to information and explanations given to us, during the year 2024-25, no cases of restructuring/waiver /write off of debts/loans/interest etc.	Not Applicable



3	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	According to information and explanations given to us, during the year 2024-25, no funds were received/receivable for specific schemes from Central/State agencies.	Not Applicable
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Place: Chennai.
Date: 01.08.2025

For RAVI & RAGHU
Chartered Accountants
Firm Reg. No.005060S



(K RAVI)

Partner

M.No.026783

UDIN: 25026783BMIXQO9287



Name of the Public Sector Undertaking – Sethusamudram Corporation Limited (SCL)

DETAILS OF CASES AND ITS POSITIONS

Sl. No	Name of the Petitioner	Case No and name of the court in which the case is pending	Since when the case is pending	Category / Brief issue of the case	Amount involved (In Rs.)	Present status of the case
1	O. Fernandes Vs. TNPCB, UoI, TPT & Others	WP 33528 & 34436 In the High Court of Madras	2004	The public hearing carried out from 07.09.2004 to be ineffective and stay further public hearing to be held from 19.11.2004 to 30.11.2004. Since the EIA conducted by NEERI is not a comprehensive one and the public hearing not complying with requirements of law.	NIL	All cases are against the implementation of SSCP. All cases are being heard as a single one. An affidavit has been filed on 16.03.2018, stating “that the Govt of India intends to explore an alternative to the earlier alignment of Sethusamudram Ship Channel Project without affecting/damaging the Adam’s Bridge/Ram Sethu in the interest of the nation. The Hon’ble Court may dispose of the petitions accordingly. Further, the case heard on 11.12.2023, the Hon’ble Supreme Court of India made the following order “Common sole petitioner is dead. Ld. Counsel for the petitioner has not cured the defects in the Application for substitution, despite last opportunity having been granted. Registry to process

						the matters for listing before the Hon'ble Judge in Chambers for necessary directions". Lastly the case was heard on 03.03.2025, and posted for hearing after six weeks. Awaiting for final judgment.
2	O. Fernandes Vs UoI, MoE&F, TPT, NPCB & Others	WP 21532 of & WP MP nos 23473 to 23475. In the High Court of Madras.	2005	Quash the environmental clearance dated 31.03.2005	NIL	As above
3	O. Fernandes Vs UoI & Others	SLP (C) 19176 & SLP (C) 20758. In the Hon'ble Supreme Court of India.	2005	(a) Stay the operation of Final judgment and order dated 30.06.2005 in WP (C) 21532/2005 passed by the High Court of Judicature at Madras. (b) Stay further implementation of Sethusamudram Ship Channel Project SSCP) being undertaken by the respondent	NIL	As above
4	Shri. Ramagopalan Vs UoI & Others	WP No 18076. Subsequently these become transfer case (C), 25 at Hon'ble Supreme Court of India.	2007	Adams Bridge be not demolished by following alignment no.6 and directing the respondent to consider completion of the project by any other alignment except alignment No.3,5 &6 and complete the project following alignment No.1, 2 or 4	NIL	As above

5	Dr. Subramanyan Swamy & UoI & Others	WP NO.18223 Subsequently these become transfer case (C), 26 at Hon'ble Supreme Court of India.	2007	Issue a writ of mandamus or any other appropriate writ or order directing the respondents particularly the 2 & 5th respondent in implementing the SSCP by following any other alternative route or alignment without affecting or destroying or demolishing the historic place Ram Sethu otherwise known as Adams Bridge	NIL	As above
6	Dr. Subramanyan Swamy & UoI & Others	WP NO.18224 subsequently these become transfer case (C), 27 at Hon'ble Supreme Court of India.	2007	Issue a writ of mandamus or any other appropriate writ or order directing the respondents 1, 3 & 4 to conduct investigation into the origin and history of Adams Bridge / Ram Sethu and consequently declare it as monuments of national importance under the Ancient Monument and Archaeological Sites and Reminds Act 1958.	NIL	As above
7	Dandi Swamy Shri Vidyanande Bharathi Ji Monk of Sankaracharya Vs UoI & Others	WP (C) NO.413 at Supreme Court of India.	2007	Quash the decision of UoI to undertake SSCP 2.Quash the Environmental clearance dated 31.03.2005 3.Quash the permission granted to SSCP under the provision of wild life (protection) Act, 1972	NIL	As above

				<p>4.Directing the respondents here in not to implement the SSCP</p> <p>5.Directing the Central Government to declare Ram Sethu as an ancient monument of national importance under the ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958</p>		
8	Ms. J. Jayalalithaa Vs UoI & Others	WP No.15 at Hon'ble Supreme Court of India	2008	<p>Issue a writ order or direction in the nature of a writ or mandamus directing the 3rd & 4th respondents to declare Adams Bridge / Ram Sethu as a national monument and takeover preserve and maintain the same.</p> <p>Forbear the 1st & 2nd respondents from in any manner destroying / damaging the said Adams Bridge / Ram Sethu in the process of execution of the Sethusamudram Project.</p>	NIL	As above

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED			
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025			
Particulars	Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
		Rs. in Lakhs	Rs. in Lakhs
ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Property, Plant & Equipment	3	4.77	4.77
(b) Capital Work-in-Progress	4	86,598.76	86,598.76
(c) Other Intangible assets	5	-	-
(d) Other non-current assets	6	85.11	347.28
TOTAL [1]		86,688.64	86,950.80
(2) Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Trade receivables	7	789.09	789.09
(ii) Cash and Cash equivalents	8	315.13	325.67
(iii) Loans	9	-	-
(iv) Other financial assets	10	29.97	12.72
(b) Other current assets	11	13.40	4.94
TOTAL [2]		1,147.59	1,132.42
TOTAL A - [1+2]		87,836.23	88,083.22
EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Equity			
(a) Equity Share Capital	12	74,500.00	74,500.00
(b) Other Equity	13	6,762.31	7,010.51
TOTAL [1]		81,262.31	81,510.51
(2) Non-Current Liabilities			
(a) Provisions	14	-	-
(b) Other non current liabilities	15	-	-
TOTAL [2]		-	-
(3) Current Liabilities			
(a) Other Current Liabilities	16	6,573.91	6,572.70
(b) Provisions	17	-	-
(c) Current Tax Liabilities (Net)	18	-	-
TOTAL [3]		6,573.91	6,572.70
TOTAL B - [1+2+3]		87,836.23	88,083.22
Significant Accounting Policies			
See accompanying Notes to the Financial Statements			
1 to 33			
As per report of even date for Ravi & Raghu Chartered Accountants Firm Reg. No.0005060S		For and on behalf of the Board	
Sd/- (K RAVI) Partner M.No.026783 UDIN No.25026783BMIXQO9287		Sd/- Chairman cum Managing Director	
Sd/- Shri. Malla Srinivasa Rao General Manager (F)		Sd/- Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS Director	
Place :Chennai Date : 01.08.2025.			

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED			
Statement of Profit and Loss account for the year ended 31.03.2025			
Particulars	Note No.	As at 31.03.2025 <u>Rs. in Lakhs</u>	As at 31.03.2024 <u>Rs. in Lakhs</u>
I Revenue from operations		-	-
II Other Income	19	23.22	22.32
III Net gain on de-recognition of financial assets at amortized cost		-	-
IV Net gain on reclassification of financial assets		-	-
V Total Income (A)		23.22	22.32
VI Expenses:			
Employee benefit expenses	20	24.06	21.15
Finance Costs		-	-
Depreciation and Amortization expenses	3	-	-
Impairment losses		-	-
Net loss on de-recognition of financial assets at amortized cost		-	-
Net loss on reclassification of financial assets		-	-
Other expenses	21	247.36	18.70
Total Expenses (B)		271.42	39.85
Profit before Prior period adjustments [A-B]		(248.20)	(17.54)
Prior Period Adjustments		-	-
VII Profit before exceptional items and Tax		(248.20)	(17.54)
VIII Exceptional Items		-	-
IX Profit before Tax		(248.20)	(17.54)
X Tax expense:			
(1) Current Tax	22	-	-
(2) Deferred Tax		-	-
XI Profit /(Loss) for the period from continuing operations		(248.20)	(17.54)
XII Profit/ (loss) from discontinued operations		-	-
XIII Tax expense of discontinued operations		-	-
XIV Profit/ (loss) from discontinued operations (after tax)		-	-
XV Profit / (loss) for the period (XI + XIV)		(248.20)	(17.54)
XVI Other Comprehensive Income		-	-
XVII Total Comprehensive Income for the period (XV + XVI)		(248.20)	(17.54)
XVIII Earnings per equity shares (for continuing operation)			
(1) Basic		(0.03)	(0.00)
(2) Diluted		(0.03)	(0.00)
XIX Earnings per equity shares (for discontinued operation)			
(1) Basic		-	-
(2) Diluted		-	-
operations)			
(1) Basic		(0.03)	(0.00)
(2) Diluted		(0.03)	(0.00)
Significant Accounting Policies			
See accompanying Notes to the Financial Statements		1 to 33	
As per report of even date		For and on behalf of the Board	
For Ravi & Raghu			
Chartered Accountants			
Firm Reg. No.0005060S			
Sd/-		Sd/-	
(K RAVI)		Chairman cum Managing Director	
Partner			
M.No.026783			
UDIN No.25026783BMIXQO9287		Sd/-	
Sd/-		Smt. J.P. Irne Cynthia, IAS	
Shri. Malla Srinivasa Rao		Director	
General Manager (F)			
Place :Chennai			
Date : 01.08.2025.			

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

Applicable Ind AS Notes

1. Corporate Information

The Sethusamudram Ship Channel Project (SSCP) envisaged reduction in the journey time and distance between the east and west coast of India and other countries and to improve the navigation within territorial waters of India. With a view to establish this channel, the Government of India formed Sethusamudram Corporation Limited as a Special Purpose Vehicle on 2nd September, 2004 and the same was incorporated as a Company on 6th December, 2004 having its registered office at Indian Maritime University, Uthandi, Chennai with Corporate office at 4th floor (North wing), Old Admin Building, Chennai Port Authority, Raji Salai, Chennai.

2. Summary of Accounting Policy

1. Basis of Preparation.

The Financial statements comply in all material aspects with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 and other relevant provisions of the Act.

The financial statements have been prepared on historical cost basis under accrual basis accounting.

The financial statements up to year ended March 31, 2025 were prepared in accordance with the accounting standards notified under Companies (Accounting standards) Rules, 2006 (as amended) and other relevant provisions of the act.

The financial statements are authorizes for issue by Company's board of directors on 30.07.2025.


The financial statements figures have been rounded off to the nearest Rupee in Lakhs.

2. Basis of Accounting

The books are maintained on accrual basis as a going concern. The accounting policies are applied consistently to all the periods presented in the financial statements.

3. Valuation of Inventories

Ind AS 2 is not applicable, as the company does not hold any inventories.



4. Statement of Cash Flows

Cash flow prepared as per indirect method and complied the Ind AS 7.

5. Accounting Policies, changes in Accounting Estimates and errors

Ind AS 8 is applicable and there is no changes in the estimates for the FY 2024-25. The company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

6. Events after the Reporting period

Events after the reporting period are those events, favorable and unfavorable, that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved.

The nature of the events and its financial affect are disclosed in the notes forming part of financial statements.

7. Taxes on Income

Current tax for current and prior periods to the extent unpaid is recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess is recognized as an asset.

The company has provided for Income Tax on the estimated interest income for the year. As the company is entitled for Tax Holiday u/s 80-IA of the Income Tax Act, there is no virtual certainty of adjusting the taxes already paid against future tax liabilities. Hence, Deferred Tax Asset/Liability has not been recognized in the accounts.

8. Property, Plant and Equipment

On transition to Ind AS, the Company has elected to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment recognized as at April 1, 2016 and use that carrying value as the deemed cost of such property, plant and equipment.

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less depreciation. Capital Work in progress is stated at cost. All costs relating to the acquisition and installation of assets are capitalized. Any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the cost. The net carrying amount



Property, Plant and Equipment is the cost of fixed asset or other amount substituted for cost, less its residual value.

Any item of property, plant and equipment and any significant part initially recognized is derecognized, upon disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss when the asset is derecognized.

Depreciation is charged on Useful Life of assets basis at the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013. Useful life of fixed asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity. The Company has adopted residual life of fixed assets as specified in the Part C of the Schedule II to the Companies Act, 2013.

Depreciation method and useful life are reviewed at each financial year end and adjusted if appropriate. Based on technical evaluation and consequent advices, the management believes that its estimates of useful life as given above best represent the period over which management expects to use these assets.

Depreciation on property, plant and equipment added/disposed off during the year is provided on pro-rata basis with respect to date of acquisition/disposal.

9. Impairment of Assets

Pending Decision on project in Supreme Court, not in the position to satisfy Ind AS 36 on impairment of asset.

10. Revenue recognition


The company has not begun commercial operations till date. Other income shown in statement of profit and loss includes interest earned from short term deposits of unutilized funds in banks. All expenditures are met out of this income and surplus is transferred to reserves & surplus. Interest income is recognized on a time proportion basis.

11. Foreign currency transactions

The company has not made any transactions involving foreign currencies during the year, hence Ind AS 21 is not applicable.

12. Investments

The company has not made any investments as specified under Ind AS 32, Ind AS 107 and Ind AS 109 hence the same are not applicable.



13. Employees Benefits

The company does not have any statutory obligation towards provident fund, Employee State Insurance Corporation, superannuation fund and gratuity fund, hence the provisions of Ind AS 19 is not applicable.

14. Borrowing Cost

The company does not have any borrowings; hence Ind AS 23 is not applicable.

15. Related Party Disclosures

The information on related party transactions is compiled based on Ind AS 24 on Related Disclosures.

16. Leases

The company not entered in to any contract of lease, hence Ind As 17 is not applicable.

17. Investment Property

The company does not have any investment property, hence Ind AS 40 is not applicable.

18. Financial Assets & Liabilities

The company identifies and categorizes its financial assets and liabilities and accounts them on the fair value as prescribed under Ind AS 32, Ind AS 107 and Ind AS 109 – Financial Instruments.

19. Intangible Assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment if any, intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight line basis, from the date that they are available for use.

Any gain or loss arising on derecognition of the intangible asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss when the intangible asset is derecognized.

20. Provisions, Contingent liabilities and Contingent assets

Provisions are recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.



The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period.

The expenses relating to any provision is presented in the statement of profit or loss, net of any reimbursement.

Contingent liabilities may arise in relation to claims against the company, including legal and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgment and the use of estimates regarding the outcome of future events.

21. Earning per Shares

Ind AS 33 is applicable and workings are made for the FY 2024-25.

22. Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise cash at Bank and on Hand and short term deposits.

As the current investments are Fixed Deposits with Nationalized banks, there will not be any difference between cost and realizable value.

23. Interim Financial Reporting

Ind AS 34 is not applicable.



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Note

No

3 Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment
Reconciliation of Carrying amount

(In Rupees)

	Computers & Accessories	Furnitures & Fixtures	Vehicles	Office equipment	Total
Cost or deemed Cost (gross carrying amount)					
Balance at 01.04.2023	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
Additions	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	-
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	-	-
Balance at 31.03.2024	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
Balance at 01.04.2024	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
Additions	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	-
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	-	-
Balance at 31.03.2025	13,42,763.00	-	-	-	95,70,747.74
Accumulated Depreciation and impairment losses					
Balance at 01.04.2023	-	-	-	-	90,94,205.00
Depreciation for the Year	-	-	-	-	-
Adjustment to Depreciation	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	-
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	-	-
Balance at 31.03.2024	-	-	-	-	90,94,205.00
Balance at 31.03.2024					90,94,205.00
Depreciation for the Year	-	-	-	-	-
Adjustment to Depreciation	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	-
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	-	-
Balance at 31.03.2025	-	-	-	-	90,94,205.00
Carrying amount (net)					
At 31.03.2024	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	4,76,542.74
At 31.03.2025	13,42,763.00	82 -	-	-	4,76,542.74

- (i) Property, Plant and Equipment are accounted for at the historical cost and all cost relating to the acquisition and installation of fixed assets are capitalized.
- (ii) The net carrying amount of Property, Plant and Equipment is the cost of fixed asset or other amount substituted for cost, less its residual value.
- (iii) Useful life of fixed asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity. The Company has adopted residual life of fixed assets as specified in the Part C of the Schedule II to the Companies Act, 2013.
- (iv) Depreciation method and useful life are reviewed at each financial year end and adjusted if appropriate. Based on technical evaluation and consequent advices, the management believes that its estimates of useful life as given above best represent the period over which management expects to use these assets.
- (v) Negative balances denote excess depreciation of earlier years.

	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u> <u>Rs. in Lakhs</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u> <u>Rs. in Lakhs</u>
4 Capital Work-in Progress		
Capital Dredging	84,096.34	84,096.34
Coastal Community Development Programme	517.94	517.94
Navigation Aids	-	-
Shore Based facilities	160.76	160.76
VTMS Systems	12.01	12.01
Survey, Studies & Allied expenses	1,811.71	1,811.71
	86,598.76	86,598.76
Balance carrying amount as at 31st March	86,598.76	86,598.76

Capital dredging work was suspended on the direction of H'ble Supreme court in 2007 due to various litigations. Capital WIP includes expenses incurred on (a) Capital Dredging, Navigational Aids, VTMS systems, (b) Shore based civil works (c) Coastal community development programme i.e. development of fishing harbours, (d) survey and studies and other services, after adjusting any amount recoverable from the contractor as per the terms of the agreement entered with them. In respect of Adams bridge dredging work has been temporarily suspended w.e.f. 17.9.2007 consequent to the direction of the Hon. Supreme Court of India. The recommencement of the work and completion may depend on the final verdict of Hon. Supreme Court of India.

The Loss in Sale of Navigational Aids worth Rs.226.69 Lakhs removed from Sundry Adjunct A/c and charged in the Profit and Loss account as a Loss in Sale of Navigation during the FY 2024-2025

<u>CWIP Ageing Schedule</u>	<u>1-2 years</u>	<u>2-3 years</u>	<u>>3 year</u>	<u>TOTAL</u>
Projects in Progress				
Projects Temporarily suspended			86,598.76	86598.76

5 **Other Intangible assets**

	<u>Gross carrying a</u> <u>31.03.2024</u>	<u>Accumulated depreciation</u> <u>31.03.2025</u>	<u>31.03.2024</u>	<u>Net carrying amount</u> <u>31.03.2025</u>	<u>31.03.2024</u>
<u>Intangible assets</u>					
1. Software	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
Total	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00

In respect of software, depreciation fully claimed in previous years on SLM basis over a estimated life period of 3 years

6 **Other non-current assets**

Advances to Related parties

Unsecured, Considered good

Sundry receivables

IT refunds

Sundry Adjustments

Secured, Considered good

Security deposit for Rent, Electricity,etc

Capital Advances

Unsecured, Considered good

Advance payment to DCI for dredging at Palk Straight*

Total

	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
Sundry receivables	-	-
IT refunds	-	-
Sundry Adjustments	81.20	307.89
Security deposit for Rent, Electricity,etc	3.91	39.39
Advance payment to DCI for dredging at Palk Straight*	-	-
Total	85.11	347.28

Due to prolonged Court cases DCI withdrawn all dredges on 27.07.2009. However, DCI claimed additional cost for the dredging work carried out. In this regard, many committees were formed. Finally, MOS constituted a committee with AS&FA, MOS, JS(P) & DA (P). This committee had a meeting on 25.02.2019 and finalise the amount to be given to DCI by the company as Rs.136.72 Crores. Rs.71.00 Crores was paid from the available funds of the company and company has requested a grant of Rs.115.72 crores from MOS, GOI therefore the advance payment to DCI has been accounted under Capital Work in Progress since final settlement on the amount to be settled has been arrived at.

The Loss in Sale of Navigational Aids worth Rs.226.69 Lakhs removed from Sundry Adjument A/c and charged in the Profit and Loss account as Loss on Sale of Navigational Aids during the FY 2024-2025

7 Current Assets	<u>As at</u>	<u>As at</u>
Trade receivables: Sale of Launches, Channal Buoys and lease charges	<u>31.03.2025</u>	<u>31.03.2024</u>
Receivables from related parties		
Chennai Port Trust	-	-
Ennore Port Limited	-	-
Tuticorin Port Trust	131.62	131.62
Trade receivables		
Kandla Port Trust	3.58	3.58
Mormagao Port Trust	643.64	643.64
Mumbai Port Trust	8.31	8.31
New Mangalore Port Trust	1.95	1.95
	<u>789.09</u>	<u>789.09</u>

Trade Receivables include dues from various Ports towards sale/lease of launches and channel buoys. Trade Receivables also include certain unconfirmed balances, which in the opinion of management would realize their value, as stated in accounts, in the ordinary course of business. The amounts shown under Trade Receivables is not a Trade receivable in the ordinary course of business.

In respect of Sundry Debtors , the company has no other security other than the personal guarantee of the concerned parties.

Pending finalization of detailed terms and conditions with the major ports relating to sale / lease of launches, the interest, if any, receivable for the delayed payment by the major ports has not been accounted in the books in tune with **Ind AS 115**.

Particulars	Outstanding for the following periods from due date of payment as at 31st March 2025				
	< 6 Months	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years
(i)Undisputed Trade receivables- Considered good		-	-	-	-
(ii)Undisputed Trade receivables- Considered doubtful	-	-	-	-	789.09
(iii)Disputed Trade receivables- Considered good	-	-	-	-	-
(iv)Disputed Trade receivables- Considered doubtful	-	-	-	-	-
Particulars	Outstanding for the following periods from due date of payment as at 31st March 2024				
	< 6 Months	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years
(i)Undisputed Trade receivables- Considered good	-	-	-	-	-
(ii)Undisputed Trade receivables- Considered doubtful	-	-	-	-	789.09
(iii)Disputed Trade receivables- Considered good	-	-	-	-	-
(iv)Disputed Trade receivables- Considered doubtful	-	-	-	-	-

8 Cash & Cash Equivalents	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
(a) Balances with Banks		
Indian Bank A/c No. 422161367	-	-
Indian Bank A/c No. 802770387	-	-
Indian Bank SB A/c No. 6469440457	10.08	25.57
Short Term Deposits with Banks	305.00	300.00
(b) Cash in hand	0.05	0.10
Total	315.13	325.67
(i) Confirmation of balances has been obtained from banks for the Short-term Deposits held by them		
(ii) As the current investments are Fixed Deposits with the nationalized banks, there will not be any difference between cost and realizable value.		
9 Loans	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
(i) (a) Loans and advances to related parties	-	-
<u>(b) Others - Secured, Considered good</u>		
Advance to Employees	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
(ii) Loans and advances including dues from the Directors / Officers as follows:		
Due as on year end	(nil)	(nil)
Maximum amount due at any time during the financial year	(nil)	(nil)
10 Other Financial Assests	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
Accrued Interest on Short Term Deposits	12.18	12.72
Interest due from banks	0.00	0.00
Rental Deposit	17.79	
	29.97	12.72
11 Other Current Assets	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
Advance Tax, GST ITC & TDS	5.53	4.93
Prepaid Rent & Other Expenses	7.87	0.00
Total	13.40	4.93

12 **A. Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital**

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Authorised:		
1,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each (Previous Year 1,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each)	1,00,000.00	1,00,000.00
Issued, Subscribed and Paid-up:		
74,50,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each fully paid up (Previous Year 74,50,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each)	74,500.00	74,500.00
Total	74,500.00	74,500.00

Out of Rs. 1000 crores of Authorized Capital earmarked for the Project, Rs.745 crores has been subscribed and paid up by various stakeholders. The contribution by Government of India is Rs.495 crores. The contribution by V.O.Chidambaranar Port Trust and Shipping Corporation of India is Rs.50 crores each. The remaining Rs.150 crores has been contributed by the Dredging Corporation of India, Chennai Port Trust, Ennore Port Limited, Vishakapatnam Port Trust and Paradip Port Trust at Rs.30 crores each

B. Reconciliation of Number of Shares outstanding at the beginning and end of the year :

	2024-2025	2023-2024
	Numbers	Numbers
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	74,50,00,000	74,50,00,000
Add: Equity Shares issued during the year	-	-
Less: Equity shares bought back/redeemed during the year	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	74,50,00,000	74,50,00,000

C. Details of Shareholders holding more than 5% Shares of the Company on the reporting date

Name of the Shareholder	Class of share	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
		Number of Shares held	Percentage of Holding	Number of Shares held	Percentage of Holding
Government Of India	Equity	49,50,00,000	66.43	49,50,00,000	66.43
V.O.Chidhambaranar Port Trust	Equity	5,00,00,000	6.71	5,00,00,000	6.71
Shipping Corporation Of India	Equity	5,00,00,000	6.71	5,00,00,000	6.71
Others	Equity	15,00,00,000	20.15	15,00,00,000	20.15
Dredging Corporation of India					
Chennai Port Trust					
Ennore Port Limited					
Vishakapatnam Port Trust					
Paradip Port Trust					
Total		74,50,00,000	100.00	74,50,00,000	100.00

D. Details of Shareholders holding of the Company on the date

Name of the Shareholder	Class of share	As on date		Change during the year in %
		Number of Shares held	Percentage of Holding	
Government Of India	Equity	49,50,00,000	66.43	0.00%
V.O.Chidhambaranar Port Trust	Equity	5,00,00,000	6.71	0.00%
Shipping Corporation Of India	Equity	5,00,00,000	6.71	0.00%
Dredging Corporation of India	Equity	3,00,00,000	4.03	0.00%
Chennai Port Trust	Equity	3,00,00,000	4.03	0.00%
Ennore Port Limited	Equity	3,00,00,000	4.03	0.00%
Vishakapatnam Port Trust	Equity	3,00,00,000	4.03	0.00%
Paradip Port Trust	Equity	3,00,00,000	4.03	0.00%
Total		74,50,00,000	100.00	

13 Other Equity

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Other Reserves		
1. Capital Reserve		
- As per last Balance Sheet	1,499.60	1,499.60
- Additions/(Deductions)	-	-
Total	1,499.60	1,499.60
2. Retained Earnings		
- As at 31.03.2024	5,510.91	5,528.45
- Profit / (Loss) for the period	(248.20)	(17.54)
- Excess Depreciation of earlier years	-	-
- Other Comprehensive Income, net of tax	-	-
- Excess Depreciation of earlier years	-	-
- As at 31.03.2025	5,262.71	5,510.91
Total (1+2)	6,762.31	7,010.51

The Company has not begun commercial operations till date. Other Income shown in Statement of Profit and Loss includes interest earned from short term deposit of unutilized funds in banks. All expenditures are met out of these income and surplus is transferred to Reserves & Surplus.

14 **Provisions Non Current Liabilities**

<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
0.00	0.00
-	-

15 **Other non current Liabilities**

(a) From Other Parties

Deposits

<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
0.00	0.00
0.00	0.00

16 **Other Current Liabilities**

Audit fee payable

Expenses payable

Duties & Taxes payable

Rent Payable

Sundry Creditors Payable

Provision for dredging

Total

<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
0.65	0.60
0.34	0.07
0.76	0.03
0.00	0.00
0.16	0.00
6,572.00	6,572.00
6,573.91	6,572.70

Duties and taxes payable includes TNVAT and TDS payments

(i)

Trade Payables Ageing schedule					
Particulars	Outstanding for the following periods from due date of payment as at 31st March 2025				
	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	1.91	-	-	6,572.00	6,573.91
(iii) Disputed dues- MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues-Others	-	-	-	-	-
Particulars	Outstanding for the following periods from due d .				
	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	0.70	-	-	6,572.00	6,572.70
(iii) Disputed dues- MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues-Others	-	-	-	-	-

17	Provisions	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
		0.00	0.00
	Total	0.00	0.00
18	Current Tax Liabilities (Net)	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
	Provision for taxation	0.00	0.00
		0.00	0.00
19	Other Income	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
	Interest on Short-Term Deposits	23.16	22.30
	Miscellaneous income	0.06	0.02
	Total	23.22	22.32
20	Employee benefit expenses	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
	Leave Salary & Pension Contribution	0.00	0.00
	Salaries & Wages - Contract Employees	18.54	14.41
	Salary & Wages - Deputationists & others	5.53	6.74
	Staff welfare expenses	0.00	0.00
	Total	24.06	21.15
	Managerial remuneration paid to the Chairman cum Managing Director during the year is Nil.		
21	Other expenses	<u>As at</u> <u>31.03.2025</u>	<u>As at</u> <u>31.03.2024</u>
	Audit Fees	0.71	0.60
	Administrative expenses	0.89	1.07
	Rent	17.00	16.46
	Legal and Professional Charges	1.69	0.53
	Repairs and maintenance	0.23	0.01
	Travelling and Conveyance	0.04	0.03
	Loss on Sale of Navigational Aids	226.69	0.00
	Prior Period Expenses	0.11	0.00
	Total	247.36	18.70

22	Tax expense	31.03.2025	31.03.2024
	Current Tax	0.00	0.00
	Deferred Tax	-	-
	Total	0.00	0.00

The company is having losses for the FY 2024-25 and hence, no provision for tax has been provided. As depreciation has not been provided during the current FY deferred tax assets / deferred tax liabilities do not arise.

23 **Surplus in Profit & Loss account**

The Company is in construction stage, implementing the Sethusamudram Ship channel project and the Company has not commenced commercial operations. However, necessary details as per Part II of Schedule III of the Companies Act, 2013 have been disclosed in the Statement of Profit and Loss and the net surplus/deficit is disclosed separately under Other Equity in the Balance Sheet.

24 **Contingent Liabilities**

Description	Estimated Amount (Rs. In Lakhs)	
	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Claims against the Company/ Disputed liabilities not acknowledged as debts		
a. Centage charge Claimed by VoC PT	785.00	785.00
b. Towards Share of meeting expenses	0.83	0.83

25 **Related Party Disclosure as required by IndAS 24**

a) Description of relationships and names of related parties

- i) Key Management Personnel
- ii) Shareholders

Nature of Transaction	Key Management	Share holders
	(Previous year figures are shown in brackets)	
Additional charge paid to Director	2.70 (2.69)	
Rent paid (including penalty)		17.00 (16.46)
Trade receivables		131.62 (131.62)
Other Non Current Assets		3.91 (39.39)

Managerial remuneration paid during the year is 2.70 Lakhs

26 Trade Receivables, Deposits, Sundry Adjustments, Sundry Receivables and Capital Advances are subject to confirmation and reconciliation.

27 Additional information pursuant to the provisions of part II of Schedule III to the Companies Act 2013

- (i) CIF Value of imports during the year (nil)
- (ii) Expenditure in foreign currency on account of Royalty, Technical Know-how, Consultar (nil)
- (iii) Value of imported spare parts & components consumed during the year (nil)
- (iv) Amount settled in Foreign currency during the year on account of dividends (nil)
- (v) Earnings in Foreign currency (nil)

28 The company has not obtained information/ identified about the dues payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined in Micro, Small and Medium Enterprises Act 2006. Hence, the breakup of dues outstanding to Micro, Small and Medium Enterprises and others not given.

29 (i) Figures have been rounded off to the nearest Rupee in Lakhs except in note3.

(ii) Figures for the previous year have been regrouped wherever necessary to conform to this year's classification

30 Earnings per share

Earning per share is calculated by dividing the profit attributable to shareholders by the number of equity shares outstanding during the year. The earning per share is calculated as follows:

	<u>As at</u> 31.03.2025	<u>As at</u> 31.03.2024
Profit / (Loss) after tax - Rs.	(248.20)	(17.54)
Number of Equity shares - in Lacs	7,450.00	7,450.00
Face value per share	10.00	10.00
Earnings per share (EPS)	(0.03)	(0.00)

31 **The ratios as per the latest amendment to Schedule III are as below:**

	FY-2024-2025	FY-2023-2024
(1) Current ratio Total current assets/Current liabilities	0.17	0.18
(2) Net debt equity ratio (Net debt/Average equity)	NA	NA
(3) Debt service coverage ratio (EBIT/Finance Cost + Scheduled principal repayments of non current borrowings)	NA	NA
(4) Return on Equity (%) (Profit after tax (PAT)/Average Equity)	-0.30%	-0.02%
(5) Inventory turnover ratio (in days) (Average inventory/Sale of products in days)	NA	NA
(6) Debtors turnover ratio (in days) (Average trade receivables/Turnover in days)	NA	NA
(7) Trade payables turnover ratio (in days) (Average Trade Payables/Expenses)	NA	NA
(8) Net capital turnover ratio (in days) (Average working capital/Turnover)	NA	NA
(9) Net profit ratio (%) (Net profit after tax/Turnover)	NA	NA
(10) Return on Capital Employed (%) (EBIT/Average capital employed)	-0.30%	-0.02%
(11) Return on investment (%) (Net gain/(loss) on sale/fair value changes of mutual funds/Average investment funds in current investments)	NA	NA

- 32 The Company has not begun commercial operations till date since inception from 2004. Capital dredging work was suspended on the direction of H'ble Supreme court in 2007 due to various litigations. Company has also sold various operational assets like tugs, navigational aids, launches, buoys due to cessation of operational activities from the year 2009 and onwards. As per directions of MoS vide letter dated 18.06.2019, SCL in its 59th Board meeting dated 28.06.2019 accorded approval for sending the proposal of closure of the company to MoS after obtaining legal opinion. The Additional Solicitor General has opined on 13.12.2019 that the corporation can be wound up by Section 272 of the Companies Act, 2013 subject to other conditions. In the meeting chaired by Hon'ble Minister of State for PSW on the closure of Sethusamudram corporation on 29.04.2021, the process of settlement of dues to DCI was discussed. The Ministry of PSW as per the communication dated 24.06.2021 has requested to send the comments on the decision taken on 29.04.2021 regarding the balance of amount due to DCI so that a time line may be drawn for completion of activities for closure of SCL within 6 months. Accordingly, the company has furnished its comments on 27.07.2021.
- 33 The Company is yet to appoint a compliance officer being a Company Secretary on board of the Company which is mandatory as per provisions of Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board

For Ravi & Raghu
Chartered Accountants
Firm Reg. No.005060S

Sd/-
(K RAVI)
Partner
M.No.026783
UDIN No.25026783BMIXQO9287

Sd/-
Shri. Malla Srinivasa Rao
General Manager (Finance)
Place: Chennai
Date: 01.08.2025.

Sd/-
Chairman cum Managing Director

Sd/-
Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS
Director

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED			
CASHFLOW STATEMENT			
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025			
	Particulars	March 31' 2025 Rs. In Lakhs	March 31' 2024 Rs. In Lakhs
A	Cash Flow from Operating activities		
	Net Profit before Exceptional Item & Tax	-248.20	-17.54
	<i>Adjusted for :</i>		
	Depreciation for the year	-	-
	Interest on Investments	(23.16)	(22.30)
	Operating Profit before working Capital changes	(271.36)	(39.84)
	Adjustments for changes in working Capital		
	(Increase) / Decrease in Trade Receivables	-	-
	(Increase) / Decrease in Loans and other financial assets	(17.24)	(5.02)
	(Increase) / Decrease Other Current Assets	(8.45)	13.37
	(Increase) / Decrease Other Non-Current Assets	262.17	-
	Increase / (Decrease) Other Current Liabilities	1.21	(3.62)
	Increase / (Decrease) Other Non-Current Liabilities	-	-
	Increase / (Decrease) Provisions	-	-
	Increase / (Decrease) Current Tax Liability	-	-
	Cash generated from operations	(33.67)	(35.11)
	Income Tax Paid	-	-
	Cash flow before Exceptional items	(33.67)	(35.11)
	<i>Exceptional items:</i>		
	Loss on sale of Capital work in progress	-	-
	Provision for impairment	-	-
	<i>Adjusted for Non cash items</i>	-	-
	Cash flow from Exceptional items	-	-
	Net Cash from Operating activities	(33.67)	(35.11)
B	Cash flow from Investing activities		
	Interest from Investments	23.16	22.30
	Interest on Income tax refund	-	-
	Net Cash from Investing activities	23.16	22.30
C	Cash flow from financing activities	-	-
	Net Increase in cash & cash Equivalents	(10.52)	(12.81)
	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	325.68	338.49
	Cash and cash equivalents at the end of the year	315.16	325.68
Significant Accounting Policies			
See accompanying Notes to the Financial Statements 1 to 33			
As per report of even date for Ravi & Raghu Chartered Accountants Firm Reg. No.0005060S		For and on behalf of the Board	
Sd/- (K RAVI) Partner M.No.026783		Sd/- Chairman cum Managing Director	
Sd/- Shri. Malla Srinivasa Rao General Manager (F) Place :Chennai Date : 01.08.2025.		Sd/- Smt. J. P. Irene Cynthia, IAS Director	

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

a) EQUITY SHARE CAPITAL

**Equity Share of INR 10 each issues,
subscribed and fully paid**

As At 31st March 2022

Issue of Share Capital

As at 31st March 2023

Issue of Share Capital

As At 31st March 2024

No. of Shares	Amount
74,50,00,000	74,500
74,50,00,000	74,500
-	-
74,50,00,000	74,500
-	-
74,50,00,000	74,500

b) OTHER EQUITY

For the year ended 31 March 2025

As At 31st March 2024

Profit for the period & Excess Depn

Other Comprehensive Income, net of Tax

Total Comprehensive Income

As At 31st March 2025

CAPITAL RESERVE	RETAINED EARNINGS	TOTAL OTHER EQUITY
1,499.59	5,510.90	7,010.49
-	(248.20)	(248.20)
-	-	-
-	(248.20)	(248.20)
1,499.59	5,262.70	6,762.29

For the year ended 31 March 2024

As at 31st March 2023

Profit for the period & Excess Depn

Other Comprehensive Income, net of Tax

Total Comprehensive Income

As At 31st March 2024

RESERVE	EARNINGS	EQUITY
1,499.59	5,528.45	7,028.04
-	(17.55)	(17.55)
-	-	-
-	(17.55)	(17.55)
1,499.59	5,510.90	7,010.49

As per report of even date

For Ravi & Raghu

Chartered Accountants

Firm Reg. No.0005060S

Sd/-

(K RAVI)

Partner

M.No.026783

For and on behalf of the Board

Sd/-

Chairman cum Managing Director

Sd/-

Shri. Malla Srinivasa Rao

General Manager (F)

Place :Chennai

Date : 01.08.2025.

Sd/-

Smt. J.P. Irne Cynthia, IAS

Director



सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार उद्यम)

20^{वीं} वार्षिक प्रतिवेदन
2024 - 2025

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी चेन्नै - 600 119

सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824

बोर्ड के निदेशक

श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंदिया, आई.ए.एस.,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड - नामित निदेशक

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाद, आई.आर.टी.एस

पारादीप पत्तन प्राधिकरण- नामित निदेशक

श्री सुशांत कुमार पुरोहित, आई.आर.टी.एस

वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण- नामित निदेशक

श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आई आर टी एस.,

विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण- नामित निदेशक

&

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - नामित निदेशक

श्री प्रदीप कुमार राय

सरकारी नामित निदेशक

श्री रितुराज मिश्रा

सरकारी नामित निदेशक

रियर अडमिरल जस्विंदर सिंह

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - नामित निदेशक

श्री मल्ल श्रीनिवास राव

महा प्रबंधक (वित्त)

लेखापरीक्षक

मेसर्स रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट, चेन्नै

प्रधान बैंकर्स

इंडियन बैंक, हारबर शाखा, चेन्नै-600 001

पंजीकृत कार्यालय

इंडियन मारीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी, चेन्नै - 600 119

कार्पोरेट कार्यालय

चौथा तल, (उत्तरी स्कंध) पुराने प्रशासनिक भवन, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण राजाजी सालै, चेन्नै

- 600 001

विषय

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	कार्पोरेट सूचना	1
2	सहा. महा. प्र. के लिए नोटिस	3
3	निदेशक का रिपोर्ट	10
4	कार्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	40
5	सी एवं ए जी की टिप्पणी	50
6	संविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	52
7	दि.31 मार्च 2025 तक की लेखा परीक्षा	76
8	लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणी	78
9	नकद प्रवाह विवरणिका	94

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारकों

एससीएल के निदेशक बोर्ड तथा मेरी ओर से, आपके कंपनी के इस बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपको स्वागत करने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, निदेशक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित प्रतिवेदन आपके बीच पहले ही वितरित किया गया है।

आप इस बात से अवगत हैं कि भारत में, 12 मुख्य बंदरगाह और 200 गैर महा पत्तनों के साथ 7500 किलोमीटर का तट उपलब्ध है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिम तटों के बीच नौवहन व्यापार भी बहुत ही दीर्घावधि से चालित है। भारत के तट में पूर्वी तथा पश्चिमी तटों को जुड़ानेवाले निरंतर नौपरिवहन चैनल न होने के कारण से, पॉक स्ट्रेट तथा आदम ब्रिज क्षेत्र में उथला पानी की उपलब्धता के कारण से जहाजों को श्रीलंका के तटों का परिभ्रमण करना पड़ रहा है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों तथा अन्य देशों के बीच स्टीमिंग दूरी को कम करने के लिए तथा भारत के प्रादेशिक जलों के अन्दर नौपरिवहन को विकसित करने के लिए, सेतुसमुद्रम केनल नामक जहाज केनल को काटने के लिए 1860 से कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

चैनल को स्थापित करने की दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने सितंबर 2, 2004 को सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) को विशेष प्रयोजन वेहिकल के रूप में निर्माण किया और इसे कंपनी के रूप में दिसंबर 6, 2004 को निगमित किया गया।

परियोजना का वर्तमान स्थिति

विभिन्न विसंगति के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दि.14.09.2007 को आदम ब्रिज/राम सेतु में ड्रेजिंग कार्य को लंबित कर दिया। लंबित न्यायालय मामलों के कारण सभी ड्रेजिंग कार्यों को पाल्क बे/पाल्क स्ट्रेइट में जुलाई 2009 के दौरान रोक दिया गया।

मार्च 2018 के दौरान भारत सरकार ने साक्षी फाइल करके यह बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्र के हित में आदम ब्रिज/राम सेतु को बाधा/नष्ट किए बिना सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना के पिछले संरेखन पर दूसरा विकल्प देखना चाहा तथा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका का निपटान किया गया तथा हियरिंग व अंतिम निर्णय अपेक्षित है।

पाल्क बे/पाल्क स्ट्रेइट में ड्रेजिंग कार्य की प्रगति

34.50 मिलियन घ.मी की कुल मात्रा में 21.43¹घ.मी अर्थात 62.12% का ड्रेजिंग किया गया।

आदम ब्रिज में ड्रेजिंग कार्य की प्रगति

48.05 मिलियन घ.मी की कुल मात्रा में 9.52 घ.मी अर्थात् 19.81% का ड्रेजिंग किया गया ।

परियोजना के साथ संबंधित अन्य कार्य की प्रगति

नौचालन बोया, मूरिंग लॉन्चस और पाइलट लॉन्चस

एससीएल ने 65 सं नेवीगेशनल बोया 8 सं के मूरिंग लांचस तथा 6 सं पाइलट लांचस खरीदा क्योंकि प्रचालन की शुरुआत में विलंब होने कारण एस सी एल ने सभी आइटमों को विभिन्न पोर्टों में ऑवुटराइट सेल के आधार पर बेचा ।

वित्तीय निष्पादन

आपके कंपनी के पास रु.3.15 करोड़ के नकद अधिशेष है तथा विभिन्न बैंकों में अल्प अवधि जमा की है । कंपनी अब भी निर्माण की स्थिति में है तथा प्रचालन अब तक शुरु नहीं हुआ । फिर भी कंपनी ने, पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कर के बाद निबल हानि रु.17.55 लाख के विरुद्ध अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर रु.226.69 लाख की हानि को विविध समायोजन खाते से हटा दिया गया और लाभ और हानि खाते में नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर हानि के रूप में चार्ज किया गया) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रु.248.20 लाख के निबल हानि का पंजीकृत किया ।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या शून्य है !

पावती

पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ । मैं, बोर्ड के सहयोगियों को, जिन्होंने बोर्ड के प्रचालनों में सक्रिय भाग लेने अपना बहुमूल्य समय अर्पित किया तथा जिनके गहरे ज्ञान तथा मार्गदर्शन विभिन्न समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में अंशदानीय रहा, को आभार प्रकट करना चाहूँगा। बैंकरों तथा कानूनी काउन्सलों को उनकी सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा।

निष्कर्ष

समाप्त करने के पहले, सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये ईमानदारीपूर्ण प्रयत्नों की ओर गहरे आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा, जिसने इस वर्ष के दौरान कंपनी की प्रगति को प्रतिवेदित करने में सहयोग प्रदान किया।

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : चेन्नै

तारीख : 10.09.2025

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी चेन्नै - 600 119

दूरभाष: 044-25270651

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के शेयर धारकों का बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, 24.09.2025 (सोमवार) को 04:00 बजे (आईएसटी) को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड कक्ष में और विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) में या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम)से निम्नलिखित कार्यकलाप को निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कार्यकलाप

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते का विवरण, 31 मार्च, 2025 तक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षा जनरल की टिप्पणियां, विचार करने तथा अनुमोदन देने के लिए
2. श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानंद, आई आर टी एस (डीआईएन नंबर 07295378) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

विशेष कार्यकलाप

3. श्री रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन सं. 10104264) निदेशक, (लैनर व पेसंजर सर्वोसस) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विचार करने तथा अगर उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने

“संकल्पित किया जाता है कि रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन सं. 10104264) निदेशक, (लैनर व पेसंजर सर्वोसस) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जिनको दि.04.02.2025 से बोर्ड के कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के पत्र सं ए-10/बीडी/एसईसी/सेतुसमुद्रम द्वारा दि.29.11.2024 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।” तथा कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे ।

4. श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन सं. 02636799) निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विचार करने तथा अगर उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने

“संकल्पित किया जाता है कि श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन सं. 02636799) निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय जिनको दि.04.02.2025 से बोर्ड के कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया से पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय (पोर्ट स्कंध) के पत्र सं पीडी-26014/7/2004-सेतु (आंशिक फाइल) द्वारा दि.30.10.2024 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।” तथा कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे ।

बोर्ड के आदेश अनुसार

ह/-

(श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: चेन्नै

तारीख: 14.08.2025

टिप्पणी

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के अनुसार सदस्यों के बिना भौतिक उपस्थिति के दि.30 सितंबर, 2025 तक एक ही स्थान पर रहने हेतु, कंपनियों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति है, परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 20वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ 20वीं एजीएम का नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

बी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए परिपत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति 30.09.2025 तक दिया गया।

सी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में मतदान में भाग लेने के हकदार सदस्य को अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, और सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मैप और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य हाथ उठाकर या पोल के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पते के माध्यम से ईमेल भेजकर बैठक के दौरान संकल्पों पर अपना वोट दे सकते हैं। उक्त ईमेल केवल कंपनी द्वारा परिचालित नामित ईमेल पते पर भेजे जाएंगे।

डी) बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति/ऐसे अन्य दस्तावेज भेजें जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

ई) सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम गणना करने के उद्देश्य से की जाएगी।

एफ) सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तुरंत सूचित करें।

जी) इस वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल्स नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट को अग्रेषित करने वाले ई-मेल में प्रदान किए जाएंगे।

2. सदस्य मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य।

मद सं. 3

पोत परिवहन मंत्रालय अपने पत्र सं.पीडी-26014/1/2004-सेतु, दि 17.9.2004 के तहत सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापन के लिए अपने अनुमोदन संप्रेषित करते हुए बताया है कि प्रारंभ में अध्यक्ष, तूतुकोरिन पत्तन प्राधिकरण, एससीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहेगा तथा भाग लेनेवाले महा पत्तनों के अध्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी पदेन आधार पर कंपनी का निदेशक होंगे ।

कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन की खंड 122 (सी) के अनुसार, अगर प्रमोटर पोर्ट/कंपनी नामित सेवानिवृत्त होंगे या इस्तीफा देंगे या हटाया जाएगा या किसी भी समय पद को रिक्त छोड़ेगा तो धारा 121 के तहत, संबंधित प्रमोटर पोर्ट / कंपनी ऐसे नामित निदेशक की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या अन्यथा पर और एक प्रतिस्थापन नामांकित निदेशक को नामित कर सकता है ।

तदनुसार, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पत्र संख्या ए-10/बीडी/एसईसी/सेतुसमंदरम, दिनांक.29.11.2024, के द्वारा सूचित करते हुए कि रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन सं. 10104264) निदेशक, (लैनर व पेसंजर सर्विसस) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,(एससीआई) को एससीएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है तथा जिसे दि.04.02.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 82वीं बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

विवरण	विस्तार	
जन्म तिथि	15.09.1968	
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	बिसिनस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर व एमएससी	
अनुभव	<p>रियर एडमिरल जसविंदर सिंह, वर्ष 2023 से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के लाइनर और यात्री सेवा व्यवसाय के प्रमुख पद पर हैं। उन्हें एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, सहायक नौसेना प्रमुख (विदेश सहयोग), नौसेना मुख्यालय में प्रधान निदेशक (जहाजों के विनिर्देश तैयार करने और उनके उपकरण शामिल करने के लिए जिम्मेदार), विध्वंसक, कार्वेट और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की कमान, भारतीय नौसेना में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में एडमिरल द्वारा संभाली गई कुछ प्रतिष्ठित नियुक्तियां हैं। रियर एडमिरल जसविंदर सिंह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल और वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित नौसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है।</p>	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित प्रतिभूतियां	शून्य	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्य निदेशकों के साथ संबंध	शून्य	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	हित/संबंधित की प्रकृति
	शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक
	7	निदेशक

		नामिनी एससीआई के शेयरहोल्डर (1 शेयर)
पिछला पारिश्रमिक	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान भाग लिए बोर्ड की बैठकों की संख्या	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण प्रदान किया गया ।	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 की ओर से रियर अडमिरल जस्विंदर सिंह(डीआईएन सं. 10104264) के नामित निदेशक के प्रतिनिधि शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यालय संभाला जाएगा ।

उनके बैग्राउण्ड, अनुभव बहुमूल्य भागीदारी पर विचार करते हुए कंपनी के हित में तथा बोर्ड आफ डैरेक्टर्स द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन सहित श्री सुसांत कुमार पुरोहित, आईआरएसईई को नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है ।

रियर अडमिरल जस्विंदर सिंह(डीआईएन सं. 10104264) के अलावा कोई अन्य निदेशक संकल्प में अभिरुचि नहीं रखते ।

मद सं 4

पोत परिवहन मंत्रालय अपने पत्र सं.पीडी-26014/1/2004-सेतु, दि 17.9.2004 के तहत सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापन के लिए अपने अनुमोदन संप्रेषित करते हुए बताया है कि प्रारंभ में अध्यक्ष, त्तुकोरिन पत्तन प्राधिकरण, एससीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहेगा तथा भाग लेनेवाले महा पत्तनों के अध्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी पदेन आधार पर कंपनी का निदेशक होंगे ।

कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन की खंड 122 (सी) के अनुसार, अगर प्रमोटर पोर्ट/ कंपनी नामित सेवानिवृत्त होंगे या इस्तीफा देंगे या हटाया जाएगा या किसी भी समय पद को रिक्त छोड़ेगा तो धारा 121 के तहत, संबंधित प्रमोटर पोर्ट / कंपनी ऐसे नामित निदेशक की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या अन्यथा पर और एक प्रतिस्थापन नामांकित निदेशक को नामित कर सकता है ।

तदनुसार, दिनांक.30.10.2024, के पत्तन, पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं पीडी-26014/7/2004-सेतु (आंशिक फाइल)द्वारा सूचित करते हुए कि श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799), निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन मंत्रालय को एससीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री गोपिनाथ नायक, उप सचिव (डीआईएन नं 10078138) जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए हैं को नामित किया गया है तथा जिसे दि.04.02.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 82वीं बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

विवरण	विस्तार	
जन्म तिथि	27.12.1982	
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	बी.टेक (मेकानिकल इंजीनियर) व एम.टेक (थर्मल, एनर्जी व एनविरोनमेंट इंजीनियरिंग) इंडियन इंन्स्ट्यूट आफ टेक्नालजी, करकपूर, भारत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स, ली कुआ यू स्कूल आफ पब्लिक पालिसी, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी आफ सिंगपूर	
अनुभव	पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय रेलवे में डिजिटल ट्रान्स्फार्मेशन तथा एच आर मेनेजमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पोर्ट विकास, पालिसी फार्मलेशन में 15 साल से ज्यादा अनुभव	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित प्रतिभूतियां	शून्य	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्य निदेशकों के साथ संबंध	लागू नहीं	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	हित/संबंधित की प्रकृति
पिछले वेतन	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	कार्पोरेट निकाय रिपोर्ट में विवरण प्रस्तुत है ।	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 की ओर से श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799) प.पो.प व ज.मं के निदेशक को नामित निदेशक के प्रतिनिधि शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यालय संभाला जाएगा ।

उनके बैग्राउण्ड, अनुभव बहुमूल्य भागीदारी पर विचार करते हुए कंपनी के हित में तथा बोर्ड आफ डैरेक्टर्स द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन सहित श्री रितुराज मिश्रा को नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है ।

श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन सं. 02636799), नामित निदेशक के अलावा कोई अन्य निर्देशक संकल्प में अभिरुचि नहीं रखते ।

बोर्ड के आदेश के द्वारा

ह/-

(श्री सुनील पालीवाल, आईएसएस)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 14.08.2025

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: U75111TN2004GOI054824

पंजीकृत कार्यालय: भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, उथांडी, चेन्नई - 600 119

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों को,

वर्ष 2024-2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ दि.31 मार्च 2025 के लिए 20^{वां} वार्षिक रिपोर्ट को, आपके निदेशकों को प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

(लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
अन्य कमाई	23.22	22.30
खर्च	(271.42)	(39.85)
पूर्व अवधि समायोजन	-----	-----
लाभ हानि इससे पहले कर तथा असाधारण आइटम	(248.20)	(17.55)
असाधारण वस्तु	-----	-----
कर खर्च	0.00	0.00
कर के बाद लाभ / हानि	(248.20)	(17.55)

2. वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया है। इस बीच में, शिपिंग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार, कानूनी राय प्राप्त करने के बाद, कंपनी के समापन के प्रस्ताव भेजने हेतु, पो.प.मं को, कंपनी ने दिनांक 28 जून 2019 के बोर्ड संकल्प संख्या 59/03 पारित किया है आगे, पोत परिवहन व जलभूतल परिवहन के माननीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2021 को आयोजित बैठक में, कंपनी को बंद करने पर चर्चा करने के लिए तथा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बकाया के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतिम रूप से बंद होने की सूचना मंत्रालय द्वारा आज तक नहीं दी गई है और कंपनी अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। इसलिये, इसे एजीएम में नहीं रखा गया है इसके अलावा समापन के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान सारणीबद्ध के रूप में के ऊपर बताए अनुसार रु.17.54 लाख हानि के विरुद्ध रु.248.20 लाख हानि का पंजीकृत किया है। यह हानि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ व हानि लेखे को जीपीएस द्वारा बोया स्थिति तथा सिंक्रानिजेशन, मानिट्रिंग के लिए रु.226.69 लाख राशि के प्रभार के कारण हुई ।

3. लाभांश

चूंकि वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं हुआ है, आपके निदेशक रिपोर्टाधीन अवधि के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

एसएससीपी में कंपनी द्वारा पहले से किए गए ड्रेजिंग कार्यों के संबंध में, एमओएस द्वारा गठित एसएफए समिति द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की दर पर लंबे समय से लंबित विवाद रहा। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रु.136.72 करोड़ डीसीआई को देय है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष/(2021-22) के दौरान एससीएल के पास उपलब्ध निधि से रु.71.00 करोड़ को निपटाया और आपकी कंपनी ने डीसीआई को देय बकाया राशि के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। निधि की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपके कंपनी द्वारा डीसीआई को कोई अदायगी नहीं की गई ।

5. ऋण, गारंटी का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है ।

6. निवेश

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा कोई विशेष निवेश नहीं किया गया है।

7. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं किया है

8. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने उन न्यूनतम वित्तीय लेनदेन की स्वीकृति और रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के सेट के माध्यम से अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए, हर लेनदेन जीएम (एफ) द्वारा अनुमोदित है । हर बार लेनदेन सीएमडी द्वारा अनुमोदित है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीतियों की आवश्यकता के आधार पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

9. निदेशक की जिम्मेदारी का बयान

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3))

वित्तीय विवरण प्रोद्घवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। जीएएपी में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक शामिल हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, अधिनियम के प्रावधान मानकों को अपनाने में निर्धारित लेखा मानकों से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।

निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

(ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य और उस वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि दिया जा सके।

(सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है

(डी) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया है;

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं तथा

10. लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मेसर्स को नियुक्त किया है। नारायण अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, चेन्नई को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

10.1 सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स नारायण अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, ने कंपनी के खातों पर विपरीत राय दिया है।

10.2 सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

निदेशक का स्पष्टीकरण यू/एस 134(3.)) (एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 के बारे में विपरीत राय या लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया गया अस्वीकरण:

क्रम. सं.	राय में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1)	<p>राय</p> <p>हमने मेसर्स के वित्तीय विवरणों के साथ स्टैंडअलोन इंड एस का लेखा-जोखा किया है। सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") जिसमें 31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और नोट्स शामिल हैं। स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।</p> <p>हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय के आधार पर चर्चा किए गए मामले के महत्व के कारण, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड-एस वित्तीय विवरण सही नहीं बताते हैं और कंपनी के मामलों की स्थिति के कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा अनुसूति जनजाति के रूप में दि.31मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह सहित इसका लाभ का अनुमोदन किया गया ।</p>	<p>कंपनी ने नोट 32 में दिनांक 18.06.2019 के पत्र के माध्यम से राज्य मंत्री के निर्देश अनुसार एससीएल के दिनांकित 28.06.2019 59वीं बोर्ड बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को पोत परिवहन मंत्रालय को भेजने के लिए मंजूरी दी है । तदुसार, एससीएल को बंद करने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था । दि. 28.08.2019 को एससीएल को बंद करने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों के संबंध में एसजी की राय भी दि.13.12.2019 को भेजी गई थी। पोत परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर समापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।</p>

<p>2)</p>	<p>प्राप्त साक्ष्य और परिस्थितियाँ भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती हैं और इसलिए वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार नहीं किए जाएंगे।</p> <p>"एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करेगा यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि वह प्रतिष्ठान को समाप्त करना चाहता है या व्यापार बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।"</p> <p>आधार</p> <p>कंपनी ने 2004 से अपनी स्थापना के बाद से अब तक वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया है। के निर्देश पर पूंजी ड्रेजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया था। 2007 में विभिन्न मुकदमों के कारण सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई। कंपनी ने वर्ष 2009 और उसके बाद से परिचालन गतिविधियों की समाप्ति के कारण टग, नेविगेशनल एड्स, लॉन्च, बॉय जैसी विभिन्न परिचालन संपत्तियां भी बेची हैं। राज्य मंत्री के दिनांक 18.06.2019 के पत्र के निर्देशों के अनुसार, एससीएल ने अपनी 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2019 में कानूनी प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को पोत परिवहन मंत्रालय को भेजने की मंजूरी दी राय। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 13.12.2019 को राय दी है कि कंपनी अधिनियम की धारा 272 के तहत निगम को बंद किया जा सकता है, 2013 अन्य शर्तों के अधीन। माननीय बंदरगाह, जहाजरानी और राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में करने के लिए जलमार्ग 29.04.2021 को कंपनी को बंद करने पर चर्चा करते हुए, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ</p>	<p>पारा सं.3 के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट की प्रतिकूल राय के आधार पर "एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करेगा यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि वह प्रतिष्ठान को समाप्त करना चाहता है या व्यापार बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।"</p> <p>हालांकि, प्रबंधन नहीं है इच्छुक इकाई को समाप्त करने या कंपनी को अभी तक बंद करने के लिए और इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है मंत्रालय का इस संबंध में स्वीकृति। इसलिए, वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किया जाता है।</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>इंडिया को देय राशि के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।</p> <p>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2021 के संचार के अनुसार ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बकाया राशि के संबंध में निर्णय लेने और 6 महीने के भीतर कंपनी को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समयरेखा तैयार करने का अनुरोध किया है।</p>	
3)	<p>नोट संख्या 6, 7 और . के लिए पुष्टिकरण 16 स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए नोटों के संबंध में विविध समायोजन, पूंजी अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां, जमा और मेल मिलाप, कैपिटल ड्रेजिंग के लिए प्रावधान प्राप्त किया जाना है</p>	<p>व्यापार प्राप्तियों, जमा राशियों की "प्राप्ति" की पुष्टि विविध समायोजन, विविध प्राप्त्य और पूंजी तथा पार्टियों से अग्रिम आदि के लिए कंपनी प्रक्रिया में है किसी भी सामग्री की पूर्वाभास के अंतर नहीं है । शेष राशि बकाया और अंतर अगर कोई हो तो उसका सुलझा जाएगा और अगले लेखा वर्ष में सुधारा जाएगा।</p>
4)	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस कारण से, हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे कि</p>	<p>कंपनी ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया । संचालन और न्यूनतम लेनदेन मुख्य रूप से निवेश करना और ब्याज की कमाई निवेश आदि शामिल है । कंपनी ने अपनी आंतरिक वित्तीय स्थापना की नीतियों के सेट के माध्यम से नियंत्रण और प्रक्रियाएं किया । इसके बाद कंपनी द्वारा की स्वीकृति</p>

	<p>क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा टेस्ट के हद तक तथा उपरोक्त समीक्षाधीन डिस्कलैमर में प्रकृति, टाइमिंग पर विचार किया है।</p>	<p>और रिकॉर्डिंग वे न्यूनतम वित्तीय लेनदेन के लिए वित्तीय जानकारी दिया । हर एक लेन-देन द्वारा जीएम (एफ) अनुमोदित हैं । हर बार लेन-देन अनुमोदित हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की स्वीकृति हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन मांगा जाएगा और अनुमोदन प्राप्त होते ही आंतरिक वित्तीय माँग और नियंत्रण नीतियां मांगी जाएगी ।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. सचिवालयी लेखा परीक्षा

मेसर्स जॉन ओ एसोसिएट्स, प्राक्टिसिंग कंपनी सचिवालय को, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी का सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया है कि, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी सचिव की नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और नामित निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के रूप में **अनुलग्नक-1** में संलग्न है ।

11.1 सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर दें।

सेक्रेटेरियल ऑडिटर द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की गई योग्यता या अस्वीकरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत निदेशक का स्पष्टीकरण:

क्रम. सं.	सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता	प्रबंधन का जवाब
1)	कंपनी के निदेशक मंडल का गठन नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और नामित निदेशकों स्वतंत्र निदेशकों की, और कंपनी सचिव के उचित संतुलन के साथ किया गया है।	कंपनी पहले ही बना चुकी है एससीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय को प्रतिनिधित्व. तथापि, अब तक मंत्रालय ने एससीएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक की नियुक्त नहीं किया . कंपनी ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करके कंपनी सचिव नियुक्त करने का प्रयास किया है और कंपनी सचिवों के संस्थान से भी उम्मीदवारों का अनुरोध किया है । बहुप्रयत्नों के बावजूद भी कंपनी सचिव को नियुक्त करने में असमर्थ है

12. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) लागू नहीं है, क्योंकि एससीएल ने अभी तक व्यावसायिक प्रचालन शुरू नहीं किया है.

13. व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट

व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट (बीआरआर) लागू नहीं है, क्योंकि एससीएल ने अभी तक व्यावसायिक कार्यवाही शुरू नहीं किया है

14. न्यायालय या विनियम द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा मेटेरियल आदेश

भवष्य में कंपनी के प्रचालन तथा स्थिति को देखते हुए ट्रिबूनल या न्यायालय या रेगुलेटर्स द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा मेटेरियल आदेश जारी नहीं किया गया ।

15. वार्षिक विवरणी का अंश

अनुलग्नक – 2 में संलग्न है ।

16. संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध या व्यवस्था U/S 188(1)

कोई ठेके या प्रबंध नहीं है ।

17. निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी नीति

कृपया वित्त पर कॉरपोरेट गवर्नेंस और टिप्पणी के पैरा 2 को देखें।

18. कंपनी के मामलों की स्थिति

एक सरकारी संगठन होने के नाते, कंपनी का प्रबंधन अच्छी तरह से विनियमित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है।

19. रिजर्व में स्थानांतरण

कंपनी द्वारा आरक्षण हेतु कोई रोशि के स्थानांतरण करने का प्रस्ताव नहीं है ।

20. जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन

निदेशक मंडल अपनी बैठक में परियोजना और वित्त से जुड़े जोखिमों का जायजा लेता है और उचित निर्णय लेता है।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का कोई भी कर्मचारी नहीं है । जैसा कि वर्ष 2004 से कंपनी के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से कंपनी का प्रारंभन नहीं हुआ तथा विभिन्न विसंगति के कारण वर्ष 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कैपिटल ड्रेजिंग कार्य निलंबित हुआ । इसलिए कर्मचारियों से संबंधित सभी लागू प्रावधान नहीं उठता ।

22. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित, आपके निदेशकों का कहना है कि कंपनी ने अभी तक अपना संचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए प्रावधान लागू नहीं हैं। कंपनी के पास प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई गतिविधि नहीं है और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय या व्यय नहीं हुआ।

23. उधारी:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी सावधि ऋण का लाभ नहीं उठाया है।

24. वर्ष के दौरान जाइंट वेन्चर्स या एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी को सीस करनेवाले कंपनी का नाम

आपके कंपनी को कोई सब्सिडरी, जाइंट वेन्चर या एसोसिएट कंपनी नहीं होता ।

25. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने और कंपनी के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एडालूंगा आवेदनएस आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त थे विधिवत संसाधित और उत्तर दिया गया।

26. कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

ए 31 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट मार्च, 2025 इस प्रकार संलग्न है **अनुलग्नक - 3.**

27. लागत रिकार्ड

कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार ने लागत रिकार्ड के अनुरक्षण हेतु उल्लेख नहीं किया ।

28. कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न के तहत खुलासा (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 तथा महिला सशक्तिकरण

कर्मचारियों की संख्या – शून्य

29. विजिल ब्लोवर नीति

कर्मचारियों की संख्या – शून्य

30. मेटरनिटी बेनिफिट अधिनियम 1961

कर्मचारियों की संख्या – शून्य

कृते निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जगह: चेन्नै

दिनांक: 30.07.2025

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन नं.01300101)

जॉन ओ एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवालय लेखापरीक्षक

डॉ जे. जॉन ओहिल्वी, एमकाम., एलएलबी, एफसीएस, पीएचडी
कंपनी सचिव

3/95ए, मेडिकल कॉलेज के पूर्वी तरफ
असरीपालन 629201
नागरकोयिल तमिलनाडु,
सेल: 098421-34891, 095788-08888
फोन- 04652-234289
ई-मेल: johnohilvi@yahoo.co.in
वेबसाइट: www.johnohilvi.com

फार्म नं. एमआर-3
सचिवालय लेखपरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति और वेतन कार्मिक) नियम, 2014
का नियम सं.9 के आधार पर]

सेवा में
सदस्य,
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लि.,
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट,
ईस्ट कोस्ट रोड, उत्तंडी,
चेन्नै - 600 119

मैंने सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: यू75111टीएन 2004 जी ओ आई054824)
(इसके बाद कंपनी समझा जाएगा) के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कार्पोरेट
प्रक्रिया का पालन का सचिवालयीन लेखा परीक्षा की। कार्पोरेट आचरण/सांविधि अनुपालन के मूल्यांकन
हेतु तथा अपने विचार प्रकट करने हेतु औचित्यपूर्ण आधार प्रावधान के अनुरूप सचिवालय लेखापरीक्षा
चलाई गई ।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी का बुक, पेपर, मिन्ट बुक, फार्मस तथा फाइल किया गया रिटर्नस
तथा अन्य रिकार्ड का जांच और कंपनी, उनके अधिकारी, एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा,
सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, मैं अपने विचार पर यह रिपोर्ट करता हूँ
कि, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा अवधि को शामिल करते हुए, निम्न सूचित
सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया तथा कंपनी के पास उक्त बोर्ड-प्रक्रिया है तथा अनुपालन
यंत्र, इसके बाद की गई रिपोर्ट के अनुरूप है ।

मैं ने, प्रावधानों के अनुसार दि.31 मार्च 2025 के वित्तीय वर्षांत के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण किए गए अन्य रिकार्ड व फाइल किए गए रिटर्नस तथा प्रपत्र, मिनट पुस्तिका, पैपेर्स, पुस्तिकाओं का परीक्षण किया ।

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) व नियम निम्न प्रकार से होगा ।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत बनाए गए कार्यविधियों तथा इस संबंध में फाइल किए गए रिटर्नस को पूरा किया ।

फिरभी, कंपनी द्वारा बोर्ड में स्वायत्त निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई ।

(ii) सुरक्षा ठेका (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') तथा नियम निम्न प्रकार से होगा ।

(iii) डेपासिटरीस अधिनियम 1996 तथा विनियम व उपनियम निम्न प्रकार से होगा ।

(iv) विदेशी एक्सेज प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा नियम व विनियम निम्न प्रकार से होगा ।

(v) सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड इण्डिया अधिनियम 1992 ('एस ई बी आई अधिनियम') के तहत उल्लिखित विनियम व मार्गदर्शन लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सार्वजनिक कंपनी के गैर सूचिगत है ।

(ए) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (शेयर्स के अनुवर्ती प्रापण व टेकओवर्स)विनियम 2011

(बी) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (इनसैडर ट्रेडिंग के निषेध) विनियम 1992 ।

(सी) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (पूँजी व डिस्क्लोशर मॉग) विनियम 2009 ।

(डी) भारत के सुरक्षा व एक्सेज बोर्ड (जारी व शेर ट्रान्सफर एजेंट्स के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 ।

(vi) जैसा कि मुझे निम्नलिखित अन्य कानूनों के बारे में बताया गया है जो विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू हैं ।

1. वेतन का भुगतान अधिनियम 1936
2. निम्नतम वेतन अधिनियम 1948
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
4. ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970
5. बाल श्रम निषेध तथा नियममिकरण अधिनियम 1986
6. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986
7. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,1981

मैंने निम्नलिखित लागू खण्डों का अनुपालन को भी जाँच किया ।

(i) भारत कंपनी सचिव के संस्थापन द्वारा जारी सचिवालय मानक

(ii) लोक कंपनी के रूप में कंपनी गैर सूचित होने के कारण, टॉक विनियम द्वारा विवरित सूची करार लागू नहीं होगा ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अवलोकन के आधार पर उपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शन, मानक आदि को कंपनी द्वारा अनुपालित किया गया है ।

कंपनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचलन चालू किया जाना है तथा परियोजनाओं को लेने की स्थिति में कंपनी तथा विभिन्न सरकारी की स्वीकृती की अपेक्षा है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि :-

कंपनी के न्यासी मंडल उक्त संख्या में बोर्ड में कंपनी सचिव, महिला निदेशक, स्वायत्त निदेशकों की नियुक्ति ने अलावा कार्यपालक निदेशक तथा गैर-कार्यपालक निदेशक और नामित निदेशकों के साथ गठित है तथा बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यासी मंडल में घटित परिवर्तन समीक्षाधीन है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में चलाया गया है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के निदेशकों में परिवर्तन किया गया ।

बोर्ड बैठक की अनुसूची हेतु सभी निदेशकों को सूचित किया गया तथा कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अग्रिम रूप में प्रेषित किया गया तथा कार्यसूची में बैठक से पहले आगे की सूचना प्राप्ति और स्पष्टीकरण हेतु और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हेतु प्रक्रिया मौजूद है ।

कार्यवृत्त के एक हिस्से के रूप में गैर सहमत के सदस्यों का विचार को भी ध्यान लेकर निर्णय लिया जाता है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू विधि, नियम विनियम और मार्गदर्शन के साथ मानिटर और सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार और प्रचलन के अनुरूप कंपनी की प्रक्रिया और प्रणाली है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, लेखपरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी कार्यकलाप पर मुख्य धारण के उपरोक्त विधि, नियम, विनियम, मार्गदर्शन आदि के अनुपालन में कोई विशेष घटना के लिए कार्रवाई नहीं है ।

ह/-

जे. जॉन ओहिल्वी

एफसीएस:4513 / सीपी:4010

यूडीआईएन: एफ004513एफ001693123

स्थान: नागरकोविल

दि: 28.07.2025

परिशिष्ट - I

सेवा में

सभी सदस्य

सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट आफ पोर्ट मनेजमेंट

ईस्ट कोस्ट रोड, उतंडी,

चेन्नै - 600119

इस पत्र के साथ समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को पढ़ें ।

1. सचिवालय रिकार्ड का अनुरक्षण हमारे कंपनी के प्रबंधन का तर्कसंगत है । हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवालय रिकार्ड पर हम अपने विचारों का व्यक्त करें ।
2. हमने लेखा परीक्षा की प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं पर अनुपालन किया क्योंकि हमने इन सचिवालय रिकार्ड के विषय की सही हेतु उचित आश्वासन प्राप्त किया है । आवलोकन का टेस्ट के आधार पर किया गया ताकि सचिवालय रिकार्ड में इन सही तथ्यों की दर्शाने की सुनिश्चितता कर सकें । हमें लेखा परीक्षा की प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं पर विश्वास है । हमारे विचार हेतु उचित आधार पर अनुपालन किया है ।
3. वित्तीय रिकार्डों तथा कंपनी के लेखा पुस्तिकाओं के सहिष्णुता तथा उचित उपयुक्तता का अवलोकन नहीं किया है ।
4. जहाँ भी आवश्यकता होती है हमने कानूनी अनुपालन नियम व विनियम तथा घटक आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रत्यावेदन प्राप्त किया है ।
5. कार्पोरेट तथा अन्य लागू कानून, नियम, विनियम स्ट्रैंडर्ड तथा कार्पोरेट के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है । टेस्ट आधार पर कार्यविधियों का अवलोकन पर हमारी परीक्षा सीमित है ।
6. सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या तो कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता पर आश्वासन न हो या प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों में प्रभावी नहीं किया हो।

स्थान : नागरकोयिल

दिनांक: 28/07/2025

ह/-

जे.जॉन आहिलवी

एफसीएस: 4513/सीपी: 4010

यूडीआईएन: एफ004513ई001939127

FORM NO. MGT-7

[Pursuant to sub-Section(1) of section 92 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of rule 11of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]



Annual Return

(other than OPCs and Small Companies)

Form language ☒ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

(i) * Corporate Identification Number (CIN) of the company

U75111TN2004GOI054824

Pre-fill

Global Location Number (GLN) of the company

* Permanent Account Number (PAN) of the company

AAICS8428D

(ii) (a) Name of the company

SETHUSAMUDRAM CORPORAT

(b) Registered office address

NATIONAL INSTITUTE OF PORTMANAGEMENT
EAST COAST ROAD UTHANDI
CHENNAI
Chennai
Tamil Nadu
600110

(c) *e-mail ID of the company

SC*****IL.COM

(d) *Telephone number with STD code

04*****51

(e) Website

(iii) Date of Incorporation

06/12/2004

(iv)	Type of the Company	Category of the Company	Sub-category of the Company
	Public Company	Company limited by shares	Union Government Company

(v) Whether company is having share capital

☒ Yes

☐ No

(vi) *Whether shares listed on recognized Stock Exchange(s)

☐ Yes

☒ No

(b) CIN of the Registrar and Transfer Agent

Pre-fill

Name of the Registrar and Transfer Agent

Registered office address of the Registrar and Transfer Agents

(vii) *Financial year From date (DD/MM/YYYY) To date (DD/MM/YYYY)

(viii) *Whether Annual general meeting (AGM) held ☒ Yes ☐ No

(a) If yes, date of AGM

(b) Due date of AGM

(c) Whether any extension for AGM granted ☒ Yes ☐ No

(d) If yes, provide the Service Request Number (SRN) of the application form filed for extension

Pre-fill

(e) Extended due date of AGM after grant of extension

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

*Number of business activities

S.No	Main Activity group code	Description of Main Activity group	Business Activity Code	Description of Business Activity	% of turnover of the company
1	H	Transport and storage	H3	Water transport	0

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

*No. of Companies for which information is to be given

Pre-fill All

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/Associate/ Joint Venture	% of shares held
1				

IV. SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

(i) *SHARE CAPITAL

(a) Equity share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Total number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Total amount of equity shares (in Rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

Number of classes

1

Class of Shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Nominal value per share (in rupees)	10	10	10	10
Total amount of equity shares (in rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

(b) Preference share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid-up capital
Total number of preference shares	0	0	0	0
Total amount of preference shares (in rupees)	0	0	0	0

Number of classes

0

Class of shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of preference shares				
Nominal value per share (in rupees)				
Total amount of preference shares (in rupees)				

(c) Unclassified share capital

Particulars	Authorised Capital
Total amount of unclassified shares	0

(d) Break-up of paid-up share capital

Class of shares	Number of shares			Total nominal amount	Total Paid-up amount	Total premium
Equity shares	Physical	DEMAT	Total			
At the beginning of the year	745,000,000	0	745000000	7,450,000,000	7,450,000,000	

Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Pubic Issues	0	0	0	0	0	0
ii. Rights issue	0	0	0	0	0	0
iii. Bonus issue	0	0	0	0	0	0
iv. Private Placement/ Preferential allotment	0	0	0	0	0	0
v. ESOPs	0	0	0	0	0	0
vi. Sweat equity shares allotted	0	0	0	0	0	0
vii. Conversion of Preference share	0	0	0	0	0	0
viii. Conversion of Debentures	0	0	0	0	0	0
ix. GDRs/ADRs	0	0	0	0	0	0
x. Others, specify <div></div>						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Buy-back of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify <div></div>						
At the end of the year	745,000,000	0	745000000	7,450,000,0	7,450,000,	
Preference shares						
At the beginning of the year	0	0	0	0	0	
Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Issues of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Re-issue of forfeited shares	0	0	0	0	0	0
iii. Others, specify <div></div>						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Redemption of shares	0	0	0	0	0	0

ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify						
At the end of the year	0	0	0	0	0	

ISIN of the equity shares of the company

(ii) Details of stock split/consolidation during the year (for each class of shares)

0

Class of shares		(i)	(ii)	(iii)
Before split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			
After split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			

(iii) Details of shares/Debentures Transfers since closure date of last financial year (or in the case of the first return at any time since the incorporation of the company) *

☒ Nil

[Details being provided in a CD/Digital Media]

☐

Yes

☐

No

☐

Not Applicable

Separate sheet attached for details of transfers

☐

Yes

☐

No

Note: In case list of transfer exceeds 10, option for submission as a separate sheet attachment or submission in a CD/Digital Media may be shown.

Date of the previous annual general meeting		<input type="text"/>	
Date of registration of transfer (Date Month Year)		<input type="text"/>	
Type of transfer	<input type="text"/>	1 - Equity, 2- Preference Shares,3 - Debentures, 4 - Stock	
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred	<input type="text"/>	Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)	<input type="text"/>

Ledger Folio of Transferor			
Transferor's Name			
	Surname	middle name	first name
Ledger Folio of Transferee			
Transferee's Name			
	Surname	middle name	first name

Date of registration of transfer (Date Month Year)			
Type of transfer		1 - Equity, 2- Preference Shares,3 - Debentures, 4 - Stock	
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred		Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)	
Ledger Folio of Transferor			
Transferor's Name			
	Surname	middle name	first name
Ledger Folio of Transferee			
Transferee's Name			
	Surname	middle name	first name

(iv) *Debentures (Outstanding as at the end of financial year)

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Non-convertible debentures	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0
Fully convertible debentures	0	31	0

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Total			0

Details of debentures

Class of debentures	Outstanding as at the beginning of the year	Increase during the year	Decrease during the year	Outstanding as at the end of the year
Non-convertible debentures	0	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0	0
Fully convertible debentures	0	0	0	0

(v) Securities (other than shares and debentures)

0

Type of Securities	Number of Securities	Nominal Value of each Unit	Total Nominal Value	Paid up Value of each Unit	Total Paid up Value
Total					

V. *Turnover and net worth of the company (as defined in the Companies Act, 2013)

(i) Turnover

0

(ii) Net worth of the Company

8,151,050,000

VI. (a) *SHARE HOLDING PATTERN - Promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	495,000,000	66.44	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	

3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	
8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	250,000,000	33.56	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	745,000,000	100	0	0

Total number of shareholders (promoters)

8

(b) *SHARE HOLDING PATTERN - Public/Other than promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	0	0	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	
3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	

8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	0	0	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	0	0	0	0

Total number of shareholders (other than promoters)

0

**Total number of shareholders (Promoters+Public/
Other than promoters)**

8

**VII. *NUMBER OF PROMOTERS, MEMBERS, DEBENTURE HOLDERS
(Details, Promoters, Members (other than promoters), Debenture holders)**

Details	At the beginning of the year	At the end of the year
Promoters	8	8
Members (other than promoters)	0	0
Debenture holders	0	0

VIII. DETAILS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

(A) *Composition of Board of Directors

Category	Number of directors at the beginning of the year		Number of directors at the end of the year		Percentage of shares held by directors as at the end of year	
	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive
A. Promoter	1	4	1	0	0	0
B. Non-Promoter	0	0	0	0	0	0
(i) Non-Independent	0	0	0	0	0	0
(ii) Independent	0	0	0	0	0	0
C. Nominee Directors representing	0	2	0	7	0	0
(i) Banks & FIs	0	0	0	0	0	0
(ii) Investing institutions	0	0	0	0	0	0
(iii) Government	0	2	0	7	0	0
(iv) Small share holders	0	0	34 0	0	0	0

(v) Others	0	0	0	0	0	0
Total	1	6	1	7	0	0

Number of Directors and Key managerial personnel (who is not director) as on the financial year end date

8

(B) (i) *Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year

Name	DIN/PAN	Designation	Number of equity share(s) held	Date of cessation (after closure of financial year : If any)
HARANADHLAKSHMI	07295378	Nominee director	0	
SUNIL PALIWAL	01310101	Managing Director	0	
PRADEEPKUMARRO	10395264	Nominee director	0	
JESUDASANPETERIR	08839241	Nominee director	0	
DURGESHKUMARDU	09207436	Nominee director	0	
S.DIVAKAR	09675405	Nominee director	0	24/06/2024
GOPINATH NAYAK	10078138	Nominee director	0	30/10/2024
BIMAL KUMAR JHA	07059268	Nominee director	0	24/06/2024

(ii) Particulars of change in director(s) and Key managerial personnel during the year

3

Name	DIN/PAN	Designation at the beginning / during the financial year	Date of appointment/ change in designation/ cessation	Nature of change (Appointment/ Change in designation/ Cessation)
THANALAPATHY KI	03104487	Director	30/08/2023	Cessation
RAMA MOHANA RA	07620951	Nominee director	30/08/2023	Cessation
PARMESHWAR BAI	09128834	Nominee director	19/12/2023	Cessation

IX. MEETINGS OF MEMBERS/CLASS OF MEMBERS/BOARD/COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

A. MEMBERS/CLASS /REQUISITIONED/NCLT/COURT CONVENED MEETINGS

Number of meetings held

1

Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members entitled to attend meeting	Attendance	
			Number of members attended	% of total shareholding
ANNUAL GENERAL MEETI	29/12/2023	35 7	6	86

B. BOARD MEETINGS

*Number of meetings held

4

S. No.	Date of meeting	Total Number of directors associated as on the date of meeting	Attendance	
			Number of directors attended	% of attendance
1	02/05/2023	5	2	40
2	30/08/2023	5	4	80
3	19/12/2023	5	4	80
4	28/03/2024	5	4	80

C. COMMITTEE MEETINGS

Number of meetings held

1

S. No.	Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members as on the date of the meeting	Attendance	
				Number of members attended	% of attendance
1	AUDIT COMM	30/08/2023	3	3	100

D. *ATTENDANCE OF DIRECTORS

S. No.	Name of the director	Board Meetings			Committee Meetings			Whether attended AGM held on
		Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	23/12/2024
								(Y/N/NA)
1	HARANADHL	4	3	75	1	1	100	Yes
2	SUNIL PALIW	4	4	100	1	1	100	Yes
3	PRADEEPKU	2	2	100	0	0	0	Yes
4	JESUDASANF	3	3	100	0	0	0	Yes
5	DURGESHKU	3	2	66.67	0	0	0	Yes
6	S.DIVAKAR	4	4	100	1	1	100	Yes
7	GOPINATH N.	4	4	100	0	0	0	No
8	BIMAL KUMA	3	1	33.33	0	0	0	No

X. *REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL☒ Nil

Number of Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of CEO, CFO and Company secretary whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of other directors whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

XI. MATTERS RELATED TO CERTIFICATION OF COMPLIANCES AND DISCLOSURES

* A. Whether the company has made compliances and disclosures in respect of applicable provisions of the Companies Act, 2013 during the year ☐ Yes ☒ No

B. If No, give reasons/observations

As per Secretarial Auditor Report

XII. PENALTY AND PUNISHMENT - DETAILS THEREOF(A) DETAILS OF PENALTIES / PUNISHMENT IMPOSED ON COMPANY/DIRECTORS /OFFICERS ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which penalised / punished	Details of penalty/ punishment	Details of appeal (if any) including present status

(B) DETAILS OF COMPOUNDING OF OFFENCES ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which offence committed	Particulars of offence	Amount of compounding (in Rupees)

XIII. Whether complete list of shareholders, debenture holders has been enclosed as an attachment

☒ Yes ☐ No

XIV. COMPLIANCE OF SUB-SECTION (2) OF SECTION 92, IN CASE OF LISTED COMPANIES

In case of a listed company or a company having paid up share capital of Ten Crore rupees or more or turnover of Fifty Crore rupees or more, details of company secretary in whole time practice certifying the annual return in Form MGT-8.

Name

J.JOHN OHILVI

Whether associate or fellow

☐ Associate ☒ Fellow

Certificate of practice number

4010

I/We certify that:

- (a) The return states the facts, as they stood on the date of the closure of the financial year aforesaid correctly and adequately.
(b) Unless otherwise expressly stated to the contrary elsewhere in this Return, the Company has complied with all the provisions of the Act during the financial year.

Declaration

I am Authorised by the Board of Directors of the company vide resolution no. ... 69/3 dated 16/03/2022

(DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

- Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Note: Attention is also drawn to the provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

To be digitally signed by

Director

Sunil Paliwal
Digitally signed by Sunil Paliwal
Date: 2025.01.28
17:12:29 +05'30'

DIN of the director

0*3*0*0*

To be digitally signed by

JOHN OHILVI
Digitally signed by JOHN OHILVI
Date: 2025.01.29
10:26:39 +05'30'

- ☐ Company Secretary
- ☒ Company secretary in practice

Membership number

4*1*

Certificate of practice number

4*1*

Attachments

1. List of share holders, debenture holders
2. Approval letter for extension of AGM;
3. Copy of MGT-8;
4. Optional Attachement(s), if any

Attach

Attach

Attach

Attach

List of attachments

Share Holders List_Sethusamudram Corpc

Approval letter for extention of AGM_Sethu

FORM MGT-8_SETHUSAMUDRAM_2024

Remove attachment

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए थे। आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है जिसमें बोर्ड, कर्मचारी, शेयरधारक और अन्य हितधारक शामिल होते हैं। कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारी पारदर्शिता, अखंडता, ईमानदारी और जवाबदेही के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 दि. 31.03.2025 को निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी निम्नप्रकार से है ।

क्रमांक	निदेशक का नाम	पोर्ट/कंपनी का प्रतिनिधित्व करना
01	श्री. सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन नं 01310101)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
02	श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	कामराजर पोर्ट लिमिटेड को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
03	श्री सुशांत कुमार पुरोहित, आईआरएसईई (डीआईएन नं 09725013)	वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
04	श्री. पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	पारादीप पत्तन प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
05	श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आईआरटीएस (डीआईएन नं 09207436)	विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक

		व ट्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
06	श्री. प्रदीप कुमार राय (डीआईएन नं 09128834)	पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
07	श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)	पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक
08	रियर अडमिरल जस्विंर सिंह (डीआईएन नं 10104264)	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिनिधित्व करनेवाले नामित निदेशक

कंपनी के बोर्ड आफ डैरेक्टर्स में भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करनेवाले पोत परिवहन के नामिनीस तथा पदेन सदस्य के आधार पर सीपीएसयू में शामिल होनेवाले निदेशक/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा महा पत्तनों में शामिल होनेवाले अध्यक्ष / उपाध्यक्ष आदि शामिल होते हैं ।

हमारी कंपनी के अनुच्छेद 122 (बी) तथा 125 ए के अनुसार, वीओसीपीटी और एससीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक गैर-घूर्णी निदेशक होंगे।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक को कंपनी के सामान्य बैठक से सेवानिवृत्ति नहीं होगी ।

हमारे कंपनी के आर्टिक 162 के अनुसार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त करना होगा ताकि वे प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करें

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा प्रबंध निदेशक को, कानून के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ऐसी स्वीकृति के अनुसार, ऐसे वेतन को (या तो वेतन के रूप में या कमीशन या लाभ में सहयोग या आंशिक रूप में ऐ तरह से या आंशिक रूप में दूसरी तरह से) प्राप्त हो, जो सामान्य रूप में कंपनी के रूप में निर्णय लिया जाए ।

2.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड आफ निदेशक का वर्ग व कंपोसिशन तथा अद्यतन रिपोर्ट

क्रमांक	निदेशक का नाम	वर्ग	नियुक्ति की तारीख	सेशन की तारीख
01	श्री.सुनीलपालीवाल, आईएएस (डीआईएन नं 01310101)	अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक	23.10.2019	जारी
02	श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	नामित निदेशक	13.12.2021	जारी
03	श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	नामित निदेशक	30.08.2023	जारी
04	श्री दुर्गेश कुमार दुबे आई आर टी एस (डीआईएन नं 09207436)	नामित निदेशक	30.08.2023	जारी
05	श्री सुशांत कुमार पुरोहित आईआरएसईई (डीआईएन नं 09725013)	अपर निदेश	24.06.2024	जारी

06	श्री प्रदीप कुमार राय (डीआईएन नं 10395264)	नामित निदेशक	19.12.2023	जारी
07	श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)	नामित निदेशक	04.02.2025	जारी
08	रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन नं 10104264)	अपर निदेशक	04.02.2025	जारी
09	श्री बिमल कुमार झा (डीआईएन नं 07059268)	नामित निदेशक	30.08.2023	जारी
10	कप्तान एस.दिवाकर (डीआईएन नं 09675405)	नामित निदेशक	28.10.2022	24.06.2024
11	श्री गोपीनाथ नायक (डीआईएन नं 10078138)	नामित निदेशक	17.03.2023	31.10.2024

श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आईआरटीएस (डीआईएन नं 09207436) को विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण के साथ साथ डीसीआई को भी प्रतिनिधि अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

आपके निदेशको ने आपके कंपनी के बोर्ड में सेवा किए गए प.पो.प व ज.मं के प्रतिनिधि पूर्व उप सचिव श्री स्माराजीत कुमार बिस्वास, डीसीआई के प्रतिनिधि पर्व प्र.नि व सीईओ श्री परमेस्वर बाली, विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष श्री के.रामा

मोहण राव, वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष श्री टी.के.रामचंद्रन से प्राप्त मार्गदर्शन और बहुमूल्य सेवाओं प्रशंसा को रिकार्ड करना चाहा तथा श्री गोपिनाथ नायक, पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के रेस्टवाइल उप सचिव को आपके कंपनी के बोर्ड पर नियुक्त किया गया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के पास आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। जैसाकि आपके कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जानी है। आपके कंपनी ने इस मामले को पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के साथ ले लिया है ।

2.3 वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (01.04.2024 से 31.03.2025) पर 24.06.2024 22.10.2024, 30.10.2024, तथा 04.02.2025 और आखिरी एजीएम में 23.12.2024 निम्न प्रकार से है ।

निदेशक का नाम	निदेशकों का पदनाम	वि.वर्ष 2024-25 में संबंधित निदेशक की अवधि के दौरान संपन्न बोर्ड बैठक की संख्या		अंतिम एजीएम की उपस्थिति
		आयो जित	भाग लिया	
श्री. सुनील पालीवाल, आईएस (डीआईएन नं 01310101)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4	4	हां
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	2	नहीं

श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	4	नहीं
श्री दुर्गेश कुमार दुबे आई आर टी एस (डीआईएन नं 09207436)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	4	नहीं
श्री सुशांत कुमार पुरोहित आईआरएसईई (डीआईएन नं 09725013)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	1	हां
श्री प्रदीप कुमार राय (डीआईएन नं 10395264)	नामित निदेशक	4	4	नहीं
श्री रितुराज मिश्रा (डीआईएन नं 02636799)	नामित निदेशक	1	1	लागू नहीं
रियर अडमिरल जसविंदर सिंह (डीआईएन नं 10104264)	अपर निदेशक	1	1	लागू नहीं
श्री गोपीनाथ नायक (डीआईएन नं 10078138)	निर्देशक गैर-कार्यकारी	4	4	नहीं

3. लेखापरीक्षा समिति

3.1 दि.31.03.2025 को कंपनी के लेखा परीक्षा समिति में निम्न लिखित सदस्य शामिल होंगे ।

निदेशकों का नाम	स्थिति
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस	अध्यक्ष

(डीआईएन नं 07295378)	
श्री. सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन नंबर: 01310101)	सदस्य
श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	सदस्य

3.2 वर्ष के दौरान बैठक तथा उपस्थिति

वर्ष 2024-25 के दौरान दि.30.10.2024 को एक लेखा परीक्षा समिति आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार से है ।

निदेशकों का नाम	स्थिति	अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
			बैठकों की संख्या	प्रतिशतता (%)
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आईआरटीएस (डीआईएन नं 07295378)	अध्यक्ष	01	01	100
श्री. सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन नंबर: 01310101)	सदस्य	01	01	100
श्रीमती जे.पी.आइरिनसिंदिया,आईएएस (डीआईएन नं 08839241)	सदस्य	01	01	100

4. सामान्य निकाय बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित एजीएम का स्थान, तिथि और समय निम्नानुसार है:

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय	पारित विशेष संकल्प
2023-24	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड रूम, चेन्नई - 600 001	23.12.2024	03:00	शून्य
2022-23	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड रूम, चेन्नई - 600 001	29.12.2023	03:00	शून्य
2021-22	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड रूम, चेन्नई - 600 001	30.12.2022	04.00	शून्य

* एजीएम दि.30.12.2022 को स्थगित की गई तथा दि.27.01.2023 को शाम को 3.30 को जेकेआर रिसार्ट रामेश्वरम में स्थगित की गई ।

5. प्रकटीकरण

- i) वार्षिक रिपोर्ट में दि.31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बन्नेवाले नोट्स में संबंधित पार्टी लेनदेन नोट संख्या 25 में निर्धारित किए गए हैं ।
- ii) वैधानिक प्राधिकारियों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम/नियम के तहत कंपनी पर कोई प्रतिबंध या जुर्माना नहीं लगाया है ।
- iii) आपकी कंपनी के पास हासिल ब्लाअर नीति है और कंपनी को को समय समय पर लेखा परीक्षा समिति के लिए कोई कार्मिक नहीं है ।
- iv) केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के निर्देशों और आदेशों तक पहुँच से वंचित कर दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और अभ्य संख्यकों आदि के पक्ष में पदों/लाभों का आरक्षण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि आपकी कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है ।
- v) व्यय की कोई भी मद खातों की पुस्तकों में डेबिट नहीं की गई थी जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं थी । इसके अलावा, बोर्ड के लिए कोई खर्च नहीं किया गया
- vi) समीक्षाधीन वर्ष और पिछले वर्ष के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और

वित्तीय व्यय का विवरण वार्षिक खातों में उपलब्ध है।

- vii) कंपनी ने कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को संकलित किया है कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई निदेशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रैक्टाइसिंग कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र **अनुलग्नक -4** के रूप में संलग्न है जो स्व.व्याख्यात्मक है ।

6. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या शून्य है ।

7.पावती

आपके निदेशक जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार, भाग लेने वाले बंदरगाहों, भारतीय नौवहन निगम, ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय बंदरगाह संघ आदि के अधिकारियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, आपके निदेशक भी इस अवसर पर बैंकरों और कंपनी के सभी कर्मचारियों के समर्थन और सहयोग का धन्यवाद करें।

कृते सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड आफ
डाइरेक्टर्स की ओर से

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(डीआईएन नं 01310101)

जगह: चेन्नै

दिनांक: 30.07.2025

कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
शेयरधारक
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824)
पोर्ट प्रबंधन के राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट,
ईस्ट कोस्ट रोड, उत्तंडी,
चेन्नै, तमिलनाडु, भारत- 600119

हमने दि. 31 मार्च 2025 के वर्षांत कॉर्पोरेट प्रशासन सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824) की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉर्पोरेशन प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। दिशानिर्देश की शर्त 3.1.4 में परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति की शर्तों को छोड़कर विभाग सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हो ।

हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की आगे व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जे.जॉन ओइल VI

एफसीएस:4513/सी.पी.नं 4010

(यूडीआईएन: एफ004513जी000878155)

स्थान : नागरकोइल

दिनांक : 28.07.2025

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

नं.पीडीसीए/चेन्नै/सी ए -II/4-126/2025-26/342

दि. 12.08.2025

सेवा में

प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
एंकर गेट भवन,
पहली मंजिल, राजाजी सालै
चेन्नै - 600 001

महोदय

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय
तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के
नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का टिप्पणी

मैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय
तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा
लेखा परीक्षक का टिप्पणी प्रेषित करता हूँ ।

मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की पाँच प्रतियों को, इस कार्यालय में अग्रेषित करने हेतु प्रबंध करें ।

इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

ह/-

(एस.वेल्लियंगिरी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के

प्रधान निदेशक

संलग्न : लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमदरम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै के वित्तीय तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदीकरण रूपरेखा के अनुरूप दि. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमदरम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय तालिकाओं की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143(10) की धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के साथ अनुरूप में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित करके अधिनियम की धारा 143 के वित्तीय विवरणिकाओं पर विचार प्रकट करने हेतु अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक द्वारा सांघिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। उनकी दि.01.08.2025 का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अधीन इन्हें किया जाना उल्लेख किया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय तालिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा का आयोजन न करने का निर्णय लिया है।

कृते भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की आरे से

ह/-

(एस.वेल्लियंगिरी)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान

निदेशक

स्थान :चेन्नै

दिनांक :12.08.2025

स्वायत्त लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य, मेसर्स सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन भारतीय लब्धा मानक (भा लामा) का वित्तीय विवरणिकाओं की लब्धा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमनम मसर्स सेतुसमुंदरम लिमिटेड (कंपनी) का स्टैंडअलोन भारतीय लब्धा मानक का रूप में वित्तीय विवरणों की लब्धा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 का तुलनपत्र का अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि विवरणिका इक्विटी में परिवर्तन और वर्षांत का लिए कश फ्लो का विवरणिका स्टैंडअलोन भारतीय लब्धा मानक का रूप में वित्तीय विवरणिका सहित वर्षांत का लिए महत्वपूर्ण लब्धाकीकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी आदि शामिल है ।

हमारी राय में और हमारी सबसमअच्छी जानकारी सम और हमें दी गई व्याख्याओं का अनुसार, हमारी रिपोर्ट में योग्य राय का अनुसार उल्लिखित मामलका प्रभावों का अलावा उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लब्धा मानक स्टैंडअलोन भारतीय लब्धा मानक स्टैंडअलोन भारतीय लब्धा मानक का रूप में वित्तीय विवरण द्वारा आवश्यक ढंग सम कंपनी अधिनियम द्वारा मांगी गई सूचनाओं को प्रकट किया जाता है और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लब्धांकन सिद्धांतों का अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दसा है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 का तहत निर्धारित भारतीय लब्धा मानक शामिल हैं, कंपनी का स्टद आफ अफर्स लाभ सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और वर्षांत तक नकदी प्रवाह का कंपनी का (भारतीय लब्धाकीकरण मानक) नियम 2015 पठित 31 मार्च 2025 को संशोधित है ।

योग्य राय का लिए आधार

1. वर्ष 2004 से लेकर अब तक कंपनी ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है । विभिन्न विसंगति के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर वर्ष 2007 में पूँजी ड्रेजिंग कार्य रोक दिया गया । वर्ष 2009 से प्रचालन कार्यकलापों में समापन हाने के कारण कंपनी ने विभिन्न प्रचालन संपत्ति जैसे टगस, नेविगेशनल एड्ड, लांचस, बोया आदि को बेच दिया । दि.18.6.2019 के मंत्रालय के संदर्भादीन पत्र के निर्देशों के अनुसार एस सी एल ने दि.28.6.2019 को 59 वाँ बोर्ड की बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी के समापन के प्रस्ताव के लिए मंत्रालय से अनुमोदन

भेजा। अपर पधन प्रोसेक्यूटर ने दि.13.12.2019 को विचार किया कि कार्पोरेशन को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 272 के तहत समापन किया जा सकता है बशर्तकि अन्य शर्तों के सहित हो । पत्तन, पोत परिवहन जलमार्ग के राज्य मंत्री के अध्यक्षता पर आयोजित बैठक में दि.29.4.2021 को कंपनी के समापन के बारे में चर्चा कर लिया । ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया के देय की समझौता प्रक्रिया के बारे में चर्चा की ।

2. दि.24.6.2021 के सूचना के अनुसार पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया से देय की बाकी राशि के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया तथा 6 महीने के अंदर कंपनी के समापन हेतु कार्यकलापों को पूरा करने हेतु टाइमलाइन को नियत किया जाए ।
3. आई एन डी ए एस 1 के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं के प्रत्यावेदन, वित्तीय विवरणिका की तैयारी करते समय प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान को जारी रखने की एक इकाई की क्षमता का आकलन करेगा । प्राप्त साक्ष्य और परिस्थितियों भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है और इसलिए वित्तीय विवरणिकाएँ चालू कंपनी के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी ।
4. परिसंपत्तियों और देनदारियों के हानि मूल्य को स्टेडअलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणिकाओं में पहचाना जाना है और हमें पर्याप्त जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट की अनुपलब्धता के अभाव में हानि मूल्य की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ है । कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपनी परिसंपत्तियों की वसूली और अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकती है । वित्तीय विवरणिकाएँ इस मामले का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं करते ।
5. इंडस्ट्रीस ए एस 10 में आगे की प्रासंगिक धाराएँ जैसा लागू हो, को भी यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है ।

“एक ईकाई अपने वित्तीय विवरण को चालू कंपनी के आधार पर तैयार नहीं करेगी यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि उसका इरादा है ईकाई को समाप्त करने या व्यापार बंद करने के लिए या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।”

“रिपोर्टिंग अवधि के बाद परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति में गिरावट इस

बात पर विचार करने की आवश्यकता का संकेत दे सकती है कि क्या चालू कंपनी की धारणा अब भी उपयुक्त है तो प्रभाव इतना व्यापक है कि इस मानक में लेखांकन के मूल आधार के भीमर मान्यता प्राप्त राशियों के समायोजन के बजाय लेखांकन के आधार पर मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी ।“

इस प्रकार इंडस्ट्रीस ए एस 10 कंपनी के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि के बाद चालू प्रतिष्ठान की धारणा समाप्त होने पर भी वित्तीय विवरण तैयार किया जा सकता है तो यह उस कंपनी के लिए भी लागू होता है जिसने अपना चंचानल बंद कर दिया है और इस प्रकार रिपोर्टिंग तिथि से पहले चलने की धारणा का अस्तित्व समाप्त हो गया है ।

तैयारी के आधार वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों नोट 2 में कंपनी ने कहा है कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं । कंपनी नियम 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें ।

लेखा परीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत वित्तीय विवरण मूल धारणा के साथ तैयार किए गए हैं जो ऊपर विर्णित कारणों से मान्य नहीं है । इस प्रकार कंपनी का यह दावा कि वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं क्योंकि इंडस्टीज ए एस 1 और इंड ए एस 10 ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति नहीं देते हैं ।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (नोट 2) में, कंपनी ने कहा है कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानकों) के साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं । वर्तमान संदर्भ में यह दावा मान्य नहीं है । उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरणों का निरंतर तैयार होना, भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताओं का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति और निष्पादन का महत्वपूर्ण गलत विवरण सामने आता है ।

6. बैंकों के साथ लघु अवधि जमा, विविध समायोजन, विविध प्राप्तियों, पूंजीगत अग्रिमों, व्यापार प्राप्तियों और जमाओं से संबंधित स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं 6,7 तथा 16 की टिप्पणी के लिए पृष्ठ ।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएसएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अनुभाग के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया गया है।। आचार संहिता के अनुसार भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आवश्यकताओं के साथ हम कंपनी के स्वतंत्र हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत हमारे योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में हमारी राय वित्तीय वक्तव्यों में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस बारे में आश्वासन के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय वक्तव्यों के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अन्य जानकारी को भी पढ़ें और ऐसा करने पर यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या उस समय प्राप्त किए गए ज्ञान से संबंधित है या हमारी लेखा परीक्षा या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अन्य जानकारी गलत है, हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हम इस निष्कर्ष पर भी आए हैं कि इस तरह की अन्य जानकारी का गलत इस्तेमाल करने से, उपरोक्त योग्य राय, वर्णित मामलों से संबंधित होगा।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा के संदर्भ में संबंधित है और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। योग्य राय हेतु वर्णित मामले के

अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों से संबंधित हैं।

क्र सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	<p><u>डी सी आई को देय</u></p> <p>कंपनी द्वारा डी सी आई को देय बाकी को निपटाने हेतु कई समितियाँ आयोजित की है। अंत में पो.प.मंत्रालय ने पोत परिवहन के स.स व वि.स तथा संस(पी) & डी ए (पी) के साथ समिति स्थापित की। यह समिति ने मई 2019 में बैठक आयोजित किया तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध निधियों में से अदायगी किया गया तथा कंपनी ने सरकार से रु.115.72 करोड के अनुदान का अनुरोध किया। वी व 2021-22 के दौरान, डीसीआई को रु.20 करोड की राशि का भुगतान किया गया। अब डी सी आई को अदायगी की जानेवाली राशि रु.65.72 करोड है।</p>	<p>कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना और प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने पर, हम समझते हैं, हम समझते हैं कि, वर्ष के दौरान कुछ भुगतान किए गए थे और अनुदान की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p>
2	<p><u>प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ</u></p> <p>कंपनी में कई कानूनी और विनियमन मामले हैं जिस पर अंतिम परिणाम की आसानी से नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप अधिक देयताएँ होती हैं।</p> <p>स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं में टिप्पणी 24 में आकस्मिक देयताओं के संबंधित प्रबंधन को प्रकट किया गया है।</p> <p>काम्प्लेक्स मान्यताओं से आधारित विसंगति के साथ मूल्यांकन जोखिम सम्मिलित है। प्रावधान के स्तर का स्थापित करने हेतु न्याय की आवश्यकता होती है जोखिम अधिक होने के कारण प्रावधान व आकस्मिक देयताओं को उचित</p>	<p>आकस्मिक देयताएँ तथा विसंगति के समझौता पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के लिए हम ने पहचान की प्रक्रिया को चर्चा की। प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित किया कंपनी के कार्मिक व प्रबंधन के साथ विभिन्न चर्चाओं द्वारा ऐसे प्रावधान हुआ।</p> <p>हमने पढा जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह हो</p> <p>हमने कंपनी के कुछ निश्चित भौतिक मामलों पर चर्चा की, जो रिपोर्ट में कंपनी के मूल्यांकन की संभावना, परिमाण और किसी भी देयता के लेखांकन का निर्धारण करने के लिए उत्पन्न हो सकते हैं।</p>

	<p>रूप से प्रावधान नहीं किया जाता या पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किया जाता तदनुसार यह मामला लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मामला रहा ।</p>	<p>दि.31 मार्च 2024 को निपटाने हेतु लंबित तथा फाइल किए गए कानूनी मामलों की स्थिति को विश्लेषण किया गया। उपरोक्त के नजर में, हमने रिकॉर्ड किया कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों में पर्याप्तता प्रकट करने को पता करने के लिए हमारे न्याय तथा रिकॉर्ड किए गए प्रावधानित राशि की समीक्षा किया गया।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के लिए शासन पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारा 134 (5) कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदारी है स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिका की तैयारी इस बात का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जाता है कि वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों को अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक, प्रासंगिक नियम जारी किया गया । इस उत्तरदायित्व में यह भी शामिल होगा कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्ड के अनुरक्षण तथा धोखाओं व अन्य अनियमताओं से बचने व पता करने के लिए तथा लेखाकरण नीतियों के उचित चयन, विवेकपूर्ण व उचित प्राक्कलन के निर्णय, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संबंधित तैयारी व प्रस्तुतीकरण जो सही दृष्टिकोण दर्शाता है तथा धोखे से देय गलती से मुक्त हो ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता को पता करने के लिए जिम्मेदार होंगे कंपनी प्रगति में जारी हो, प्रकटीकरण में लागू हो । प्रगति से संबंधित मामले हो या तो संगठन कंपनी को लिक्विडेट करना चाहा या प्रचालन को आसान करना या ऐसा करने हेतु कोई वास्तविक विकल्प न हो ।

प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे ।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य यह है कि इसका आश्वासन प्राप्त किया जाना है कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण गलतफहमी से मुक्त हैं या पूर्ण हैं या पूर्ण हैं या धोखे हो या

या त्रुटिपूर्ण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा गलती नहीं होगी। गलतफहमी धोखे या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या पूर्ण रूप से वे इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अनुसार, भौतिक गलतफहमी के जोखिमों को पहचानें और उनका मूल्यांकन करें, चाहे धोखे या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन पर निष्पादित करें, लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली गलती के एक त्रुटि से होनेवाले गलती से अधिक हो क्योंकि धोखे में कोल्यूसन, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- उपयोग की गई लेखाकीकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया जाए।
- लेखाकीकरण की प्रगति प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक प्रगति में है या नहीं। यदि हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हो तो हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की प्रगति को जारी किया।

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणिकाओं में संपूर्ण प्रकटीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें तथा स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं में लेनदेन का प्रत्यावेदन किया है तथा घटनाओं के उत्तम प्रतिनिधित्व किया जाता है।

हम अन्य मामलों के बीच, शासन, आयोजित विस्तार व लेखा परीक्षा का समय या महत्वपूर्ण फेंडिंगस सहित कोई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा फेंडिंगस सहित आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमि हो जो हम लेखा परीक्षा में पहचान कर सकें के बारे में सूचित किया गया ।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षाबल को भी सूचित किया है। शासन के साथ आरोपित मामलों से सूचित किए जाने पर निर्णय लेते हैं कि संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऐसी सूचना से जनहित के नजर में बुरी प्रभाव पड़ जाएगी ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी के प्रावधानों में मांगे अनुसार, (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के मामले में परिशिष्ट ए में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू आदेश हम देते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;
- (ii) ऊपर दिए गए योग्य राय के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है क्योंकि अब तक उन पुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है;
- (iii) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण खाते की पुस्तकों के साथ हैं;
- (iv) हमारे राय में उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के लिए निर्धारित मामले के प्रभाव के

अलावा उपरोक्त कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित स्टैंड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक सहित वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लिखित किया है।

(v) कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं जीएसआर 463(ई) दि.5.6.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा।

(vi) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तथा नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में ऐसे प्रयत्न के प्रभाव पर अनुलग्नक बी में हमारी अलग रिपोर्ट को संदर्भित है

(vii) अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार दिया जाना चाहिए। हमें;

ए. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय मानक के वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित विसंगतियों का प्रकट किया है स्टैंडअलोन भारतीय मानक के वित्तीय विवरणिकाओं में टिप्पणी का संदर्भ संख्या 24 पर संदर्भ लें।

बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न ठंके सहित कोई लंबी अवधि के अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी सामग्री पर हानि होगी।

सी. कोई निधि है तो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को स्थानांतरित किया जाना है।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) द्वारा मांगे अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण, अनुबंध सी में देते हैं।

4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 2013 के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या.जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

5. एप्रबंधन ने यह दर्शाया है कि (, खातों की टिप्पणी में बताने के अलावा, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या (व्यक्तियों) को (संस्थाओं) संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं ("मध्यस्थ"), कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर) (प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ("अंतिम लाभार्थी")

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार लिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान किया जाएगा ।

बी) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दी जाएगी या निवेश की जाएगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान की जाएगी ; तथा

सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत (ए) और (बी) के तहत दिए गए अभ्यावेदन में कोई भी गलत बयान शामिल है।

6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

7. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) संशोधित, के प्रावधान के अनुसार, दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा(एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते रवि व रघु
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पं सं 005060S

ह/-

(के.रवि)
भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन : 25026783BMIXQ09287

स्थान : चेन्नई
तारीख : 01.08.2025

अनुलग्नक – ए स्वतंत्र लेखा परीक्षक के लिए रिपोर्ट

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

(ए) (ए) हमारी राय में, कंपनी पूर्ण विवरण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान सहित, समुचित रिकार्ड रख रही है। तथापि, इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(बी) कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(i)(क)(ख) के अधीन प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं होता।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर सभी संपत्तियों और संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा अंतिम भौतिक सत्यापन 19 नवम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार किया गया था। पिछले सत्यापन के दौरान कोई सामग्री असंगति नहीं पाई गई।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और मूल शीर्षक वाले कामों का सत्यापन नहीं होता।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, प्लांट और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(ई) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर बेनामी संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) (पूर्व में बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या वे लंबित हैं और उसके तहत बनाए गए नियम, और क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में उचित रूप से विवरण प्रकट किया है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(i) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई वस्तु सूची नहीं थी इसलिए यह खण्ड (ii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड देयता भागीय अथवा अन्य पत्रकारों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के खण्ड (iii) (क) से (ग) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है और धारा 73 से 76 के अर्थ में अथवा अधिनियम और कंपनी (जमा की स्वीकृति) के अन्य संगत प्रावधानों के अंदर जनता से स्वीकृत जमाओं के संबंध में नियम 2015 लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रख-रखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vi) ए. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित अविवादित सांविधिक देय राशि जमा करने में नियमित है और अन्य कोई सांविधिक देय राशि जहां कहीं भी लागू हो, वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ और मार्च, 31 2025 तक देय कोई भी गैर-विवादित राशि उस दिन से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी जिस दिन वे देय हो गए थे।

(रु. लाखों में)

स्टेचूट का नाम	देय की प्रकृति	राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	देय तारीख	अदायगी की तारीख
स्रोत आयकर से घटित कर	घटाई में कमि, ब्याज, विलंब फाइलिंग शुल्क	5.12	पिछले साल	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताओं के संबंध में कोई विवादित देयता नहीं है, सिवाय आयकर के, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(रु. लाखों में)

स्टेचूट का नाम	देय की प्रकृति	ग्रास राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहाँ डिस्पुट लंबित है
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- (vi) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर आकलनों में वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण की गई या आय के रूप में प्रकट की गई लेखा पुस्तकों में कोई लेन-देन दर्ज नहीं किए गए।
- (vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों अथवा सरकार से वर्ष के दौरान कोई ऋण (ऋण उपकरणों सहित) प्राप्त नहीं किया है और इसलिए यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या ऋण के साधनों, अधिमानी आवंटन या निजी शेयरों की निजी जमावट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर सहित आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। इसलिए इस खंड (X) के अधीन रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (X) (क) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृश्य की रिपोर्ट देने के उद्देश्य से हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
 (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तारीख तक केन्द्रीय सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथा विहित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई प्रतिवेदन दायर नहीं किया गया है।
 (ग) कंपनी के लिए विसलि-ब्लोअर यंत्र अनिवार्य नहीं है और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो। सभी लेन-देन के विवरणों को लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiii) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है और लेखापरीक्षा के अधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार किया गया।
- (xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है।

(XV) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एल ए के अधीन पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः, इस आदेश के खण्ड 3(XV)(क), (ख) और (ग) के अधीन प्रतिवेदन लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज (रिजर्व बैंक) के निर्देशों 2016 में परिभाषित है,) और तदनुसार आदेश के खंड 3(XV)(डी) के तहत प्रतिवेदन लागू नहीं है।

(XVI) हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में रु.21.51 लाख नकद की हानि हुई है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान रु.17.54 लाख की हानि हुई है।

(XVII) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(XVIII) वित्तीय देयताएँ की वसूली और वित्तीय परिसंपत्तियों के भुगतान की समय-समय पर वृद्धावस्था और अपेक्षित तारीख के आधार पर वित्तीय वक्तव्यों और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के प्लान के साथ अन्य सूचना और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तारीख के अनुसार भौतिक अनिश्चितता बनी हुई है जिससे पता चलता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय राशि के रूप में और जब वे तुलन-पत्र की तारीख से नियत हो जाएं तो विद्यमान अपनी देयताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी प्रतिवेदन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है।

(XIX) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों को कंपनी पर लागू नहीं हैं। अतः, आदेश के खण्ड 3(XX) के अधीन प्रतिवेदन लागू नहीं है।

(XX) आदेश के खण्ड 3(XVI) के अधीन रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में लागू नहीं होती है। अतः, इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

स्थान : चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

कृते रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.005060एस

ह/-

(के.रवि)

भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन: 25026783BMIXQ09287

आईएफसीओएफआर पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उस दिन मेसर्स सेतुसमुद्र कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखापरक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक “बी ” (हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन में अन्य कानून व विनियमित आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैरा 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड(1) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन उस दिन को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय तालिकाओं का हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोग में 31 मार्च, 2025 के दिन मेसर्स सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का हमने लेखा परीक्षण किया ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिका में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक भागों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदीकरण मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय निंत्रण स्थापित तथा रखरखाव करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यकता के अनुसार, विश्वसीय वित्तीय विवरण का समय पर तैयारी, लेखाकरण अभिलेखों की सहीपन तथा संपूर्णता, संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, कपट तथा त्रुटियों का रोकथाम व पहचान, कंपनी नीतियों का अनुपालन सम्मिलित करके व्यापार का सही तथा दक्ष चालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा हो, को ढँचाकृत करना, कार्यान्वयन करना तथा रखरखाव करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे जिम्मेदारी, वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (मार्गदर्शिका टिप्पणी) तथा लेखा परीक्षण पर मानक के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिका के अनुपालन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर प्रयोज्य विस्तार तक, हमारे लेखा परीक्षण को आयोजित किया। इस मानक तथा मार्गदर्शिका टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकता का अनुपालन करें और इस उचित आश्वासन प्राप्त करके कि वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित तथा रखरखाव किया गया क्योंकि यह मामला निम्न प्रकार से डिस्क्लैमर आफ ओपिनियन पैरा में उल्लिखित हो । हम विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षण गवाह हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय प्रतिवेदीकरण

के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षण राय प्रदान करने के लिए दक्ष तथा पर्याप्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समझौता प्राप्त करना, उस जोखिम मूल्यांकन को शामिल करना है, जो सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमक मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोकेबाजी या त्रुटि के कारण हो।

निम्न पैरा के विचार पर डिस्कलैमर में उल्लिखित होने के कारण हम पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्षी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे ताकि कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम पर लेखा परीक्षा के लिए आधार प्रदान सकें।

वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय निष्पादन उस प्रक्रिया है जिन्हें वित्तीय प्रतिवेदीकरण की संधारणीयता तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय तालिकाओं की तैयारी पर पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए ढाँचाकृत किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसे नीति तथा प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो

- (1) अभिलेख की रखरखाव से संबंधित है जो, कंपनी के संपत्तियों के कारोबारों और स्वभाव को उचित विवरण, सही तौर पर तथा निष्पक्ष प्रतिबिंबित करता है।
- (2) सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों के साथ अनुपालन में वित्तीय तालिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक कारोबारों को उचित तौर पर दर्ज करने और कंपनी के प्राप्तियों व व्यय को प्रबंधन तथा कंपनी के निदेशकों के प्राधिकरण के साथ किये जाने संबंधित आश्वासन प्रदान करता है और
- (3) कंपनी के संपत्तियों का अप्राधिकृत खरीदी, उपयोग या बिक्री जिससे वित्तीय तालिकाओं पर सामग्रीय प्रभाव हो सकता है, का समय पर पहचान या रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की गलती या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखेबाजी के कारण सामग्री गलति से हो सकती है तथा इसे पता लगाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि,

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है ।

राय के डिस्क्लेमर

हमारे राय में, कंपनी के सभी सामग्रीय पहलुओं में, वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीयनियंत्रण उपलब्ध है और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शिका टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक भागों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदीकरण मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित करके, वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31, मार्च 2023 तक प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा था। हमने प्रकृति, समय, कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं में सैंडअलोन के लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा टेसट के अनुसार निर्णय करते हुए उक्त डिसक्लेमर रिपोर्ट पर विचार किया है । तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं के स्टैंडर्ड लोन पर हमारे राय डिस्क्लेमर पर बाधित नहीं होता ।

कृते रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.005060एस

ह/-

प्रवरवि.

भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन : 25026783BMIXQ09287

स्थान : चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

सेवा में

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य

31 मार्च 2025 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा उप-निर्देशों के बारे में नीचे उत्तर दिया है ।

क्रम सं.	निर्देशों तथा उप-निर्देशों	ली गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण का प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आई टी प्रक्रिया द्वारा सभी लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने में क्या कोई सिस्टम है ? अगर हाँ तो वित्तीय बाधाओं के साथ लेखाओं की जाँच पर आई टी सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया के बाधाओं को उल्लिखित किया जाए ।	हमको दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार, कंपनी टेली साफ्टवेयर में लेखाओं को जारी करता है । कंपनी ने अपने वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत नहीं की है । सभी आय व व्यय को टेली में लेखाकृत किया है । वर्ष 2022-23 के दौरान आई टी सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया नहीं किया जाता ।	लागू नहीं है ।
2.	लेनदार द्वारा कंपनी को किए गए मौजूदा ऋण या छूट/बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि के पुनर्गठन कंपनी के असमर्थता या ऋण के पुन अदायगी प्रकट करता है अगर हाँ तो वित्तीय बाधाओं के बारे में उल्लिखित किया जाए ।	वर्ष 2022-23 के दौरान, हमको दिए गए स्पष्टीकरण व सूचना के अनुसार ऋण/ ब्याज/के बट्टेखाते/छूट पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है ।	लागू नहीं है ।
3.	अवधि तथा शर्तों के अनुसार, केन्द्र/राज्य एजन्सियों से क्या कोई प्राप्त/प्राप्ति निधि निर्धारित योजना हेतु प्राप्त किया है ?	वर्ष 2022-23 के दौरान, हमको दिए गए स्पष्टीकरण व सूचना के अनुसार केन्द्र/ राज्य एजन्सियों से निर्धारित प्राप्ति प्राप्त नहीं है ।	लागू नहीं है ।

कृते रवि & रघु

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.005060एस

ह/-

(के.रवि)

भागीदारी

एम नं. 026783

यूडीआईएन : 25026783BMIXQ09287

स्थान : चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम—सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल)

न्यायालय में निलंबित प्रकरणों का विवरण

क्रम सं.	अर्जी का नाम	प्रकरण सं और न्यायालय का नाम जिसमें प्रकरण निलंबित हो	प्रकरण कब से निलंबित रहा	प्रकरण का वर्ग/ लघु समस्या	सम्मिलित रकम (रुपयों में)	मामले की मौजूदा स्थिति
1	ओ. फेर्नांडिस बनाम टीएनपीसीबी, यू ओ आई, टीपीटी और अन्य	डब्ल्यू पी 33528 और 34436 मद्रास उच्च न्यायालय में	2004	दि 7.9.2004 से अपनाये गये सार्वजनिक सुनवाई अप्रभावी रहा और आगे सार्वजनिक सुनवाई 19.11.2004 से 30.11.2004 तक आयोजित किया गया। जैसेकि एनईईआरआई द्वारा आयोजित ईआईए व्यापक नहीं रहा तथा सार्वजनिक सुनवाई विधि की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में नहीं है।	शून्य	एस एस सी पी के कार्यान्वयन के विरुद्ध सभी मामले हैं। सभी मामलों को सिंगल के रूप में सुनाया जा रहा है। दि.16.3.2018 को एक शपथ पत्र फाइल किया जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्र के हित में आदम ब्रिज/रामसेतु को विनाश/बाधा किए बिना सेतुसमुंदरम जहाज चैनल परियोजना के पिछले अलैनमेंट पर दूसरे विकल्प के बारे में भारत सरकार ने विचार किया। माननीय न्यायालय द्वारा पेटिशन को तदनुसार निपटाया जाएगा। इसके अलावा, दि.11.12.2023 को मामले की सुनवाई हुई, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया कि

					<p>"सामान्य एकमात्र याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिस्थापन के लिए आवेदन में दोषों को ठीक नहीं किया है। रजिस्ट्री आवश्यक निर्देशों के लिए माननीय न्यायाधीश के समक्ष चैंबर में सूचीबद्ध करने के लिए मामलों को संसाधित करें"। अंत में मामले की सुनवाई दि.09.09.2024 को हुई, और आठ सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	ओ. फेर्नान्डिस बनाम भारत सरकार, पृथ्वी व वित्त मंत्रालय, टीपीटी, एनपीसीबी और अन्य	डब्ल्यूपी 21532 और डब्ल्यूपी एमपी सं.23473 से 23475 मद्रास उच्च न्यायालय में	2005	दि 31.3.2005 के पर्यावरणीय क्लियरेंस को मिटाना	शून्य	उपरोक्त अनुसार
3	ओ. फेर्नान्डिस बनाम यू ओ आई व अन्य	एसएलपी (सी) 19176 और एसएलपी (सी) 20758 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में	2005	ए) डब्ल्यूपी (सी) 21532/2005 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय तथा आदेश दि.30.06.2005 के प्रचालन पर स्टे बी) प्रतिवादी द्वारा अपनाये गये सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना (एसएससीपी) के आगे की कार्यान्वयन को रोकना	शून्य	उपरोक्त अनुसार
4	श्री रामगोपालन बनाम यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18076, जोबादमेंमाननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अंतरणप्रकरण (सी) 25 बन गया	2007	अलाइनमेंट सं.6 का अनुपालन करते हुए आदम ब्रिज को विध्वंश न करते हुए तथा आलाइनमेंट 3,5 और 6 के अलावा अन्य किसी अलाइनमेंट द्वारा परियोजना को पूर्ण करने पर विचार करने निर्देश देते हुए तथा अलाइनमेंट 1, 2 या 4 का अनुपालन करते हुए परियोजना को पूर्ण करने ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार

5	डॉ सुब्रमण्यन स्वामी और यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18223, जो बाद में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अंतरण प्रकरण (सी) 26 बन गया	2007	ऐतिहासिक क्षेत्र राम सेतु जिन्हें अन्यथा आदम ब्रिज बताया जाता है को बाधा न पहुँचाते हुए या विध्वंश करते हुए, अन्य वैकल्पिक रास्ता या आलइनमेंट को अनुपालन करते हुए एसएससीपी कार्यान्वयन करने के लिए, मुख्यतः 2 तथा 5वीं प्रतिवादी को निदेश देते हुए उचित रिट या किसी आदेश या रिट ऑफ मेमंडस जारी करें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
6	डॉ सुब्रमण्यन स्वामी और यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18224 बाद में यह माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में अंतरण प्रकरण (सी) 27 बन गया	2007	आदमब्रिज/ रामसेतु की ओरिजिन के बारे में जॉच पडताल करने के लिए तथा बाद में उसे पुराने स्मारक तथा पुरा तात्विक क्षेत्रों व बचे अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्ह घोषित करने हेतु प्रतिवादी 1,3, 4 को निर्देश देते हुए रिट ऑफ मेमंडस या किसी अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार

7	दंडीस्वामी श्री विद्यानंदे भारती जी, शंकराचार्य स्वामी बनाम यू ओ आई व अन्य	माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू पी (सी) सं.413	2007	एसएससीपी को अपनाने संबंधित यू ओ ई के निर्णय को मिटाना 2.तारीख 31.03.2005 के पर्यावरणीय क्लियरेन्स को मिटा देना 3.वन प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधान के अधीन एसएससीपी को प्रदान किये गये अनुमति को मिटा देना 4.एसएससीपी को कार्यान्वयन न करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देना 5.पुराने स्मारक तथा पुरा तात्विक क्षेत्रों व बचे अधिनियम 1958 के अधीन राम सेतु को राष्ट्रीय मुख्यता का पुराना स्मारक घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देश देना ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
---	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------

8	मिसजे. जयललिता बनाम यू ओ आई व अन्य	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू पी सं.15	2008	आदम ब्रिज/राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के रूपमें घोषित करने के लिए तथा उसे अपनाने तथा संरक्षण करने के लिए, रिट ऑफ मेमण्डस की प्रकृति में 3 या 4 प्रतिवादियों को निदेश देते हुए रिट आदेश या निदेश जारी करें सेतुसमुद्रम परियोजना के निष्पादन प्रक्रिया मे उक्त आदम ब्रिज/राम सेतु को किसी भी प्रकार विध्वंस करने/क्षति पहुँचाने से 1 तथा 2 प्रतिवादी को रोकें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
---	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
दिनांक 31.03.2025 तक के लिए तुलन पत्र			
विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
		रु. लाखों में	रु. लाखों में
पारिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4.77	4.77
(बी) पूँजी कार्य में प्रगति	4	86,598.76	86,598.76
(सी) अन्य इन्टाजिबल परिसंपत्तियां	5	-	-
(डी) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	6	85.11	347.28
कुल [1]		86,688.64	86,950.80
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्त्य	7	789.09	789.09
(ii) नकदी और समान नकद	8	315.13	325.67
(iii) ऋण	9	-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	29.97	12.72
(बी) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	13.40	4.94
कुल [2]		1,147.59	1,132.42
कुल ए - [1+2]		87,836.23	88,083.22
इक्विटी और देनदारियां			
(1) इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर कैपिटल	12	74,500.00	74,500.00
(बी) अन्य इक्विटी	13	6,762.31	7,010.51
कुल [1]		81,262.31	81,510.51
(2) गैर-चालू देनदारियां			
(ए) प्रावधानों	14	-	-
(बी) अन्य गैर चालू देनदारियां	15	-	-
कुल [2]		-	-
(3) चालू देनदारियां			
(ए) अन्य चालू देनदारियां	16	6,573.91	6,572.70
(बी) प्रावधानों	17	-	-
(सी) चालू कर देनदारियां (नेट)	18	-	-
कुल [3]		6,573.91	6,572.70
कुल बी - [1+2+3]		87,836.23	88,083.22
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ			
वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें			

1 से 33

हमारे समावेनांकित प्राप्तेवेदन के अनुसार
कृते रावे और रघु
चाटेडे अकाउंटेंट
फर्म पंजोक्त सं. 005060एस

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-
(क रावे)
भागोदार
एम.नं.026783
यूडीआईएन नं. 25026783बीएमआईएक्सक्यूओ9287

ह/-
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-
मल्ला श्रीनवास राव
महाप्रबंधक (एफ)
स्थान: चेन्नई
तारीख : 01.08.2025

ह/-
श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.
निदेशक

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड				
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का विवरण				
विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
			रु. लाखों में	रु. लाखों में
I	परिचालन से राजस्व	19	-	-
II	अन्य आय		23.22	22.32
III	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ		-	-
IV	वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण पर शुद्ध लाभ		-	-
V	कुल आय (ए)		23.22	22.32
VI	व्यय:			
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	24.06	21.15
	वित्त लागत		-	-
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	3	-	-
	हानि का हास		-	-
	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध हानि		-	-
	वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण पर शुद्ध हानि		-	-
	अन्य व्यय	21	247.36	18.70
	कुल व्यय (बी)		271.42	39.85
	पूर्व अवधि समायोजन से पहले लाभ [ए-बी]		(248.20)	(17.54)
	पूर्व अवधि समायोजन		-	-
VII	असाधारण आइटम तथा कर स पहल का लाभ		(248.20)	(17.54)
VIII	असाधारण वस्तुएँ		-	-
IX	कर से पूर्व का लाभ		(248.20)	(17.54)
X	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	22	-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
XI	निरंतर प्रचालन स अवाध क लिए लाभ/(हानि)		(248.20)	(17.54)
XII	प्रचालनों को रोकने से लाभ/(हानि)		-	-
XIII	प्रचालनों को रोकने से कर व्यय		-	-
XIV	प्रचालनों को रोकने से लाभ/हानि (कर के बाद)		-	-
XV	(XI + XIV) अर्वाध के लिए लाभ / (हानि)		(248.20)	(17.54)
XVI	अन्य संकलित आय		-	-
XVII	(XV + XVI) अर्वाध के लिए कुल संकलित आय		(248.20)	(17.54)
XVIII	इंक्रिटो शंयर प्रांते उपाजन (निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल		(0.03)	(0.00)
	(2) डायलूटड		(0.03)	(0.00)
XIX	इंक्रिटो शंयर प्रांते उपाजन (बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल		-	-
	(2) डायलूटड		-	-
	इंक्रिटो शंयर प्रांते उपाजन (बंद और जारों प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल		(0.03)	(0.00)
	(2) डायलूटड		(0.03)	(0.00)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें

1 से 33

हमारे समादेनांकित प्रांतेवेदन के अनुसार

कृते रावे और रघु

चाटर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 0005060S

ह/-

(क.रावे)

भागीदार

एम.नं.026783

यूडीआईएन नं.25026783बीएमआईएक्सक्यूओ9287

ह/-

मल्ला श्रीनेवास राव

महाप्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-

श्रीमती जे.पी. आइरिन सिथिया, आई.ए.एस.

निदेशक

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड लागू भा.ले.मा टिप्पणी

1. कार्पोरेट सूचना

सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना (एसएससीपी) ने, भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट व अन्य देशों के बीच के दूर तथा यात्रा समय में कमी दर्शाया तथा भारत के टेरिटोरियल वॉटर के अंदर नौचालन की सुधार हो। इस चैनल की स्थापना की नजर में भारत सरकार ने दि.2 सितंबर 2004 को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड को आयोजित किया तथा जिसे 6 दिसंबर 2004 को अपनी रजिस्टर्ड कार्यालय भारतीय मारीटाइम विश्वविद्यालय, उतंडी, चेन्नै में तथा कार्पोरेट कार्यालय, चौथा तल, उत्तरी स्कंध, पुराने प्रशासनिक कार्यालय, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण, राजाजी सालै, चेन्नै में कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति का संक्षेप

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणिका सभी भौतिक पहलू में, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा ले मा) का अनुपालन करता है।

वित्तीय विवरणिकाएँ लेखाकरण के प्रोदभूत आधार के तहत ऐतिहासिक आधार पर तैयार किया गया है। दि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरणिकाएँ कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम 2006 (संशोधित) तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किए गए।

30.07.2025 को कंपनी के बोर्ड के निदेशकों द्वारा जारी हेतु वित्तीय विवरणिकाएं प्राधिकृत किया गया। वित्तीय विवरणिकाएं में अंको को रूपए लाखों के नजदीक राउंडआफ किया गया है।

2. लेखाकरण का आधार

चालू विचार के रूप में प्रोदभूत आधार पर बुकों का अनुरक्षित किया गया। वित्तीय विवरणिकाएँ में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लेखाकरण। नीतियों को लागू किया जाता है।

3. वस्तुसूची का मूल्यांकन

भा.ले.म 2 लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के कोई वस्तुसूची नहीं है।

4. नकदी प्रवाह की विवरणिका

अप्रवाही प्रणाली के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार किया गया तथा भा.ले.मा 7 अनुपालित किया गया।

5. लेखाकरण नीति, लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन और मूलचूक

भा.ले.मा 8 लागू है तथा वि.व 2024-25 के लिए प्राक्कलन में कोई परिवर्तन नहीं है।

वित्तीय विवरणिकाएँ को कंपनी में उपलब्ध मानकों के आधार पर धरणाओं और अनुमानों पर के अधार पर तैयार किया जाता है। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणा, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन होने पर धारणाओं में ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं।

6. रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटना

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, उन घटनाओं के अनुकूल और प्रतिकूल हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत और वित्तीय विवरणों को अनुमोदन की तारीख के बीच होती हैं।

घटना की प्रकृति और उसके वित्तीय प्रभाव को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में इसको प्रस्तुत किया गया है।

7. आय पर कर

चालू तथा पूर्वावधि के लिए चालू कर, गैर भुगतान की राशि तक, देयता के रूप में माना गया है। अगर पहले ही अदा की गई राशि, चालू तथा पूर्वावधि के लिए देय राशि से अधिक हो जाता है तो अधिकता को परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

कंपनी ने वर्ष के लिए प्राक्कलित ब्याज आय पर आयकर प्रदान किया है। चूंकि कंपनी आयकर अधिनियम के कर हॉलिडे के यू/एस 80-आईए के हकदार है, इसलिए भविष्य में कर देनदारों के विरुद्ध पहले से भुगतान किए गए करों को समायोजित करने की कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए, लेखा में स्थगित कर संपत्ति/देयता को मान्यता नहीं मिली है।

8. संपत्ति, यंत्र तथा उपकरण

भा.ले.मा के संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्तियों, यंत्रों और उपकरणों के वाहक मूल्य के साथ पर चुने गए हैं और इस तरह की संपत्ति, यंत्र और उपकरणों की समेकित लागत को वाहक मूल्य के रूप में उपयोग करते हैं।

ऐतिहासिक लागत मूल्यहास घटाकर संपत्ति, यंत्र और उपकरण कहा जाता है। पूंजीगत कार्य प्रगति पर बताया गया है। अधिग्रहण और परिसंपत्तियों की स्थापना से संबंधित सभी लागत पूंजीकृत हैं। किसी भी व्यापार छूट और छूट लागत पर पहुंचने पर कटौती की जाती है। संपत्ति, यंत्र और उपकरण की नेट वाहक मूल्य राशि को निश्चित संपत्ति या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि की लागत, जो इसके अवशिष्ट मूल्य से कम है।

संपत्ति, यंत्र और उपकरणों की किसी भी वस्तु को प्रारंभिक रूप से किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से के निपटान पर, पहचान लिया गया है। परिसंपत्ति की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (नेट निपटान कार्रवाई और परिसंपत्ति के राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) संपत्ति को पहचानने पर लाभ या हानि के विवरणिका में शामिल किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर संपत्ति के आधार पर संपत्ति के अवधि पर मूल्यहास शुल्क लिया जाता है। निर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिस पर एक परिसंपत्ति किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित संपत्तियों के अवशिष्ट जीवन को अपनाया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधि और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और विनियमित होने पर समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर्युक्त के अनुसार उपयोगी जीवन का अनुमान सर्वोत्तम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है।

वर्ष के दौरान जोड़ा गया/निपटान किए संपत्ति, यंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास अधिग्रहण/निपटान की तारीख के संबंध में प्रो-रेटा आधार पर प्रदान किया जाता है।

9. परिसंपत्ति का हानि

परिसंपत्ति का हानि पर भा.ले.म 36 को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है सर्वोच्च न्यायालय में परिचोजना पर निर्णय लंबित है ।

10. राजस्व मान्यता

कंपनी ने आज तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। लाभ और हानि के विवरणिका में दिखाए गए अन्य आय में बैंकों में अप्रयुक्त धन की अल्पकालिक जमा से अर्जित अंतर शामिल है। इस आय से सभी व्यय पूरा किए जाते हैं और अधिशेष व आरक्षण और अधिशेष में स्थानांतरित किया जाता है। ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

11. विदेशी मुद्रा परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन विदेशी मुद्रा में नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा.21 में लागू नहीं है ।

12. निवेश

कंपनी द्वारा भा.ले.मा.32, भा.ले.मा.107 और भा.ले.मा. 109 के तहत निर्धारित कोई नहीं किया गया तथा इसलिए लागू नहीं है ।

13. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कार्पोरेशन, अधिवर्षिता निधि तथा उपदान निधि हेतु कंपनी को कोई बाध्यता नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा. 19 का प्रावधान लागू नहीं है ।

14. उधार लेने की लागत

कंपनी को कोई उधार नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा. 23 लागू नहीं है ।

15. संबंधित पार्टि प्रकटीकरण

संबंधित पार्टि प्रकटीकरण पर भा.ले.मा. 24 के आधार पर संबंधित पार्टि लेनदेन पर सूचना का संकलन किया गया ।

16. पट्टे

कंपनी द्वारा कोई पट्टे करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया तथा इसलिए भा.ले.मा. 17 लागू नहीं है ।

17. निवेश परिसंपत्ति

कंपनी के कोई निवेश परिसंपत्ति नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा.40 लागू नहीं है ।

18. वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताएँ

अपने वित्तीय परिसंपत्ति तथा देयता को कंपनी द्वारा पहचाना गया तथा वर्गीकत्रत किया गया तथा वित्तीय इनस्ट्रुमेंट – एन एस 32, ए एस 107 तथा आई एन डी ए एस 109 के तहत उल्लिखित अनुसार सही मूल्य पर लेखाकृत किया गया था ।

19. इंटेजबल परिसंपत्ति

असमानता अगर कोई हो तो इंटेजबल परिसंपत्तियों को कम लागत में मूल्यांकित किया जाता है तथा ये उपलब्ध होने की तारीख से लेकर स्ट्रेइट लाइन बेसिस पर संबंधित प्रयोगी लाइनस पर कम हो जाता है ।

अमूर्त संपत्ति को पहचानने पर लाभ या हानि के विवरण में अमूर्त संपत्ति (नेट निपटान आय और परिसंपत्ति को लाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शामिल किया जाता है ।

20. प्रावधान, कंटीजेंट देयताएँ तथा कंटीजेंट परिसंपत्तियाँ

पिछले इवेंट के कारण जब कंपनी को मौजूदा आबलिंगेशन (कानून या निर्मात्मक) हो तो प्रावधानों का पहचान किया जाता है । यह संभाव्य होता है कि आबलिंगेशन को सेटल करने हेतु आर्थिक सुविधाओं के औटफलो की जरूरत होती है तथा आबलिंगेशन की वास्तविक राशि से प्राक्कलन किया जा सकता है ।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा आबलिंगेशन को सेटल करने हेतु विचार के अच्छे प्राक्कलन की आवश्यकता होती है तो रोशि को प्रावधान के रूप में मान्य किया जाता है ।

किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ या हानि के विवरण, किसी भी प्रतिपूर्ति के नेट को प्रस्तुत किया जाता है ।

कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में कानूनी और अन्य दावों को शामिल करने पर संगत देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं को तभी हल किया जाएगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं या विफल होने लगती हैं । अस्तित्व और संभावित क्वांटम का मूल्यांकन, अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण निर्णय का अभ्यास और भविष्य की घटनाओं के नतीजे के अनुमानों के उपयोग में शामिल है ।

21. प्रति शेयर में उपार्जन

वर्ष 2024-25 के लिए कार्य के लिए आई एन डी ए एस 33 लागू होता है ।

22. नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकद समकक्षों में बैंक और हाथ और अल्पकालिक जमा पर नकद शामिल है ।

चालू निवेशों को राष्ट्रीय बैंकों के साथ स्थाई जमा में किया जाता है जहाँ लागत और रिलाइएजेबल मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा ।

23. इंटरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

भा.ले.मा. 34 लागू नहीं है ।

वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी

टिप्पणी
सं.

3 गैर चालू परिसंपत्तियां
संपत्ति संयंत्र उपकरण
वहन राशि का समाधान

(रुपये में)

	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहनों	कार्यालय उपकरण	कुल
लागत या डीमंड लागत (सकल वहन राशि)					
01.04.2023 को शेष राशि	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
जोड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी परिचालनों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	-	-	-	-	-
31.03.2024 को शेष राशि	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
01.04.2024 को शेष राशि	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	95,70,747.74
जोड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सचेंज	-	-	-	-	-
31.03.2025 को शेष राशि	13,42,763.00	-	-	-	95,70,747.74
संचित मूल्यहास और हानि					
01.04.2023 को शेष राशि	-	-	-	-	90,94,205.00
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	-	-	-	-
मूल्यहास समायोजन	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सचेंज	-	-	-	-	-
31.03.2024 को शेष राशि	-	-	-	-	90,94,205.00
31.03.2024 को शेष राशि					90,94,205.00
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	-	-	-	-
मूल्यहास समायोजन	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सचेंज	-	-	-	-	-
31.03.2025 को शेष राशि	-	-	-	-	90,94,205.00
वहन राशि (निबल)					
31.03.2024 तक	13,42,763.00	43,48,387.00	5,10,550.00	33,69,047.74	4,76,542.74
31.03.2025 तक	13,42,763.00	82 -	-	-	4,76,542.74

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।
- (ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शुद्ध वहन राशि, स्थायी परिसंपत्ति की लागत या लागत के स्थान पर प्रतिस्थापित अन्य राशि, उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्राप्त राशि होती है।
- (iii) स्थायी परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान किसी परिसंपत्ति के किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में निर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के अवशिष्ट जीवन को अपनाया है।
- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधि और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन के अनुमान उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन विशेषज्ञ इन परिसंपत्तियों का उपयोग करते हैं।
- (vi) ऋणात्मक शेष पिछले वर्षों के अतिरिक्त मूल्यहास को दर्शाता है।

	31.03.2025 तक रु. लाखों में	31.03.2024 तक रु. लाखों में
4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर		
कैपिटल ड्रेजिंग	84,096.34	84,096.34
तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम	517.94	517.94
नेविगेशन सहायता	-	-
तट आधारित सुविधाएं	160.76	160.76
वीटीएमएस सिस्टम	12.01	12.01
सर्वेक्षण, अध्ययन और संबद्ध व्यय	1,811.71	1,811.71
	86,598.76	86,598.76
31 मार्च तक शेष राशि	86,598.76	86,598.76

विभिन्न मुकदमों के कारण 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैपिटल ड्रेजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया था। कैपिटल डब्ल्यूआईपी में (ए) कैपिटल ड्रेजिंग, नेविगेशनल एड्स, वीटीएमएस सिस्टम, (बी) तट आधारित सिविल कार्य (सी) तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास, (डी) सर्वेक्षण और अध्ययन और अन्य सेवाओं पर किए गए खर्च शामिल हैं, उनके साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से वसूल की जाने वाली किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद। एडम्स ब्रिज के संबंध में ड्रेजिंग कार्य को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप 17.9.07 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। काम को फिर से शुरू करना और पूरा करना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर हो सकता है।

सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण अनुसूची	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ				
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित			86,598.76	86,598.76

5 अन्य इंटेजबल परिसंपत्तियां

	सकल वहन राशि 31.03.2024	संचित मूल्यहास 31.03.2025	संचित मूल्यहास 31.03.2024	शुद्ध वहन राशि 31.03.2025	शुद्ध वहन राशि 31.03.2024
इंटेजबल परिसंपत्ति					
1. सॉफ्टवेयर	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
कुल	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00

सॉफ्टवेयर के संबंध में, 3 वर्षों की अनुमानित जीवन अवधि में एसएलएम आधार पर पिछले वर्षों में पूर्णतः दावा किया गया मूल्यहास

6 अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति
संबंधित पक्षों को अग्रिम

असुरक्षित, अच्छा माना जाता है

फुटकर प्राप्तियाँ

आयकर वापसी

फुटकर समायोजन

सुरक्षित, अच्छा माना जाता है

किराया, बिजली, आदि के लिए सुरक्षा जमा

पूँजीगत अग्रिम

असुरक्षित, अच्छा माना जाता है

पाक स्ट्रेट पर ड्रेजिंग के लिए डीसीआई को अग्रिम भुगतान*

कुल

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
फुटकर प्राप्तियाँ	-	-
आयकर वापसी	-	-
फुटकर समायोजन	81.20	307.89
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	3.91	39.39
किराया, बिजली, आदि के लिए सुरक्षा जमा	-	-
पूँजीगत अग्रिम	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
पाक स्ट्रेट पर ड्रेजिंग के लिए डीसीआई को अग्रिम भुगतान*	-	-
कुल	85.11	347.28

लंबे समय तक चले अदालती मामलों के कारण डीसीआई ने 27.07.2009 को सभी ड्रेजिंग कार्य वापस ले लिए। हालाँकि, डीसीआई ने किए गए ड्रेजिंग कार्य के लिए अतिरिक्त लागत का दावा किया। इस संबंध में कई समितियों का गठन किया गया। अंततः, राज्य मंत्री ने एस एंड एफए, राज्य मंत्री, संयुक्त सचिव (पी) और डीए (पी) के साथ एक समिति गठित की। इस समिति की 25.02.2019 को एक बैठक हुई और कंपनी द्वारा डीसीआई को दी जाने वाली 136.72 करोड़ रुपये की राशि को अंतिम रूप दिया गया। कंपनी के उपलब्ध कोष से 71.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और कंपनी ने राज्य मंत्री, भारत सरकार से 115.72 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है, इसलिए डीसीआई को अग्रिम भुगतान को प्रगति पर पूँजीगत कार्य के तहत हिसाब में लिया गया है क्योंकि निपटाई जाने वाली राशि पर अंतिम समझौता हो चुका है। नेविगेशनल एड्स की बिक्री में 226.69 लाख रुपये की हानि को विविध समायोजन खाते से हटा दिया गया और वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर हानि के रूप में लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया।

- 7 वतमान संपात्ते
व्यापार प्राप्य: लॉन्च, चैनल बॉय और पट्टा शुल्क की बिक्री
संबंधित पक्षों से प्राप्तियां
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट
एन्नोर पोर्ट लिमिटेड
तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट
व्यापार प्राप्तियां
कांडला पोर्ट ट्रस्ट
मोरमागाओ पोर्ट ट्रस्ट
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट

<u>31.03.2025 तक</u>	<u>31.03.2024 तक</u>
-	-
-	-
131.62	131.62
3.58	3.58
643.64	643.64
8.31	8.31
1.95	1.95
789.09	789.09

व्यापारिक प्राप्य में विभिन्न बंदरगाहों से लॉन्च और चैनल बॉय की बिक्री/पट्टे के लिए देय राशि शामिल है। व्यापारिक प्राप्य में कुछ अपुष्ट शेष राशियाँ भी शामिल हैं, जिनका प्रबंधन की राय में, खातों में दर्शाए अनुसार, सामान्य व्यावसायिक क्रम में मूल्यांकित किया जाएगा। व्यापारिक प्राप्य के अंतर्गत दर्शाई गई राशियाँ सामान्य व्यावसायिक क्रम में व्यापारिक प्राप्य नहीं हैं।

विविध देनदारों के संबंध में, कंपनी के पास संबंधित पक्षों की व्यक्तिगत गारंटी के अलावा कोई अन्य सुरक्षा नहीं है।

लांचों की बिक्री/पट्टे से संबंधित प्रमुख बंदरगाहों के साथ विस्तृत नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, प्रमुख बंदरगाहों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए प्राप्त होने वाला ब्याज, यदि कोई हो, को लेखा पुस्तकों में अनुसूची के अनुरूप नहीं दर्ज किया गया है। **इंड एस 115.**

विवरण	31 मार्च 2025 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवाधि के लिए बकाया				
	< 6 महीने	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है		-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	789.09
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-
विवरण	31 मार्च 2024 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवाधि के लिए बकाया				
	< 6 महीने	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	789.09
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- संदिग्ध माना जाता है	-	85	-	-	-

8 नकद और नकद समकक्ष

(क) बैंकों के पास शेष राशि

इंडियन बैंक खाता संख्या 422161367

इंडियन बैंक खाता संख्या 802770387

इंडियन बैंक एसबी खाता संख्या 6469440457

बैंकों में अल्पकालिक जमा

(ख) हाथ में नकदी

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
-	-
-	-
10.08	25.57
305.00	300.00
0.05	0.10
315.13	325.67

(मैं) बैंकों से उनके द्वारा धारित अल्पकालिक जमाओं के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है।

(ii) चूंकि वर्तमान निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा है, इसलिए लागत और प्राप्ति योग्य मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

9 ऋण

(मैं) (क) संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम

(बी) अन्य - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है

कर्मचारियों को अग्रिम

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
-	-
0.00	0.00
0.00	0.00

(ii) निदेशकों/अधिकारियों से देय राशि सहित ऋण और अग्रिम निम्नानुसार हैं:

वर्ष के अंत तक देय

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

10 अन्य वित्तीय संपत्तियां

अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज

बैंकों से देय ब्याज

किराया जमा करना

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
12.18	12.72
0.00	0.00
17.79	
29.97	12.72

11 अन्य चालू परिसंपत्तियां

अग्रिम कर, जीएसटी आईटीसी और टीडीएस

प्रीपेड किराया और अन्य खर्च

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
5.53	4.93
7.87	0.00
13.40	4.93

12 ए. अधिकृत, जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी

अधिकृत:

1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये
(पिछले वर्ष 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये)

जारी, अभिदत्त और चुकता:

10/- रुपये प्रति शेयर के 74,50,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर
(पिछले वर्ष 74,50,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये)

कुल

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1,00,000.00	1,00,000.00
#REF!	#REF!
#REF!	74,500.00

परियोजना के लिए निर्धारित रु.1000 करोड़ की अधिकृत पूंजी में से रु.745 करोड़ विभिन्न हितधारकों द्वारा सब्सक्राइब और भुगतान किए जा चुके हैं। भारत सरकार का अंशदान रु.495 करोड़ है। वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रु.50-50 करोड़ का अंशदान दिया गया है। शेष रु.150 करोड़ डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, एण्णूर पोर्ट लिमिटेड, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा रु.30-30 करोड़ का अंशदान दिया गया है।

बी. वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:

	2024-2025	2023-2024
	संख्या	संख्या
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयर	74,50,00,000	74,50,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए/मोदी गए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	74,50,00,000	74,50,00,000

सी. रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयर का वर्ग	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
		धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	इक्विटी	49,50,00,000	66.43	49,50,00,000	66.44
वीओचिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	5,00,00,000	6.71
भारतीय नौवहन निगम	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	5,00,00,000	6.71
अन्य	इक्विटी	15,00,00,000	20.15	15,00,00,000	20.13
डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया					
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट					
एण्णूर पोर्ट लिमिटेड					
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट					
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट					
कुल		74,50,00,000	100.00	74,50,00,000	100.00

डी. दिनांक को कंपनी में शेयरधारकों की हिस्सेदारी का विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयर का वर्ग	आज की तारीख में		वर्ष के दौरान परिवर्तन (% में)
		धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	
भारत सरकार	इक्विटी	49,50,00,000	66.43	0.00%
वी.ओ.चिधंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	0.00%
भारतीय नौवहन निगम	इक्विटी	5,00,00,000	6.71	0.00%
डेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	इक्विटी	3,00,00,000	4.03	0.00%
कुल		74,50,00,000	100.00	

13 अन्य इक्विटी

अन्य भंडार

1. पूंजी आरक्षित

- अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार
- जोड़ / (कटौती)

कुल

2. प्रतिधारित आय

- 31.03.2023 तक
- अवधि के लिए लाभ / (हानि)
- पिछले वर्षों का अतिरिक्त मूल्यहास
- अन्य व्यापक आय, कर के बाद
- पिछले वर्षों का अतिरिक्त मूल्यहास
- 31.03.2024 तक

कुल (1+2)

कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई अन्य आय में बैंकों में अप्रयुक्त निधियों के अल्पावधि जमा से अर्जित ब्याज शामिल है। सभी व्यय इसी आय से पूरे किए जाते हैं और अधिशेष को आरक्षित निधि एवं अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

14 प्रावधान गैर चालू देयताएं

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
#REF!	#REF!
-	-
#REF!	#REF!
#REF!	5,528.45
#REF!	#REF!
-	-
-	-
-	-
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
0.00	0.00
-	-

15 अन्य गैर चालू देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(क) अन्य पक्षों से जमा	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

16 अन्य वर्तमान देनदारियां

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
देय लेखा परीक्षा शुल्क	0.65	0.60
देय व्यय	34.00	0.07
देय शुल्क और कर	0.76	0.03
देय किराया	0.00	0.00
विविध लेनदारों को देय	0.16	0.00
ड्रेजिंग के लिए प्रावधान	6,572.00	6,572.00
कुल	6,607.57	6,572.70

देय शुल्कों और करों में टीएनवीएटी और टीडीएस भुगतान शामिल हैं

(मैं)

व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची					
विवरण	31 मार्च 2025 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	35.57	-	-	6,572.00	6,607.57
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
विवरण	31 मार्च 2024 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अ.				कुल
	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	0.70	-	-	6,572.00	6,572.70
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-

17 प्रावधानों

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

18 वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कराधान के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	0.00	0.00

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
19	अन्य कमाई		
	अल्पकालिक जमा पर ब्याज	23.16	22.30
	विविध आय	0.06	0.02
	कुल	23.22	22.32
20	कर्मचारी लाभ व्यय		
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	0.00	0.00
	वेतन और मजदूरी - अनुबंध कर्मचारी	18.54	14.41
	वेतन एवं मजदूरी - प्रतिनियुक्ति अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय	5.53	6.74
		0.00	0.00
	कुल	24.06	21.15
	वर्ष के दौरान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को दिया गया प्रबंधकीय पारिश्रमिक शून्य है।		
		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
21	अन्य खर्चों		
	ऑडिट शुल्क	0.71	0.60
	प्रशासनिक व्यय	0.89	1.07
	किराया	17.00	16.46
	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	1.69	0.53
	मरम्मत और रखरखाव	0.23	0.01
	यात्रा और परिवहन	0.04	0.03
	नेविगेशनल एड्स की बिक्री पर नुकसान	226.69	0.00
	पूर्व अवधि के व्यय	0.11	0.00
	कुल	247.36	18.70
22	कर व्यय		
	वर्तमान कर	0.00	0.00
	आस्थगित कर	-	-
	कुल	0.00	0.00
	कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 में घाटा हो रहा है, इसलिए कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/आस्थगित कर देनदारियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं।		
23	लाभ और हानि खाते में अधिशेष		
	कंपनी निर्माण चरण में है और सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, और कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग II के अनुसार आवश्यक विवरण लाभ-हानि विवरण में प्रकट किए गए हैं और शुद्ध अधिशेष/घाटे को बैलेंस शीट में अन्य इक्विटी के अंतर्गत अलग से प्रकट किया गया है।		

24 आकास्मिक देयताएं

विवरण	अनुमानित राशि (लाखों रुपये में)	
	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कंपनी के विरुद्ध दावे/ विवादित देनदारियां जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
ए. वीओसी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दावा किया गया सेंटेज शुल्क	785.00	785.00
बी. बैठक व्यय के हिस्से के लिए	0.83	0.83

25 आईएनएस 24 द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) संबंधों का विवरण और संबंधित पक्षों के नाम

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ii) शेयरधारक

लेन-देन की प्रकृति	महतवपूर्ण प्रबंधन	शेयरधारकों
	(पिछले वर्ष के आंकड़ों को दृष्टि में रखा गया है)	
निदेशक को अतिरिक्त प्रभार का भुगतान	2.70 (2.69)	
भुगतान किया गया किराया (जुमाना सहित)		17.00 (16.46)
व्यापार प्राप्तियां		131.62 (131.62)
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति		3.91 (39.39)

वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक 2.70 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

26 व्यापार प्राप्य, जमा, विविध समायोजन, विविध प्राप्य और पूंजी अग्रिम पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

27 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के भाग II के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| (i) वर्ष के दौरान आयात का सीआईएफ मूल्य | (शून्य) |
| (ii) रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्श आदि के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय। | (शून्य) |
| (iii) वर्ष के दौरान आयातित स्पेयर पार्ट्स और घटकों का मूल्य | (शून्य) |
| (iv) वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई राशि | (शून्य) |
| (v) विदेशी मुद्रा में आय | (शून्य) |

28

कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय बकाया राशि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है/पहचान नहीं की है। इसलिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य को बकाया राशि का विवरण नहीं दिया गया है।

29

- (i) नोट 3 को छोड़कर शेष सभी आंकड़ों निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किए गए हैं।
- (ii) पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यकतानुसार पुनः समूहीकृत किया गया है।

30 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय की गणना शेयरधारकों को मिलने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की जाती है:

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कर के बाद लाभ / (हानि) - रु. लाख	(248.20)	(17.54)
इक्विटी शेयरों की संख्या - लाखों में	7,450.00	7,450.00
प्रति शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00
प्रति शेयर आय (ईपीएस)	(0.03)	(0.00)

31 अनुसूची III में नवीनतम संशोधन के अनुसार अनुपात निम्नानुसार हैं:

	वित्त वर्ष-2024-2025	वित्त वर्ष-2023-2024
(1) चालू अनुपात	0.17	0.18
कुल चालू परिसंपत्तियाँ / चालू देनदारियाँ		
(2) शुद्ध ऋण इक्विटी अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं
(शुद्ध ऋण / औसत इक्विटी)		
(3) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं
(ईबीआईटी/वित्त लागत + गैर-वर्तमान उधारों की अनुसूचित मूलधन चुकौती)		
(4) इक्विटी पर रिटर्न (%)	-0.30%	-0.02%
(कर के बाद लाभ (पीएटी)/औसत इक्विटी)		
(5) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	लागू नहीं	लागू नहीं
(औसत इन्वेंट्री/उत्पादों की बिक्री दिनों में)		
(6) देनदार कारोबार अनुपात (दिनों में)	लागू नहीं	लागू नहीं
(औसत व्यापार प्राप्य/दिनों में कारोबार)		
(7) व्यापार देय कारोबार अनुपात (दिनों में)	लागू नहीं	लागू नहीं
(औसत व्यापार देय/व्यय)		
(8) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (दिनों में)	लागू नहीं	लागू नहीं
(औसत कार्यशील पूंजी/टर्नओवर)		
(9) शुद्ध लाभ अनुपात (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
(कर के बाद शुद्ध लाभ/टर्नओवर)		
(10) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	-0.30%	-0.02%
(ईबीआईटी/औसत नियोजित पूंजी)		
(11) निवेश पर प्रतिफल (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
(स्पुचुअल फंडों की बिक्री/उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)/वर्तमान निवेशों में औसत निवेश फंड)		

32

कंपनी ने 2004 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक कोई व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है। विभिन्न मुकदमों के कारण 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पूंजीगत ड्रेजिंग कार्य स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2009 और उसके बाद से परिचालन गतिविधियों के बंद होने के कारण कंपनी ने टग, नेविगेशनल एड्स, लॉन्च, बॉय जैसी विभिन्न परिचालन संपत्तियाँ भी बेच दी हैं। राज्य मंत्री के दिनांक 18.06.2019 के पत्र के अनुसार, SCL ने दिनांक 28.06.2019 को अपनी 59वीं बोर्ड बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव राज्य मंत्री को भेजने की स्वीकृति प्रदान की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 13.12.2019 को अपनी राय दी कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 के तहत अन्य शर्तों के अधीन निगम का परिसमापन किया जा सकता है। सेतुसमुद्रम निगम को बंद करने के संबंध में माननीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 29.04.2021 को हुई बैठक में डीसीआई को देय राशि के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। 24.06.2021 के पत्र के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मंत्रालय ने डीसीआई को देय शेष राशि के संबंध में 29.04.2021 को लिए गए निर्णय पर टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया है ताकि एससीएल को बंद करने की गतिविधियों को 6 महीने के भीतर पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जा सके। तदनुसार, कंपनी ने 27.07.2021 को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी हैं।

33

कंपनी ने अभी तक अपने बोर्ड में कंपनी सचिव के रूप में एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है।

बोर्ड की ओर से

रवि और रघु के लिए
चाटेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005060S

ह/-
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-
(के रावे)
साथी
एम.नं.026783
यूडीआईएन नं.25026783बीएमआईएक्सक्यूओ9287

ह/-
श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.
निदेशक

ह/-
मल्ला श्रीनिवास राव
महाप्रबंधक (वित्त)
स्थान: चेन्नई
तारीख: 01.08.2025

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड			
नकदी प्रवाह विवरण			
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			
	विवरण	31 मार्च 2025 तक रु. लाखों में	31 मार्च 2024 तक रु.लाखों में
ए	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	असाधारण मद और कर से पहले निबल लाभ	-248.20	-17.54
	समायोजित:		
	वर्ष के लिए मूल्यहास	-	-
	निवेश पर ब्याज	(23.16)	(22.30)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	(271.36)	(39.84)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन		
	व्यापार प्राप्त में (वृद्धि) / कमी	-	-
	ऋण तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(17.24)	(5.02)
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ में (वृद्धि) / कमी	(8.45)	13.37
	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	262.17	-
	अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	1.21	(3.62)
	अन्य गैर-चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	-	-
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	-	-	
वर्तमान कर देयता में वृद्धि / (कमी)	-	-	
प्रचालन से नकद उपार्जन	(33.67)	(35.11)	
आयकर का भुगतान	-	-	
असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह	(33.67)	(35.11)	
असाधारण वस्तुएँ:			
प्रगति पर पूंजीगत कार्य की बिक्री पर हानि	-	-	
हानि के लिए प्रावधान	-	-	
गैर-नकद मदों के लिए समायोजित	-	-	
असाधारण वस्तुओं से नकदी प्रवाह	-	-	
प्रचालन कार्यकलापों से निबल नकद	(33.67)	(35.11)	
बी	निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
	निवेश से ब्याज	23.16	22.30
	आयकर रिफंड पर ब्याज	-	-
	निवेश कार्यकलापों से निबल नकद	23.16	22.30
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	-
	नकदी और नकद समकक्षों में निबल वृद्धि	(10.52)	(12.81)
	वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	325.68	338.49
	वर्ष के समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष	315.16	325.68
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें		1 से 33	
हमारे समादेनांकित प्रांतेवेदन के अनुसार		बोर्ड की ओर से तथा के लिए	
कृते रांवे और रघु			
चाटेड अकाउंटेंट			
फम पजाकरण सख्या 0005060S			
ह/-		ह/-	
(के रांवे)		अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	
भागोदारी			
एम.नं.026783			
ह/-		ह/-	
मल्ला श्रीनिवास राव		श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.	
महाप्रबंधक (एफ)		निदेशक	
स्थान: चेन्नई			
तारीख : 01.08.2025			

SETHUSAMUDRAM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : U75111TN2004GOI054824 Regd. Office: Indian Maritime University, Uthandi, Chennai – 600 119.

सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ए) इक्विटी शेयर पूंजी

प्रत्येक मुद्दे रु.10 की इक्विटी शेयर, सब्सक्राइब्ड और पूरी तरह से भुगतान किया गया है।

31 मार्च 2022 तक

शेयर पूंजी जारी करना

31 मार्च 2023 तक

शेयर पूंजी जारी करना

31 मार्च 2024 तक

शेयरों की संख्या	राशि
74,50,00,000	74,500
74,50,00,000	74,500
-	-
74,50,00,000	74,500
-	-
74,50,00,000	74,500

बी) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2024 तक

अवधि के लिए लाभ एवं अतिरिक्त मूल्यहास

अन्य व्यापक आय, कर का निबल

कुल व्यापक आय

31 मार्च 2025 तक

पूंजी आरक्षित	बरकरार उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
1,499.59	5,510.90	7,010.49
-	(248.20)	(248.20)
-	-	-
-	(248.20)	(248.20)
1,499.59	5,262.70	6,762.29

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 तक

अवधि के लिए लाभ एवं अतिरिक्त मूल्यहास

अन्य व्यापक आय, कर का निबल

कुल व्यापक आय

31 मार्च 2024 तक

पूंजी आरक्षित	बरकरार उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
1,499.59	5,528.45	7,028.04
-	(17.55)	(17.55)
-	-	-
-	(17.55)	(17.55)
1,499.59	5,510.90	7,010.49

हमारे समावेदनों के तहत प्रमाणित करने के अनुसार

कृते रावे और रघु

चाटर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 0005060S

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

(के रावे)

भागोदारों

एम.नं.026783

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ह/-

मल्ला श्रीनिवास राव

महाप्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नई

तारीख : 01.08.2025

ह/-

श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस.

निदेशक